राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] बारहवीं विधान सभा के अष्टम सत्र का चतुर्थ दिवस [संख्या : 4

शुक्रवार

21 सितम्बर, 2007

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

अनेक माननीय सदस्य: राम-राम, राम-राम ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आपने राम राम नहीं बोला।

श्री अध्यक्ष: यह नई परम्परायें, पुराने जिसे कहना चाहिए माननीय सदस्य और मंत्री क्यों डाल रहे हैं। आज दिन तक तो यह बोला नहीं जाता था केवल हाथ जोड़े जाते थे। जो नये हैं उनको करने दीजिए आप लोग क्यों करने लग गए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आपने नहीं किया इसलिए कह दिया।

श्री अध्यक्ष: हां मैंने नहीं किया मैंने पहले भी टोका है कि देखिये मुंह से नहीं बोला जाता है केवल हाथ जोड़कर अभिवादन किया जाता है। पहले भी कह चुकी हूं लेकिन कई माननीय सदस्य, आप देख नहीं रहे कि जब आसन खड़ा होता है तो अंत में आसन को बैठना पड़ता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): विपक्ष के नेता खड़े हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : छुट्टी है, उनकी छुट्टी है। ठीक है, श्री लालचन्द कटारिया।

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर): प्रश्न संख्या 34. (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता को छूट होती है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): किस बात की छूट ?

श्री अध्यक्षः चाहे जब बोल सकते हैं, चाहे जब आ सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वह तो ठीक है (व्यवधान) वह भी आपकी अनुमति से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः चाहे जब आ सकते हैं, चाहे जब बोल सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): चाहे जब तो नहीं आ सकते। घुटनों के बल, मान्यवर घुटनों के बल कभी भी आ सकते हैं।

श्री अध्यक्षः हां ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): घुटनों के बल कभी भी आ सकते हैं। सीधा सिर ऊपर करके नहीं आ सकते। घुटनों के बल आ सकते हैं। (व्यवधान) मैं तो घुटनों के बल आया हूं।

जिला मुख्यालय क्षेत्र में घटित दुर्घटनाओं में त्वरित सहायता हेतु रोगी वाहन की व्यवस्था

34. **श्री लालचन्द कटारिया** (आमेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर शहर एवं आसपास के क्षेत्र में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने व प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु यातायात पुलिस के पास कितनी एम्बुलेंस गाड़ियां हैं एवं उन पर किस-किस श्रेणी का कितना-कितना स्टाफ नियुक्त है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मरीजों/घायलों को त्वरित इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाने की मंशा से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर आवश्यक उपकरणों एवं चिकित्सा दल से परिपूर्ण एम्बुलेंस गाड़ियां उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री गुलाब चन्द कटारिया): (1) जयपुर शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने एवं फर्स्ट एड सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पुलिस विभाग के पास उपलब्ध एम्बुलेंस गाडियों एवं स्टाफ का ब्यौरा परिशिष्ट-क में सलंग्न है।

(गृह मंत्री)

सभी एम्बुलेंस के लिए आवश्यक वाहन चालक सहयोगी कर्मी थाने की नफरी से उपलब्ध कराये जाते हैं। अलग से स्टाफ स्वीकृत नहीं है।

(2) जी हां । बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ब्यौरा के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, मैंने क्वेश्चन दिया है जयपुर शहर व उसके आसपास के क्षेत्र। आपने उत्तर में एम्बुलेंसों के नाम दिये हैं और उसमें आपने दूदू, आमेर, फागी, शहपुरा और फुलेरा इन थानों में तो आपके पास क्या व्यवस्था है ? दूसरा आपने जयपुर शहर का कोई इसमें जवाब नहीं दिया। जयपुर शहर में चार एक्सीडेंट थाने हैं, तो क्या उन पर एक भी एम्बुलेंस नहीं है और नहीं है तो सरकार उनकी क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात पूछी है वह सच है कि पुलिस विभाग के पास जयपुर शहर में कोई एम्बुलेंस नहीं है, आसपास की जो एम्बुलेंस, हमने आपको सूची दी है वह भी विधायक महोदय ने या किसी स्वंयसेवी संस्था ने या परिवहन विभाग ने, इन्होंने उपलब्ध कराई हुई है। हमारे विभाग की एक केवल वाहन, मैंने आठ की जो सूची दी है चौमू में रामलालजी ने उपलब्ध कराई है, गोविन्दगढ़ में भी उन्होंने उपलब्ध कराई, सामौद में भी रामलालजी शर्मा ने। दूदू में परिवहन विभाग की हमारे पास मिली हुई है। केवल परागपुरा ऐसी जगह है जहां हमारे पुलिस विभाग की एक एम्बुलेंस है। शाहपुरा में भी परिवहन विभाग की है। कानौता में निराला दंत मंजन यह जो वालेण्ट्री इन्स्टीटयूशन है इसने दी है। बस्सी में भी हमारे वहां के विधायक ने जनसहयोग से हमें यह उपलब्ध कराई है लेकिन यह सच है कि बाकी सभी जिलों में भी जिला चिकित्सालयों में इस प्रकार की एम्बुलेंस है।

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर): मंत्री महोदय, मैं बाकी जिलों की बात नहीं कर रहा मैं जयपुर शहर, जयपुर इतना बड़ा शहर है उसमें चार एक्सीडेंट थाने हैं, उनमें क्या व्यवस्था है आपके पास ? एक बात। दूसरी, जमुवारामगढ़ में जयपुर ग्रामीण से आने वाले विधायक बृजकिशोरजी ने जो एम्बुलेंस दे रखी है उसका तो विवरण ही नहीं है इसमें, दो साल पहले ही चालू है। आपके पास

(श्री लालचन्द कटारिया)

सही आंकड़े ही नहीं हैं। यातायात पुलिस के पास में एक्सीडेंट थाने में एक एम्बुलेंस है जो पिछले पन्द्रह साल से खराब पड़ी है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मेरे को एम्बुलेंस दिये डेढ़ साल हो गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग की नहीं है लेकिन चिकित्सा विभाग की जयपुर शहर में भी विभिन्न स्थानों पर एम्बुलेंस उपलब्ध है। जयपुर में आपका बनीपार्क में सेटेलाइट अस्पताल है, इसमें है। सेठी कालोनी में है, शास्त्री नगर में है, जयपुरिया अस्पताल में है और एस. एम. एस. अस्पताल में दस एम्बुलेंस हैं, तो यह तो चिकित्सा विभाग की है। पुलिस विभाग की, यह सच है कि हमारे पास जयपुर शहर के थानों पर इस प्रकार की एम्बुलेंस नहीं है यह सच है। ग्रामीण क्षेत्र में भी जो हैं हमें वह विभिन्न विधायकों के सहयोग से, जनसहयोग से या परिवहन विभाग के सहयोग से मिली है, वह हमारे पास है। पुलिस विभाग के पास नहीं है, यह सच है।

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर): नहीं है तो आप यह कब तक उपलब्ध करा देंगे, इसमें आपका मन है कि नहीं ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने इसमें आपको दिया है कि जैसे ही, मैं जरूर आज सदन को यह आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारा जो कन्ट्रोल रूम है उस पर एक एम्बुलेंस निश्चित रूप से रहे।

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर): चार थाने हैं। चार थाने जयपुर शहर के। आज यदि अजमेरी गेट पर कई सूचना पहुंचती है और वैशाली में एक्सीडेंट होता है तो वहां पुलिस को पहुंचने में एक घंटा लग जाता है और फिर जब पुलिस एम्बुलेंस के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल फोन करे जब तक तो मरीज मरा हुआ, जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है वह वहीं मर जाता है। चार एक्सीडेंट थानों में आपके पास एक एम्बुलेंस नहीं है आपके पास। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं तो स्वीकार कर रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय गृह मंत्री महोदय, आदमी मर रहा है उस वक्त भी आप जनसहयोग मांग रहे हो। आपके पुलिस के बजट से आपको पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस खरीदनी चाहिए और उसका

(श्री रामनारायण चौधरी)

इक्यूपमेंट मेडीकल हैल्थ डिपार्टमेंट से आपको मांगना चाहिए। 24 घंटे आपके यहां एम्बुलेंस तैयार रहनी चाहिए, नहीं तो आपने ट्रैफिक पुलिस बनाई ही क्यों है, बनाई है तो उसके पास में एम्बुलेंस होनी चाहिए। सड़क पर आदमी पडा रहता है, जल्दी पहुंच जाए तो बच सकता है। जब आप मारने में मदद कर रहे हो तो बचाने में भी मदद करो। (व्यवधान) मारने में इसलिए मदद कर रहे हो कि आपकी ट्रेफिक व्यवस्था बहुत दोषपूर्ण है...

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर): बचाने के लिए भी मदद करें।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इसकी वजह से दुर्घटनायें हो रही हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपने प्रश्न ऐसा पूछा जिसका जवाब शायद मैं तो नहीं दे पाऊंगा, किसी और को ही देना पड़ेगा। यह बात सच है, मैं कोई छिपा नहीं रहा हूं जितने भी यहां हास्पिटल हैं उनमें सुविधा पुलिस के पास नहीं है कन्ट्रोल रूम पर। मैं आश्वस्त करता हूं कि चाहे यहां के जनप्रतिनिधि या हमारे विभाग, कहीं से भी उपलब्ध होगी निश्चित रूप से एक एम्बुलेंस हर समय 24 घंटे हमारे कन्ट्रोल रूम पर खड़ी रहेगी ताकि जब कभी भी कोई सूचना मिले तो तुंरत उसको सहायता पहुंचाई जाए।

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर): अकेला पूर्वी थाना है जो आपके जयपुर शहर का...(व्यवधान) उसमें पिछले 6 महीने में 163 दुर्घटनाएं हुई हैं 35 आदमी मारे गए। दस आदमियों की मौत तो एम्बुलेंस के कारण हुई, एम्बुलेंस यदि टाइम पर मिलती और उनको मेडीकल रिलीफ मिलती तो वह बचाये जा सकते थे।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय मंत्री जी से...

श्री अध्यक्ष: आपके नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप जवाब नहीं देंगे तो दूसरा कौन जवाब देगा। आपके बजट से खरीदो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपके सवाल का नहीं दे पाऊंगा।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): बजट बनाते समय आपको रेजिस्ट करना चाहिए कि ला एंड आर्डर की जिम्मेदारी मेरी है और मेरे को यह

(श्री रामनारायण चौधरी)

आवश्यकता है तो चीफ मिनिस्टर और मंत्रिमण्डल आपको इंकार थोड़े ही करेगा। आपको कोई इंकार नहीं करेगा लेकिन आपकी सोच इस मामले में नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आपने करवा दी ना आज सोच, अब सोचेंगे वह। आज आपने सुझाव दे दिया।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं यह पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष: हां, पूछिये।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): कि नाइंथ और टेन्थ फाइव ईयर प्लान में, केन्द्र सरकार ने स्टेट हाइवे और नेशनल हाइवे पर एक्सीडेंट नहीं हो इसके लिए बजटीय प्रावधान किया था, आपने क्या कोई प्रपोजल भेजा। उन्होंने अपने लोकसभा के सवाल के जवाब में कहा है कि तीस करोड़ रुपये और उसके बाद पुनः तीस करोड रुपये उन्होंने आबंटित किये थे, आपने राज्य सरकार की तरफ से एक भी प्रपोजल नहीं भेजा। इसके साथ में आप यह भी बताइये क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, हाइवे एक्सीडेंट रिलीफ सर्विस स्कीम जो केन्द्र सरकार की बनी हुई है जिसके अन्तर्गत यह प्रावधान है कि हाइवे के ऊपर हर पचास किलोमीटर पर एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। केन्द्र सरकार उसकी राशि उपलब्ध कराती है। यहां से अपन ने कितने प्रपोजल भेज दिये और कितनी एम्बुलेंस अभी तक आ गई ?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि यदि मंत्री महोदय के पास में एम्बुलेंस खरीदने, सरकार के पास एम्बुलेंस खरीदने के लिए पैसा नहीं है एक एम्बुलेंस मैं मेरे विधायक कोष से उनको देने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा। आप धन्यवाद तो दे दीजिये उन्हें, आप धन्यवाद तो दे दीजिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूं। अगर आपको एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाए तो क्या उसके लिये स्टाफ की व्यवस्था भी साथ में होगी या वह एम्बुलेंस खड़ी ही रहेगी। अन्य विधायकगण भी जिले के स्तर पर उपलब्ध

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

करवा सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर स्टाफ की क्या व्यवस्था होगी, यह भी साथ में बताने का कष्ट करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के जवाब में ही बताया कि जो भी एम्बुलेंस हमें मिली है, हमारे पास जो नफरी आज थाने में है उसी में से ही हम उसमें ड्राइवर और स्टाफ उपलब्ध करवा रहे हैं और आगे भी अगर आप में से कोई देंगे तो हम निश्चित रूप से जो स्टाफ हमारे पास है हम उसमें से उपलब्ध करवाएंगे। जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने एम्बुलेंस उपलब्ध कराई।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): मंत्री महोदय, सवाल मेडिकल स्टाफ का है। क्योंकि एम्बुलेंस में पुलिस कांस्टेबल की आवश्यकता नहीं, मेडिकल स्टाफ की आवश्यकता रहेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मेडिकल स्टाफ तो, एक बार उसे पहुंचा देने का काम, हमारी जो एम्बुलेंस है वह करती है, बाकी सभी जिला स्तर पर मेडिकल स्टाफ वाली एम्बुलेंस सब जगह उपलब्ध है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): फर्स्ट-एड तो चाहिए होगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : और जितने भी आपके हाई-वे के बारे में कहा है, हाइ-वे पर जहां-जहां पर ट्रोमा अस्पताल है, वहां यह सुविधा दी हुई है। जितनी अभी तक हमको उपलब्ध हुई है, भीम में इस प्रकार की, राजसमन्द में उपलब्ध है, किशनगढ़ में उपलब्ध है, शाहपुरा में उपलब्ध है, सोजत में उपलब्ध है, देवली में उपलब्ध है और महुवा में उपलब्ध है। यह नेशनल हाइ-वे पर जो ट्रोमा हास्पिटल का कंसेप्ट है और जिसके कारण से केन्द्र का सहयोग भी मिला है, वहां इन सब जगह पर यह सुविधा वहां ट्रोमा हास्पिटल के माध्यम से आलरेडी नेशनल हाई-वे पर उपलब्ध है।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): केन्द्र सरकार ने जो राशि उपलब्ध कराई उसके लिये आपने प्रपोजल बनाकर क्यों नहीं भेजा। आप यह सदन को आश्वस्त कर दें कि एक तो केन्द्र सरकार से हाई-वे के कारण, जितनी भी एम्बुलेंस मिलती हैं उसकी पूरी राशि राज्य को देंगे-नम्बर एक। नम्बर-दो, आप अपनी तरफ से सारे विधायकों को यह पत्र लिखें कि अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में एक-एक एम्बुलेंस अपने विधायक कोष से वह देंगे, जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सके।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपके सुझाव से सहमत हूं और मैं अपनी तरफ से भी आप सब विधायकों से निवेदन करुंगा, निश्चित रूप से जितनी आप लोगों से एम्बुलेंस मिलेंगी उसमें हम अपने स्टाफ से जितनी व्यवस्था कर सकते हैं, निश्चित रूप से करेंगे। बाकी जो केन्द्र सरकार से इस तरह की जो सुविधा मिलती है, जिस विभाग से है, एकदम पूरी सही जानकारी मेरी नहीं है। मैं आपको अधूरी जानकारी नहीं दूंगा लेकिन जहां-जहां नेशनल हाइ-वे पर इस प्रकार की व्यवस्था मेडिकल विभाग और पी.डब्ल्यू.डी. के सम्मिलित प्रयास से जो कुछ हुआ, उसको मैंने आपके सामने रखा है।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के अन्दर 18 थाने हैं।

श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाई-वे पर अगर आप स्टाफ की व्यवस्था कर देंगे तो एक एम्बुलेंस देने के लिये मैं भी तैयार हूं। क्योंकि हाई-वे पर भंयकर एक्सीडेंट होते हैं। हमारे डूंगरगढ़ में इस हाइ-वे पर हमेशा एक-दो एक्सीडेंट होते हैं। वह बीकानेर जाते-जाते, 60 किलोमीटर पर वह खत्म हो जाते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय गृह मंत्रीजी, आप तो एक पत्र सारे विधायकों को लिख दो। सारे विधायक आपको एक-एक एम्बुलेंस दे देंगे, आपका काम आसान हो जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, मैंने माननीय विधायकों से जब-जब मेरे विभाग के बारे में जो आवश्यकता मैंने आपको भेजी, कम्प्यूटर की दृष्टि से मैं सोचता हूं कि अधिकांश विधायकों ने कम्प्यूटर उपलब्ध करवाये और आज थानों में शत-प्रतिशत कम्प्यूटर पहुंच गये। आज यह विषय ध्यान में आया। मैं आपको निश्चित रूप से 2-4 दिन में ही यह पत्र भेजूंगा। आप अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार सब जगह हमको एम्बुलेंस उपलब्ध करवायें।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क में 18 थाने हैं। मैं मेरे विधायक कोष से दो एम्बुलेंस देने की घोषणा करता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हरीसिंह रावत।

भीम में जलग्रहण अभियन्ताओं के रिक्त पद

35. श्री हरीसिंह रावत (भीम): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम की पंचायत समिति भीम में जलग्रहण कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने कनिष्ठ अभियंताओं के पद सृजित हैं?

(2) क्या सृजित पदों के अनुसार कनिष्ठ अभियंता पदस्थापित हैं? यदि नहीं, तो क्यों? सरकार रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री कालूलाल गुर्जर): (1) पंचायत समिति, भीम में जलग्रहण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक कनिष्ठ अभियंता का पद सृजित है?

(2) जी हां।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सप्लीमेंट्री सवाल करना चाहता हूं कि पहले तो मेरे यहां तीन पद सृजित थे तो फिर एक रहने का क्या कारण रहा, दो पद कैसे खतम हो गये। और दूसरा, जल ग्रहण के अन्तर्गत जो कार्य हो रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जल ग्रहण के अन्तर्गत जो कार्य हो रहे हैं उनमें जो बीज सप्लाई किये जा रहे हैं उनमें बड़ी भारी अनियमितता पाई गई है। अनियमितता में यह है कि ऊपर थैली लगी हुई है सीड कारपोरेशन की और अन्दर में उसमें सब नकली बीज हैं। और बहुत सी थैलियां मिलीं, जिनमें नोट फोर सेल लिखा है, इसका क्या कारण रहा। क्या आपने ऐसे निर्देश दिये कि इस टाइम में बीज वितरित किये जाएं। दूसरा, जहां भी जो कार्य हो रहे हैं, वह कार्य बड़े सेंसेटिव हैं, जो विकास होना चाहिए, उस हिसाब से नहीं हो रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है जितने भी मेरे जल ग्रहण के जो कार्य हो रहे हैं, उनका पुनः निरीक्षण करवाया जाए ताकि सत्यता सामने आ सके। दूसरा, यह जो बीज मिले, नकली बीज, अभी हमारे बी.डी.ओ., भीम आफिस में करीब 5-6 सौ बेग, हमारे पास पड़े हैं, जिनको हमने सीज करवाया है। तो मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि इनकी भी वापस जांच कराई जाए कि यह बीज कहां से आये और कैसे वितरित हुए और किस के आदेश से यह हो रहे हैं। यह स्पष्ट हो जाए तो अच्छा काम चल सकेगा। दूसरा आपने बताया कि भीम में एक पद है, वहां एक भी जे.ईएन.

(श्री हरीसिंह रावत)

नहीं है। अभी एक है, उसको भी हमने जबरदस्ती रोका हुआ है कि कम से कम एक तो हमारे यहां रखा हुआ है। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिसको हमने रोका है, उसको स्थाई किया जाए। वह भी अण्डर-ट्रांसफर ही है। अभी एट-प्रजेण्ट जो आपने बोला है कि आपके वहां एक कनिष्ठ अभियंता है लेकिन वास्तव में वहां एक भी कनिष्ठ अभियंता नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि उस कनिष्ठ अभियंता को स्थाई किया जाए ताकि हमारा काम सुचारू रूप से चले, धन्यवाद।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया कि पहले वहां पर तीन पद थे और अब एक कैसे रह गया। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे जल ग्रहण की जो स्कीम चालू होती है और जल ग्रहण की जितनी संख्या होती है उसके अनुसार पदों का सृजन किया जाता है। पहले हमारे पास चूंकि यह दसवीं पंचवर्षीय योजना के वाटर-शेड हैं और इनमें हमारे यहां पर राष्ट्रीय जल ग्रहण योजना की प्रशासनिक राशि का 6 प्रतिशत खर्च करने का उस पंचवर्षीय योजना में प्रावधान था। इसलिये प्लान के तहत हमने पद सृजित किये थे। परन्तु अब 11वीं पंचवर्षीय योजना का अभी अलोकेशन हुआ नहीं है और वह जो पैसा हमको मिलता था, वह बंद हो गया, इस कारण से कुछ पद हमने कम किये और उन पदों को हमने ट्रांसफर करके राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना में लगा दिया और यह तय कर दिया कि जहां 16 से लेकर 32 जल ग्रहण योजनाएं हैं वहां पर एक जे.ईएन. और एक ए.ईएन. रहेगा। माननीय सदस्य के यहां 23 जल ग्रहण योजनाएं हैं इसलिये एक ही पद वहां पर रखा है और उस पद पर जे.ईएन. की नियुक्ति कर दी है, और वह वहां से, कोटड़ा से भी रिलीव 12 तारीख को हो गया है। कल तक का टाइम है, कल शायद वह ज्वाइन कर लेगा। इसलिये माननीय सदस्य की चिन्ता और समस्या का समाधान हो जाएगा।

जहां तक माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न यह किया कि बीजों में अनियमितता पाई गई, अध्यक्ष महोदय, जो जल ग्रहण योजनाओं में बीज सप्लाई किया जाता है, वह बीज निगम से खरीदा जाता है और जो हमारा बीज निगम जो राजस्थान सरकार का है, उसी मार्के से खरीदा जाता है, और माननीय सदस्य ने यह कहा कि बीज एक्सपायरी डेट का था तो जिन थैलियों

(श्री कालूलाल गुर्जर)

में अनियमितता पाई गई है, तो मैं इस सारे मामले की जांच करवा लूंगा और उस जांच के दौरान यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही हम कर लेंगे। एक आपने और कहा है कि जल ग्रहण के कार्य ठीक नहीं हो रहे हैं तो उसकी भी मैं इसके साथ ही जांच करवा लूंगा और उसकी जांच के आधार पर जो भी कार्यवाही होगी, वह कर ली जाएगी।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, आप अभी बोले कि 23 वाटर शेड मेरे क्षेत्र में चल रहे हैं। मेरा क्षेत्र एक मगरा क्षेत्र है और मेरे करीबन 128 किलोमीटर की परिधि में मेरा विधान सभा क्षेत्र पड़ता है तो मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय, कि कम से कम वहां दो कनिष्ठ अभियंता लगाये जाएं, जिससे हमारा काम सुचारु रूप से चल सके। कारण यह है कि लम्बी-लम्बी दूरी की वजह से एक कनिष्ठ अभियंता पूरा काम देख नहीं सकेगा, जिससे काम में शिथिलता बरती जाएगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि दो कनिष्ठ अभियंता लगाए जाएंगे तो मैं सोचता हूं कि अच्छा रहेगा। दूसरा, बीज निगम के जो बीज हमने सीज कर रखे हैं, भीम और देवगढ़ में तो विशेषकर आप उसकी जांच कराएं तो सत्यता सामने आ जाएगी। ऊपर का पैकेट सीड कारपोरेशन का ही है लेकिन अन्दर क्या भरा हुआ है, वह सब बीज नकली हैं। इसलिये इनका थोड़ा स्पष्टीकरण हो जाएगा, तो अच्छा रहेगा।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बीज निगम ने जो हमको दिया है, वही बीज हम काम में ले रहे हैं। अगर मान लीजिए अन्दर बीज खराब है, स्लिप उन्होंने गलत लगाई है तो हम बीज निगम को लिखकर उसकी कार्यवाही कराएंगे, जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ। अध्यक्ष महोदय, एक आपने कहा कि एक पद सृजित होना चाहिए और क्षेत्र बड़ा है। मेरा इसमें यह है कि जहां पर जो वाटर-शेड चलते हैं उसके जल ग्रहण विकास दल, डब्ल्यू.डी.टी. का गठन किया जाता है और सारे वाटर शेड का संचालन जल ग्रहण विकास दल के द्वारा कराया जाता है और उसके अन्दर 4 आदमियों की नियुक्ति होती है, एक वानिकी-पादप विज्ञान का आदमी, दूसरा पशु विज्ञान का आदमी तीसरा सिविल और कृषि इंजीनियरिंग और एक सामाजिक विज्ञान। तो इसमें इंजीनियर लग जाता है आलरेडी तो मान लो कहीं जे.ईएन. न भी पहुंचे तो भी वह विकास दल के अन्दर जे.ईएन. की पोस्ट है और जे.ईएन. को उस विकास दल में सम्मिलित किया जाता है,

(श्री कालूलाल गुर्जर)

वह काम देखता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके यहां एक जे.ईएन. है और एक ए.ईएन. है तो ए.ईएन. और जे.ईएन. दो लग रहे हैं। मैं सोचता हूं कि हमारे नॉर्म्स के अनुसार पर्याप्त है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नैक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, इसी में।

श्री अध्यक्ष: हां, पूछिये।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): केवल भीम का प्रश्न है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब आपने बांसवाड़ा का दौरा किया तब बीज निगम के संदर्भ में एक बहुत बड़े घोटाले के बारे में, वहां की भारतीय जनता पार्टी और अन्य पदाधिकारियों ने मिलकर आपको घाटौल में एक ज्ञापन दिया था। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आपने वहां पर उस जांच के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया है और उस जांच का मतलब सब्जेक्ट आये कम से कम 3 महीने हो गये, उस संदर्भ में आपने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो केवल वहां आपके भीम में पदस्थापन का है। अब बीज निगम में या बीजों की कहीं गड़बड़ है और उसके बारे में अगर आप चाहते हैं तो उसकी जानकारी मैं करके आपको दे दूंगा। मैं इतना कह सकता हूं कि मैं वहां पर गया था। शिकायत मिली और मैंने हमारे वाटर शेड के डाइरेक्टर को लिखा कि इसमें जांच की जाए। अब जांच किस स्तर पर है चूंकि इससे रिलेटेड नहीं है इसलिए मैं अभी इसका जवाब नहीं दे सकता। माननीय सदस्य को मैं सारी बात अवगत करा दूंगा।

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, बीज निगम के अन्दर जिस तरीके से प्राइवेट दुकानों से जो बीज खरीदा गया और जिला परिषद में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और वहां के सारे पदाधिकारियों ने इस बात की शिकायत दर्ज करवायी है और अब मंत्रीजी आप सी.ई.ओ. की

(श्री जीतमल खांट)

जांच, सी.ई.ओ. की जांच आप एडिशनल सी.ई.ओ. से करवा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी तकलीफ तो यह है कि सी.ई.ओ. की जांच आप एडिशनल सी.ई.ओ. से करवा रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या एडिशनल सी.ई.ओ. सी.ई.ओ. से बड़ा होता है क्या? मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जब पूरे जिले के सारे पदाधिकारियों और सारे जन-प्रतिनिधियों का इस बात को लेकर रोष है और आपके सामने यह सारा ज्ञापन दिया है तो आपके तीन महीने निकल गये और अब तक इसकी जांच के लिए आपने क्या कार्यवाही की? आप इस प्रकरण की पूरी जांच करवाओ।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को शिकायत मिली थी। मैंने जांच के लिए हमारे वाटर शेड के डाइरेक्टर, जो आई.ए.एस. हैं, सीनियर आई.ए.एस. हैं, उनको दी है। उन्होंने जांच करने के लिए किस अधिकारी को भेजा है, मैंने पहले ही बताया कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं जानकारी करके बता दूंगा। चूंकि, इस प्रश्न से कोई रिलेटेड ही नहीं है। प्रश्न तो सिर्फ यह पूछा था कि भीम के अन्दर पद सृजित कितने हैं और कितने जे.ईएन. लग रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अन्तर्गत अन्य जगह पर क्या गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं, उसके बारे में तो प्रश्न नहीं है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को निवेदन कर रहा हूं कि यदि एडिशनल सी.ई.ओ. से जांच के लिए यहां से पत्र गया होगा तो मैं उसकी आज ही बात करके किसी सीनियर अफसर से जांच करवा दूंगा और यहां से भेजकर करवा दूंगा। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): हां, यहां से, अब आपके यहां से। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): वाटर शेड में घोटाला ही घोटाला है और है भी क्या? वाटर शेड में तो है ही घोटाला और है ही नहीं कुछ। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह भीम का है, आप बैठ जाओ न। आपको क्या लेना-देना है? भीम से क्या लेना-देना है आपका?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): वाटर शेड में है ही घोटाला। यह तो बताओ कि कोई एक काम भी होता है क्या? ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वाटर शेड में घोटाला नहीं है। एक काम मुझे बता देना, सारा घोटाला है। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि करौली पंचायत समिति में जहां पर चार जे.ईएन. काम करते थे लेकिन वहां पर सारे जे.ईएन्स. का ट्रांसफर कर दिया गया और वहां पर एक जे.ईएन. है। सारे काम-काज ठप्प पड़े हैं। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पंचायत समिति करौली में जल्दी से जल्दी जे.ईएन्स. की व्यवस्था करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री बृजकिशोर शर्मा।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में न तो वाटर शेड का जे.ईएन. है और न आपके पंचायती राज का जे.ईएन. है। भगवान भरोसे ही चल रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री बृजकिशोर शर्मा।

श्री सुरेश मीणा (करौली): खड़े होकर कहो कि करौली में कर देंगे। (व्यवधान) नहीं, खड़े होकर कहो। (व्यवधान)

बाल गृहों के रख-रखाव एवं संचालन में व्याप्त अनियमितताएं

36. **श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में सरकार द्वारा कितने किशोर गृह, शिशु गृह, पालना गृह चलाये जा रहे हैं? प्रत्येक पालना गृह में कितने बच्चे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) शिशु गृह में रहने वाले प्रत्येक बच्चे पर कितना खर्च स्वीकृत है व कितना खर्च किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इन किशोर पालना गृहों से कुछ बच्चे भागे हैं? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किस-किस गृह से कितने बच्चे भागे?

(4) जिन पालना गृहों से बच्चे भागे हैं, उसके क्या कारण रहे? संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई व नहीं तो क्यों?

समाज कल्याण मंत्री (श्री मदन दिलावर): (1) राज्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 36 किशोर गृह एवं 1 शिशु गृह संचालित है। विभाग द्वारा कोई पालना गृह संचालित नहीं है।

(2) शिशु गृह में रहने वाले बच्चों के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यय सीमा निर्धारित नहीं की हुई है तथा उन पर आवश्यकतानुसार राशि का व्यय किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में अगस्त, 2007 तक शिशु गृह हेतु 18,58,602 रुपयों का व्यय किया गया है।

(3) विभाग किशोर पालना गृहों का संचालन नहीं करता है।

(4) विभाग द्वारा पालना गृहों का संचालन नहीं किया जाता है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग समाज कल्याण विभाग के अधीन नहीं आता? अगर यह आता है तो जो आपने जवाब दिया है आप उसका जवाब दे दें। दूसरा, क्या घाट की गुणी में जो किशोर गृह चल रहा है क्या समाज कल्याण विभाग से इस किशोर गृह का कोई सम्बन्ध है? क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जिन 36 किशोर गृहों व 1 शिशु गृह का संचालन करता है, पिछले चार वर्षों में कितने शिशु किशोर पालना गृहों से भागे हैं, वर्षवाइज बताने का कष्ट करें और कितने पकड़े गये और बाकी जो बचे हैं उनका क्या हुआ और जो अधिकारी इस मामले में दोषी हैं, उनके लिए आपने क्या किया? चौथा, आपने जो 18 लाख ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक साथ मत पूछो, जवाब आने दो लेकिन मैं आपसे यह पूछ रही हूं कि ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): ठीक है, साहब।

श्री अध्यक्ष: पालना गृह वाले कैसे भाग सकते हैं? यह तो बता दें मुझे आप दोनों ही। समझ में नहीं आती बात मेरे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): भागे हैं, कोटा में भागे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पालना गृह में रहने वाले भाग सकते हैं क्या?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): भागे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप पता कर लो। आप पता कर लो।

श्री अध्यक्ष: शिशु गृह और पालना गृह को थोड़ा समझने की कोशिश करिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हम शिशु गृह की बात कह रहे हैं, पालना गृह में तो इतना सा होता है, यह हम भी जानते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पालना गृह वाला नहीं भाग सकता। शिशु गृह वाला भाग सकता है। पालना गृह वाला तो पालना में पड़ा रहता है। भागेगा कहां से? (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): शिशु गृह में भागे हैं न। हमने प्रश्न पूछा है, किशोर गृह में। हमने क्वेश्चन किशोर गृह का पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किशोर गृह का क्वेश्चन पूछा है मैंने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह अलग बात है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): भागते नहीं, उठाकर ले जाते हैं। नहीं, आप उठाकर ले गये थे न, माहिर आजाद साहब, वैसे उठाकर ले जाते हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप भी वहीं से आये हुए हो। आप भी वहीं से आये हुए हो। पता कर लो, आप भी वहीं से आये हुए हो। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने किशोर गृह का प्रश्न पूछा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, शिशु गृह और पालना गृह अलग-अलग है। अलग-अलग होते हैं। अलग-अलग होते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कोई भी किशोर पालना गृह संचालित नहीं करते हैं, हम किशोर गृह संचालित करते हैं और जहां तक घाट की गुणी का सवाल है वह हमारा किशोर गृह है और वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत ही आता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां-हां, बिलकुल वही है। पालना गृह वाला तो पालना में ही रहता है। हां, मैं तो समझ रही हूं पर माननीय सदस्य नहीं समझ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आपने सैकिण्ड प्रश्न पूछा है, पालना गृह में ... (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इसमें लिखा हुआ है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ठीक तो क्या है, यह जवाब गलत दे रहे हैं। आप इनको रोकिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): ... (व्यवधान) शिशु गृह से कितने बच्चे भागे हैं यह पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): अभी तक राजस्थान में शिशु गृह से कोई बच्चा नहीं भागा क्योंकि शिशु भाग नहीं सकता है वह बहुत छोटा होता है।

श्री अध्यक्ष: हां, नहीं भाग सकता। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मैं किशोर गृह की बात कर रहा हूं, मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप इनको जवाब तो देने दो। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय मंत्री महोदय, मैं किशोर गृह की बात कर रहा हूं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है किशोर गृह।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। किशोर गृह से 54 बच्चे भागे हैं उसमें से आपने कुल 30 बच्चों को पकड़ा है। 24 बच्चे अभी तक लापता हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेहरबान, आपने तो पूछा कि पालना गृह से कितने भागे हैं?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): किशोर गृह है। किशोर गृह लिखा है, मैडम।

श्री अध्यक्ष: आपने कहा है न। आपका चौथा देखिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, किशोर गृह लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: चौथा पार्ट देखिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप किशोर गृह का, शुरू में देखिये, किशोर गृह लिखा हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका जो चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट में आपने लिखा है, एक सैकण्ड, आपने लिखा है, जिन पालना गृहों से बच्चे भागे हैं, उसके क्या कारण रहे?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): सप्लीमेंट्री में और कह देना।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): देवल साहब, यह किशोर गृह का लिखा है। आप इस क्वेश्चन पर ... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): सप्लीमेंट्री में एड करवा लेंगे।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप तीसरा पढ़ लें। यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। यह कह दें। (व्यवधान) बच्चे इन्होंने इसाइयों को बेच दिये हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): तीसरा पढ़ो, तीसरा।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आकर यहां पर हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं ... (व्यवधान) कहते हैं इसाइयों को बेच दिये हैं इसलिए इनका ... (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): किशोर गृह लिखा हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): लिखा हुआ है, पढ़िये आप इसको।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): लिखा हुआ है, आप पढ़िये।

श्री अध्यक्ष: देख रही हूं। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): और लोग कहते हैं कि इन्होंने, इसाइयों का झगड़ा इसीलिए हुआ कि वह बच्चे इन्होंने बेच दिये और उसके पैसे नहीं दिये इसलिए वे लड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड-3 में किशोर गृह लिखा हुआ है। इन्होंने जो जवाब दिया है वह बिलकुल गलत है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इसलिए इसाइयों से इनका झगड़ा हुआ। वे कहते हैं कि भगे थे। (व्यवधान) भगाने में मंत्री का हाथ था।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): किशोर गृह लिखा है। खंड-3 में किशोर गृह लिखा हुआ है क्लीयर-कट, खंड-3 आप पढ़ि़िये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को पूरी जानकारी नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपसे मांग रहे हैं न जब ही तो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): और इसलिए मैं दे रहा हूं न, आप लें न शांति से ... (व्यवधान) किशोर 14 साल तक का होता है।

श्री अध्यक्ष: किशोर पालना में रहता है क्या? पालना में रहता है क्या?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, किशोर लिखा हुआ है, खंड-3 में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो आप फिर किशोर की बात करिये। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह खंड-3 में किशोर लिखा हुआ है। पालना गृह से कुछ बच्चे भागे हैं। किशोर भी तो लिखा हुआ है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): लिखा हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप यह मान लीजिए कि सप्लीमेंट्री में पूछ रहे हैं। अच्छा, इसमें बाल पूछ लिया, इसमें शिशु पूछ लिया तो सप्लीमेंट्री में किशोर का पूछ रहे हैं, मंत्रीजी जवाब दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं करें। माननीय सदस्य। नगर से आने वाले माननीय सदस्य, सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं करें। आपने चौथा प्रश्न पूछा है, नहीं, चौथा प्रश्न पूछा है। जिन पालना गृह से बच्चे भागे हैं, उसके क्या कारण रहे? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तीसरा पढ़ो न। आप तीसरा पढ़ो। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्षजी, किशोर लिखा हुआ है खण्ड-3 में।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): किशोर एवं पालना गृह से कुछ बच्चे भागे हैं। किशोर भी तो लिखा हुआ है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप यह मान लो सप्लीमेंट्री में पूछ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सदन को गुमराह करने की कोशिश ना करें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अच्छा इस सवाल में शिशु पूछ लिया तो सप्लीमेंट्री में किशोर का पूछ रहे हैं। मंत्री महोदय जवाब दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नगर से आने वाले माननीय सदस्य सदन को गुमराह करने की कोशिश ना करें। आपने चौथा प्रश्न पूछा है (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपकी व्यवस्था को चैलेंज करते हैं। इनकी आदत हो गयी है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तीसरा खण्ड पढ़ो न। आप तीसरा खण्ड पढ़िये। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप तीसरा खण्ड पढ़ि‍ये ना इसमें। माननीय अध्यक्षजी, मंत्री जवाब नहीं देना चाहते। मंत्री इस सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): गलत इन्फोर्मेशन दे रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और आप इनको प्रोटक्शन दे रहे हैं। आपका फर्ज तो हमें प्रोटक्शन देना है। इसलिए आप इनको कहिये कि यह सही जवाब दें। नहीं दे सकते तो यह इस क्वेश्चन को डेफर करें और इसका बाद में जवाब दें। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि किशोर गृह के जो बच्चे भागे हैं, उनमें इनका हाथ है। आपका हाथ है उनको कोटा में भगाने का। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इसमें नाम भी इनका बृज किशोर है कि *** है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इसाइयों से मिले हुए हैं, इसलिए इसाइयों का झगड़ा हुआ। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इसमें प्रश्न ही ठीक तरह से नहीं पूछा गया। इसमें बृज किशोर है कि नवल किशोर है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): यह प्रश्न का जवाब मंत्रीजी की जगह दे रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इनको तमीज ही नहीं है बात करने की। महामहिम हैं, वह महामहिम।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): इनकी सोच इतनी ही है। इससे आगे यह जा ही नहीं सकते। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपको तमीज ही नहीं है बात करने की। यह कोई सवाल हुआ क्या पूछने का? (व्यवधान) महामहिम को इस तरह से बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): इसको कार्यवाही से एक्सपंज कराइये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, मान लो इसमें शिशु गृह का पूछा। सप्लीमेंट्री में किशोर का नहीं पूछ सकते क्या? कितने किशोर लापता हुए, मंत्रीजी को जवाब देना चाहिये। आप मंत्री को बचाने का काम कर रही हैं। किशोर गृह से बच्चे भाग रहे हैं। सुनियोजित षड्यन्त्र के तहत भाग रहे हैं। मिलीभगत से भाग रहे हैं। इनको बचाया जा रहा है। पकड़े भी गये और आप प्रोटेक्ट कर रही हैं मंत्री को। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप मंत्री को प्रोटेक्ट कर रही हैं। मंत्रीजी जवाब दीजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बजाय इनको जिम्मेदार ठहराने के, बचा रहे हैं। आप जवाब दीजिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): आप सुनना चाहें तो जवाब दे देता हूं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अपनी गलती स्वीकार करो बृजकिशोरजी।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप मुझे क्या बता रहे हो जोगेश्वरजी? आप क्या बता रहे हो, मंत्रीजी जवाब देंगे। मेरी कोई गलती नहीं है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): समाज कल्याण मंत्री, मदन दिलावर इसके लिये जिम्मेदार हैं। (व्यवधान) उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। इन्होंने इसाइयों के बच्चों को बेचा है कोटा के अंदर। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप कार्यवाही कीजिये और मंत्री का हाथ है इसमें। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): यह गलत है। ठीक से पढ़ो आप। चश्मा बदलकर पढ़ो। तीन और चार गलत है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह उस षड्यन्त्र में मिले हुए हैं और इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कोटा में-बारां में जितने लड़के गये हैं वह सब मदन दिलावर साहब ने निकाले हैं। इसलिए इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): प्रतिपक्ष के नेता महोदय, खुद पढ़ लीजिये खण्ड तीन और चार गलत हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप जो गलत बात है उसके लिये इनको संरक्षण दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): आपको जवाब सुनना है, यह जवाब दे रहे हैं न। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): माननीय सदस्य प्रश्न पूछ लेते हैं लेकिन इनका जवाब नहीं आता है। यह कपड़े फाड़ते थे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह बृजकिशोरजी और महामहिम +++ का नाम इन्होंने यहां लिया है, वह आप उचित मानते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: क्या कहा, मैंने सुना नहीं। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): कहा है ना। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कहा है ना। रिकार्ड में है। यह +++ का क्या संदर्भ आया।

श्री अध्यक्ष: मुझे बताओ क्या कहा?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): इन्होंने कहा +++ नाम है या बृजकिशोर नाम है। यह बोला है न।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): महामहिम हैं गुजरात के।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): महामहिम का नाम इन्होंने लिया है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आपने प्रश्न उठाया। यदि उसका जवाब सुनना चाहते हो तो मैं उत्तर दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): महामहिम का नाम इन्होंने मजाक में जिस तरीके से लिया है... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): किशोर गृह से बच्चों को भगा-भगाकर... (व्यवधान) और जब पैसे नहीं दिये तो उस इसाई के खिलाफ धरने दे दिये और... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): जवाब तो प्रोपरली आये न। सुनेंगे क्या? आपको जवाब देना नहीं आता। प्रोपरली जवाब दीजिये सब सुनने को तैयार बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्षजी, मेरे प्रश्न का जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपका नाम मैंने नहीं पुकारा है। मैं यह कहने के लिये खड़ी हुई हूं कि यदि आपने यह कहा है... (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): यदि नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): यदि नहीं, बिलकुल कहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बात तो सुन लीजिये। यदि आपने यह कहा है कि यह बृजकिशोर है या +++ तो बहुत गलत बात है आपका इस तरह से कहना। मैं इसको एक्सपंज करती हूं। आपको माफी मांगनी चाहिये। (व्यवधान) नहीं खेद प्रकट करो आप। आप खड़े होकर खेद प्रकट करो। यह बहुत गलत बात है।

एक माननीय सदस्य: आप किसका नाम ले रहे हैं? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। मैंने नहीं कहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): +++ उन्होंने कहा है(व्यवधान). उन्होंने कहा है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनसे माफी मंगवाइये। राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, आप माफी मांगिये। आपने यह कहा है यह +++ है या बृज किशोर।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बिराजें तो मैं कहूं।

श्री अध्यक्ष: यदि आपने यह कहा है तो यह बहुत गलत बात है। हर वक्त आप खड़े होकर ऊटपटांग बात कहते हैं। यह बहुत गलत बात है। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): माफी मांगें यह।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा महामहिम की तरफ ऐसा कहने का कतई मानस नहीं था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वह महामहिम हैं, राज्यपाल हैं। सम्माननीय हैं।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): अध्यक्ष महोदय, उनसे माफी मंगवाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप खेद प्रकट करो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माफी मांगे यह।(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: माफी मंगवाइये इनसे। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इसको कार्यवाही से एक्सपंज कराइये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह तो रोज चाहे जिसको कहते रहते हैं। माफी मांगे। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): आप इनसे माफी मंगवाइये। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: अध्यक्ष महोदय, इनसे माफी मंगवाइये। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): तैयार हूं बिराजो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माफी मांगो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह बृजकिशोर हैं या +++ हैं और इसको कोई हम ऐसा इम्प्रेशन में ले रहे हैं तो मैं खेद प्रकट करता हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): गलत-गलत। आप क्यों बोल रहे हो? बैठिये आप।

अनेक माननीय सदस्य: गलत-गलत।

श्री अध्यक्ष: नहीं, वह करेंगे खेद प्रकट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, खेद प्रकट कर रहे हैं। यह माफी मांग रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, खेद प्रकट कर रहे हैं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पवित्र सदन में मेरे ईश्वर देवता की सौगन्ध खाकर कहता हूं। मेरा आशय महामहिम को ऐसा कहना नहीं था और फिर भी उसको माननीय सदस्य यह मानते हैं कि महामहिम की तरफ जब कि मेरी भावना... (व्यवधान) सुनो तो सही। मेरी भावना, मुझे मालूम नहीं है कि बृजकिशोरजी के पिताजी महामहिम हैं। मैं इस पवित्र सदन में ईश्वर की सौगन्ध खाकर कहता हूं कि मुझे इनके पिताजी या महामहिम का मुझे मालूम नहीं था और महामहिम के लिए मेरी भावना नहीं थी। यदि माननीय सदस्य महामहिम की तरफ इससे सम्बन्ध रखते हैं तो मैं खेद प्रकट करता हूं। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ठीक है। श्री दाताराम गुर्जर। कृपया शांत रहें।

मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र पाली में विसर्जित उच्चिष्ठ के ट्रीट हेतु कार्यरत मशीनें

37. **श्री दाताराम गुर्जर** (खेतड़ी) एवं **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अगस्त, 2007 में पाली मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित किसी ऐसे उद्योग की मशीनें पर्यावरण विभाग ने सील की हैं जिसे सी.ई.टी.पी. पाली से उक्त उद्योग से विसर्जित उच्चिष्ठ की निर्धारित मात्रा को ट्रीट करने की स्वीकृति दी गई थी? यदि हां, तो कितनी मात्रा का उच्चिष्ठ अब उक्त उद्योग विसर्जित कर पाएगा?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उद्योग की सभी ऐसी मशीनें सील कर दी गई थीं, जिनसे उच्चिष्ठ जल विसर्जित हो सकता था? यदि हां, तो जितनी मात्रा में विसर्जित उच्चिष्ठ को ट्रीट करने की सी.ई.टी.पी. ने स्वीकृति दी थी, उसका क्या औचित्य है?

(3) यदि सी.ई.टी.पी. पाली की क्षमता नहीं थी, तो इन उद्योगों को उनके द्वारा विसर्जित उच्चिष्ठ को ट्रीट करने की स्वीकृति क्यों दी गई? उन उद्योगों की क्षतिपूर्ति किसके द्वारा व किस प्रकार की जावेगी?

(4) क्या यह सही है कि पाली मंडिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष

(श्री दाताराम गुर्जर)

2004 के पश्चात् लगी मशीनों को बंद करने का निर्देश दिया गया है? यदि हां, तो 2004 के पश्चात् (2007 में लिये गये निर्णय तिथि तक) इस प्रकार की मशीनें क्यों लगने दी गई? इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

पर्यावरण एवं खनिज मंत्री (श्री लक्ष्मीनारायण दवे): (1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा माह अगस्त-सितम्बर, 2007 में पाली जिले के मंडिया रोड के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 55 वस्त्र औद्योगिक इकाइयों की कतिपय मशीनों को सील किया गया है। यह कार्यवाही किसी उद्योग विशेष के विरूद्ध नहीं की गई है, वरन् सामूहिक रूप से की गई है। इस कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य मंडिया रोड, औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित संयुक्त उपचार संयंत्रों में क्षमता से अधिक आ रहे उच्छिष्ठ की मात्रा को नियन्त्रित करना है ताकि अनुपचारित उच्छिष्ठ को नदी में वाहित होने से रोका जा सके। सील किये जाने की कार्यवाही के पश्चात् मंडिया रोड, औद्योगिक क्षेत्र के वस्त्र उद्योगों को सामूहिक रूप से उतनी मात्रा का उच्छिष्ठ निस्त्रावित करने की छूट होगी, जिसका कि उपचार स्थापित संयुक्त उपचार संयंत्रों द्वारा किया जाना सम्भव हो सके। मंडिया रोड, औद्योगिक क्षेत्र स्थित जल प्रदूषक प्रत्येक उद्योग कितनी मात्रा में उच्छिष्ठ का निस्त्राव कर सकता है, यह निर्णय सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट द्वारा ही किया जाना है।

(2) प्रश्न के इस भाग में इकाई विशेष के बारे में जानकारी चाही गयी है जिसका नाम प्रश्न में नहीं दिया गया है। यह सही है कि कुछ उद्योगों की सभी जल प्रदूषणकारी प्रसंस्करण मशीनें उपरोक्त कार्यवाही के अन्तर्गत सील की गई हैं। राज्य मण्डल द्वारा सीलिंग की कार्यवाही औद्योगिक क्षेत्र, सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट एवं जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में उच्छिष्ठ की मात्रा को नियंत्रित करने की आवश्यकता एवं उनकी सहमति से यह निर्णय लिया गया कि पाली के औद्योगिक क्षेत्रों में माह अप्रैल, 2004 के पश्चात् स्थापित जल प्रदूषणकारी प्रसंस्करण मशीनों को सील अथवा बन्द करवा दिया जायेगा।

(3) सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट के समक्ष उद्योगों द्वारा निस्त्रावित उच्छिष्ठ की वास्तविक मात्रा की घोषणा सही नहीं पायी गयी है। सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट ने यह सूचित किया है कि संयुक्त उपचार संयंत्रों में इन संयंत्रों की उपचार क्षमता से

(पर्यावरण एवं खनिज मंत्री)

काफी अधिक उच्छिष्ठ उपचार हेतु प्राप्त हो रहा है, इससे यह स्वतः ही स्पष्ट है कि वस्त्र उद्योग उनके द्वारा घोषित उच्छिष्ठ की मात्रा से अधिक उच्छिष्ठ को निस्त्रावित कर रहे हैं जो कि उनके द्वारा की गयी घोषणा का उल्लंघन है। संयुक्त उपचार संयंत्रों पर उनकी क्षमता से अधिक उच्छिष्ठ की आवक के कारण अनुपचारित उच्छिष्ठ नदी में वाहित हो रहा है जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है एवं पर्यावरण को हो रही क्षति की पूर्ति इन उद्योगों से ही अपेक्षित है एवं इस कारण से उद्योगों को किसी तरह की क्षति पूर्ति नहीं की जानी है।

(4) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 9.3.2004 की अनुपालना में राज्य मण्डल द्वारा मण्डिया रोड स्थित वस्त्र उद्योगों का सर्वे किया गया था। इस सर्वे के दौरान यह भी पाया गया कि मण्डिया रोड स्थित वस्त्र उद्योगों से जनित उच्छिष्ठ का उपचार संयुक्त उपचार संयत्र द्वारा किया जाना संभव नहीं हो रहा था, जिसका एक कारण इन उपचार संयंत्रों में क्षमता से अधिक औद्योगिक उच्छिष्ठ का आवक होना भी था। इस कारण से औद्योगिक क्षेत्र की नई इकाइयों अथवा स्थापित इकाइयों के विस्तार से जनित उच्छिष्ठ का उपचार किया जाना सम्भव नहीं था। अतः मण्डिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष 2004 के पश्चात् नये जल प्रदूषक एवं जल प्रदूषणकारी प्रसंस्करण मशीनों की स्थापना हेतु जल अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत कोई स्थापना हेतु सम्मति जारी नहीं की गई है।

वर्ष 2004 में किये गये सर्वे के दौरान पायी गयी खामियों के आधार पर राज्य मण्डल द्वारा निम्न कार्यवाही की गई :-

1- तीनों उपचार संयंत्रों के उन्नयन का कार्य माह दिसम्बर, 2005 से आरम्भ कर मार्च, 2007 में पूर्ण करवाया गया। वर्तमान में तीनों उपचार संयंत्र कार्यरत हैं।

2- गैर औद्योगिक क्षेत्र के 246 लघु वस्त्र उद्योगों को बन्द करने के आदेश दिये गये किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उद्योगों के विरुद्ध जारी आदेशों को स्थगित किया गया है।

3- गैर औद्योगिक क्षेत्र के 27 वस्त्र उद्योगों से पेयजल के दूषित होने की सम्भावना के कारण इनके जल एवं विद्युत सम्बन्ध विच्छेद करने के आदेश दिये गये किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उद्योगों के विरुद्ध जारी आदेशों को स्थगित किया गया है।

(पर्यावरण एवं खनिज मंत्री)

4- औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 63 वस्त्र उद्योग जो कच्चे नाले से पुनायता रोड स्थित संयुक्त उपचार संयंत्र से जुड़े थे, को बन्द करने के आदेश किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उद्योगों के विरुद्ध जारी आदेशों को स्थगित किया गया है।

5- मण्डिया रोड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 272 लघु वस्त्र उद्योगों को प्राथमिक उपचार व्यवस्था भी स्थापित करने के लिए नोटिस द्वारा बाध्य किया गया।

6- औद्योगिक क्षेत्रों में चिन्हित तीन लघु वस्त्र कार्बोनाइजिंग प्रोसेस को बन्द करवाया गया ताकि ऐसिडिक उच्छिष्ठ के निस्त्राव को रोका जा सके।

7- महाराजा श्री उम्मेद मिल को उनके स्तर पर उच्छिष्ठ उपचार संयंत्र के निर्माण हेतु बाध्य किया।

8- औद्योगिक क्षेत्र प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्थित उद्योगों से निस्त्रावित उच्छिष्ठ को पुनायता रोड स्थित संयुक्त उपचार संयंत्र तक लाने हेतु पक्के नाले का निर्माण।

9- नये औद्योगिक क्षेत्र के विकास कार्य।

उल्लेखनीय है कि उपचार संयंत्रों के उन्नयन का कार्य मार्च, 2007 में पूर्ण होने के पश्चात् इन संयंत्रों के विधिवत कार्यरत हो जाने के बाद भी यह पाया गया कि वस्त्र उद्योगों से निस्त्रावित उच्छिष्ठ की मात्रा इन संयंत्रों की क्षमता से काफी अधिक है एवं अनुपचारित उच्छिष्ठ का एक भाग सीधे नदी में प्रवाहित होता है। प्रत्येक उद्योग द्वारा उससे निस्त्रावित उच्छिष्ठ की मात्रा का अलग-अलग आंकलन किये जाने की व्यवस्था नहीं है। माह जुलाई, 2007 में औद्योगिक क्षेत्र सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट एवं जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि संयुक्त उपचार संयंत्रों में क्षमता से अधिक आ रहे उच्छिष्ठ की मात्रा को कम करने हेतु पूर्व में माह अप्रैल, 2004 में करवाये गये सर्वे के पश्चात् स्थापित सभी जल प्रदूषणकारी प्रसंस्करण मशीनों को बन्द करवाया जावे। इस निर्णय की अनुपालना में मण्डिया रोड औद्योगिक क्षेत्र के 55 उद्योगों में जल प्रदूषणकारी प्रसंस्करण मशीनों को हटाने अथवा सील करने की कार्यवाही राज्य मण्डल द्वारा की गई है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में राज्य मण्डल के अधिकारियों द्वारा की गयी

(पर्यावरण एवं खनिज मंत्री)

कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए राज्य मण्डल के किसी अधिकारी को दोषी ठहराया जाना न्यायोचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न पूछना चाहूंगा इसमें कि क्या आपने प्रत्येक फैक्टरी से प्रदूषित कितना पानी निकलता है, इसकी जांच करवायी है? यदि नहीं, तो सी.ई.टी.पी. द्वारा स्वीकृत मात्रा का क्या औचित्य रह गया?

दूसरा, यह आपने स्वीकार किया है कि कुछ उद्योगों की सभी जल प्रदूषणकारी प्रसंस्करण मशीनें उपरोक्त कार्यवाही के अन्तर्गत सील की गयी हैं जब कि उन उद्योगों को भी सी.ई.टी.पी. ने निश्चित मात्रा में उच्छिष्ठ निस्त्राव की स्वीकृति दी थी तो यह भेदभाव क्यों है?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक पूछना चाहता हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इनका उत्तर आने दें, आप बाद में पूछ लेना।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि लघु वस्त्र उद्योग में जितनी यूनिट जो पानी डिस्चार्ज करते हैं, इन्फ्लेंट वाटर जो करते हैं उनका सामूहिक रूप से सी.ई.टी.पी. में डिस्चार्ज के लिए आता है। माननीय सदस्य के वहां इंडीविजुअल ट्रीटमेंट प्लाण्ट अगर लगा हुआ है तो निश्चित रूप से उस हिसाब से कार्यवाही की जा सकती है।

बाकी यह जो व्यवस्था है, यह सामूहिक उद्योगों द्वारा, जिनकी लघु वस्त्र उद्योग जिनकी वित्तीय और प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी तकनीकी संसाधनों के अभाव के कारण इन्होंने ज्वोइंट ट्रीटमेंट प्लाण्ट, कॉमन ट्रीटमेंट प्लाण्ट की व्यवस्था की गयी है जिसमें सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट इसको आर्गेनाइज करता है और इनमें तमाम जितने यूनिट हैं इनका तमाम का पानी उस ट्रीटमेंट प्लाण्ट में आकर फिर ट्रीट किया जाता है। इंडीविजुअल कैपेसिटी में अगर ट्रीटमेंट प्लाण्ट है और उसके बारे में आप अगर चर्चा करना चाहें तो ठीक है अन्यथा इन तमाम यूनिट का जो पानी सी.ई.टी.पी. में जो जायेगा उसके नोन-इन्फ्लेंट का जो पानी है उसको ट्रीट करने का आधार सी.ई.टी.पी. ट्रस्ट के द्वारा आर्गेनाइज किया जाता है।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): दूसरे प्रश्न का नहीं आया न।

श्री अध्यक्ष: हां जी, आपका भी है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि तीनों उपचार संयंत्रों का उन्नयन का कार्य माह दिसम्बर, 2005 से आरम्भ करके मार्च, 2007 तक पूर्ण करवाया गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने कितनी एम.एल.डी. कार्य क्षमता इसकी बढ़ायी? इसका 8 करोड़ 93 लाख रुपया खर्च करके इसकी कैपेसिटी कितनी एम.एल.डी. बढ़ायी? यह जवाब दे दें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मैं भी पूछ लूं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं ...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): पहले मेरे प्रश्न का आने दो, मूल प्रश्नकर्ता हूं मैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सवाल पूछ लिया न आपने तो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप बाद में पूछ लेना, मेरे प्रश्न का उत्तर आने दें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): साथ ही जवाब दे देंगे वो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, नहीं साथ में नहीं दे सकेंगे वो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह बांडी नदी में जो उद्योगों का प्रदूषित जल जाता है ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मूल प्रश्नकर्ता का आने दो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इस प्रदूषित जल पीने से कितनी गायों की मृत्यु हुई और इस प्रदूषित जल से कितने काश्तकारों की फसल को नुकसान हो रहा है? यह 200, 400 या 40 औद्योगिक इकाइयों का सवाल नहीं है, लाखों बीघा जमीन किसानों की है, प्रदूषित जल से फसल बरबाद होती है और आपके ट्रीटमेंट प्लाण्ट के बिना यह फैक्ट्रियां चल रही हैं, किसान वहां का बरबाद हो रहा है। इसी महीने की दो तारीख को मैं भी पाली गया था, आपको

(मोहम्मद माहिर आजाद)

भी याद होगा। वहां मेरे से भी लोग, किसान मिले थे कि इस प्रदूषित जल से किसानों को नुकसान हो रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषण दे रहे हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर तो आने दो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कई सैकड़ों गांव प्रदूषित जल से, इस बांडी नदी से हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न को यह हल्का कर रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इन किसानों की फसल को बचाने के लिए, उन गायों को, जो प्रदूषित जल से मरी हैं, उनको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ऐसी हालत है ...(व्यवधान) किसानों की फसलें बरबाद हो रही हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह सवाल पूंजीपतियों, फैक्ट्रियों और कारखानों को बचाने का सवाल नहीं है इससे किसानों को बचाने का सवाल है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय मंत्री महोदय, आपने इस सदन में ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): किसानों की फसलें बरबाद हो रही हैं इससे ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): जिनके खेत खराब हुए हैं उनको मुआवजा दिया जायेगा ...(व्यवधान) एक तरफ काश्तकार बरबाद हो रहा है और दूसरी तरफ उद्योगों को बचाया जा रहा है ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लाखों बीघा भूमि बेकार हो गयी इस प्रदूषित जल से और आपकप सैकड़ों गायें मर गयीं, लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप इन उद्योगों को बंद करिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): और आप औद्योगिक इकाइयों को बचाने के अन्दर लगे हुए हैं। किसानों के हितों का सवाल है, हजारों किसानों का सवाल हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): यह हालत कालाडेरा में है, यही हालत पिलानी में है ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जो भी उद्योग ट्रीटमेंट प्लाण्ट नहीं लगा रहा है और प्रदूषित जल को प्रवाहित कर रहा है, आपको उसको रोकने के लिए सख्त कदम उठाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप उन उद्योगों को बंद कराओ, मंत्री जी। (व्यवधान) गरीब काश्तकार की लाखों बीघा जमीन खराब हो रही है, उनको मुआवजा दिलाओ। (व्यवधान) आप उस जहरीले पानी को पी नहीं सकते। (व्यवधान) आप काश्तकारों के वकील हो या उद्योगपतियों के वकील हो ? आप उद्योगपतियों की वकालत कर रहे हो ...(व्यवधान) आप माननीय मंत्रीजी, काश्तकारों के हित की बात करिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मेरा सवाल है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): और आपने यह बयान दिया था, विधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि आप उनको मुआवजा देंगे, आपने कितना मुआवजा दिया यह भी बताएं?

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मंत्रीजी आपको पता है कालाडेरा में भी यही हालत है और जहां-जहां भी फैक्ट्रियां चल रही हैं आप ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाने से पहले फैक्ट्री को अनुमति नहीं दें।

श्री अध्यक्ष: पहले प्रश्नकर्ता हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपग्रेडेशन के बारे में ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बाद में पूछ लेना, पहले मेरा सवाल है।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: आप क्यों खड़े हो गये जब मंत्रीजी खड़े हैं, आप क्यों खड़े हो गये।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): आपका माइक बंद है।

श्री अध्यक्ष: उनकी हाइट ज्यादा है और माइक नीचा और और थोड़ी आवाज भी धीमी है इसलिए..

श्री महीपाल यादव (बानसूर): नहीं आपका भी अध्यक्षजी, बंद था।

श्री रमेश खींची (कठूमर): माननीय अध्यक्षजी, यह पूरे राजस्थान के किसानों का सवाल है। आप थोड़ा इसको सीरियस लें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मेरे प्रश्न का उत्तर तो आने दें, किसानों की बात कर रहे हो ...(व्यवधान) किसानों की बात, मेरे प्रश्न का उत्तर तो आने दो ...(व्यवधान)

श्री रमेश खींची (कठूमर): आपकी तरफदारी कर रहा हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): तरफदारी बाद में करना आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर आने दें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, जो प्रश्नकर्ता हैं उसका जवाब आएगा पहले, पहले प्रश्नकर्ता का जवाब आएगा।

श्री रमेश खींची (कठूमर): आपकी तरफदारी कर रहा हूं मदन जी ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आज किसानों का प्रतिनिधित्व करते हो माननीय अध्यक्षजी, आप आसन पर बैठी हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप एक साथ चार क्यों खड़े हो?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, हम यह कह रहे हैं आप किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो और आपकी अध्यक्षता के अन्दर किसानों का नुकसान हो रहा है। किसानों की हजारों बीघा जमीन बरबाद हो गयी।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, पहले जवाब उनका आएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पशु मर रहे हैं, गायें मर रही हैं (व्यवधान) आप उद्योग धंधों को, फैक्ट्रियों को लगाने में लग रहे हो ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह बात नहीं हुई ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप किसानों के हितैषी हो, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं ।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): जितने भी उद्योग हैं उनको बंद कर दिया जाए ...(व्यवधान) पाली को इन उद्योगों की कोई जरुरत नहीं है ...(व्यवधान) उद्योगों की पैरवी कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): xxx

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): xxx

श्री अध्यक्ष: आपका नाम किसने पुकारा जो आप खड़े होकर बोल रहे हो? मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा सवाल किया कि आपने 8 करोड़ 93 लाख रुपया खर्च करके कितने एम एल डी क्षमता बढ़ाई, यह जवाब दे दें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कैपेसिटी बढ़ाने की बात की है यह जो आठ करोड़ का इन्वेस्टमैंट हुआ है, इसमें अपग्रेडेशन की बात है। इसमें तकनीकी कार्य क्षमता और उसकी उपचारक की गुणवत्ता इसमें वृद्धि करने की बात है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, गलत बात है। इन्होंने 23 मार्च, 2007 को इसी सदन में यह घोषणा की थी कि 22 हजार से मैं 28 हजार बढ़ाऊंगा। अध्यक्ष महोदय ने फिर पूछा कि 31 मार्च बोल रहे हो, कर दोगे क्या, फिर इन्होंने कहा हां, कर दूंगा। फिर तीसरी बार पूछा, चौथी बार पूछा, यह प्रोसीडिंग्स हैं और 31 मार्च तक 22 हजार से 28 हजार एम. एल. डी. नहीं बढ़ाई। यह सदन को गुमराह किया है। क्यों किया है इसका जवाब दो। यह मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: पहले उनके प्रश्न का जवाब आने दीजिए, नहीं, आप बैठिये, जवाब आने दीजिए।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सुमेरपुर से आने वाले सदस्य, मैं बात कर रहा हूं अपग्रेडेशन की, उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन के लिए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यह राशि स्वीकृत नहीं हुई। इसके लिए एक तो इक्विलाइजेशन टैंक बनाया गया, कार्य

(लक्ष्मीनारायण दवे)

क्षमता व गुणवत्ता बढ़ाने की कार्यवाही की गयी। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें स्थिर अवेचक उपचार संयंत्रों को लगाया गया है और इनलैट प्लेट सेपरेटर लगाये गये हैं, इनलेट पर मेकेनिकल स्टील लगाया गया है और डी जी सैटों की व्यवस्था की गयी है।

यह जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कैपेसिटी बढ़ाने का, कैपेसिटी बढ़ाने का नहीं है। इसमें गुणवत्ता....

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपने स्पष्ट कहा है कि 22 हजार से 28 हजार करूंगा। यह मैंने सदन में प्रोसीडिंग्स रखी हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): यह जो माननीय सदस्य कह रहे हैं गलत है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): गलत नहीं है। यह आपने कहा है हाउस में, मैंने अध्यक्ष महोदय को दिया है।

श्री अध्यक्ष: आप सुनने दीजिए मुझे।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): मैंने यह कहा था कि तीन ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनकी कैपेसिटी यह है और जो पानी निस्त्रावित होकर आता है ट्रीटमेंट प्लाण्ट में वह ट्रीटमेंट प्लाण्ट की कैपेसिटी से अधिक है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य दातारामजी ने जो प्रश्न किया था उससे कुल उच्छिष्ट मात्रा जो सी ई पी टी तक पहुंचती है उसके आंकलन के लिए इंडीविज्युअल किसी यूनिट का आंकलन नहीं किया जा सकता पर संयुक्त रूप से हमने वहां नी नोच और वी नोच वैलोसिटी पद्धति को एडाप्ट किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान समय में संयंत्र की क्षमता है 13.6 एम. एल. डी. प्रथम की और द्वितीय मण्डिया रोड की तृतीय की क्षमता है 9.08 एम एल डी। यह फैज फर्स्ट और सैकिण्ड की है। वर्तमान में उच्छिष्ट की अनुमानित आवक जो है 17 और 18 एम. एल. डी. है और तृतीय फैज की जो है वह 16 और 17 एम. एल. डी. है।

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रीटमेंट प्लाण्ट की जो क्षमता है और उस क्षमता से भी जो अधिक ट्रीट करके पानी यहां पर निस्त्रावित करते हैं उसके बारे में सी. ई. पी. टी. ...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, आप देख लें, इन्होंने स्पष्ट कहा है 22 हजार से 28 हजार करूंगा, 31 मार्च तक करूंगा ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय मंत्रीजी, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, आप तो यह बताने की कृपा करें ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने जो कमेटी गठित की थी और उस कमेटी ने निर्णय लिया था उसके ऊपर मंत्रीजी आपने क्या कार्यवाही की है? वह बताने की कृपा करें ...(व्यवधान) मंत्री महोदय, किसानों के साथ आपने संयुक्त बैठक रखी थी, उस बैठक में जो निर्णय हुआ ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): काश्तकारों की फसल नष्ट हो रही है...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): उस निर्णय की क्या पालना हो रही है? मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करें। जो अनआथोराइज औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं उनका जो पानी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप इतने माननीय सदस्य बोलने लग जायेंगे तो वह कुछ भी जवाब नहीं दे पायेंगे ...(व्यवधान) आप क्यों खड़े हैं यहां पर, आप किसलिए खड़े हैं, आपका नाम मैंने नहीं पुकारा है... (व्यवधान) अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) आप प्लीज स्थान ग्रहण कर लें। रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, मैं देख रही हूं आप आसन की बहुत अवहेलना कर रहे हैं ...(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी आपने पिछले सत्र में जवाब दिया था और आसन ने आपसे पूछा था कि आप इसे कब तक कम्पलीट करा देंगे, तो आपने कहा था 31 मार्च तक कम्पलीट करा देंगे। फिर मैंने दुबारा पूछा कि 31 तारीख बता रहे हैं, उसके बाद भी विधान सभा चलेगी तो 31 को आप श्योर तो हो लीजिए कि 31 को हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): 31 मार्च को कम्पलीट हो चुका माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कैपेसिटी नहीं बढ़ाई।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): कैपेसिटी की बात ही नहीं है। अब आप इस चीज को समझते नहीं। अपग्रेडेशन में कैपेसिटी की कोई व्यवस्था नहीं थी। अपग्रेडेशन में कैपेसिटी की कोई व्यवस्था नहीं थी ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैंने हाइलाइट करके ...(व्यवधान) 22 हजार से 28 हजार की कैपेसिटी बोली है। इन्होंने हाउस में बोला है ... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रीटमेंट प्लाण्ट के अपग्रेडेशन की कार्यवाही कम्पलीट हो चुकी थी ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप मेरी बात सुनिये पहले, आप सुनिये, आपने यह भी कहा है और जितनी इसकी कैपेसिटी है वह कैपेसिटी भी बढ़ेगी, यह भी आपने कहा है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने प्रस्ताव कर रखा है। चौथे ट्रीटमेंट प्लाण्ट के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी यह जो भारत सरकार की राशि है तीन ट्रीटमैंट प्लाण्ट की बात है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 8 करोड़ 93 लाख रुपया खर्च किया है आपने इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ...(व्यवधान) चौथा अलग है उसका दस करोड़ अलग है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): इसमें अपग्रेडेशन का है, गुणवत्ता का है। कैपेसिटी बढ़ाने का कोई प्रोविजन नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ट्रीटमैंट प्लाण्ट ही धोखा है, यह किसानों के साथ धोखा है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह ट्रीटमेंट प्लान्ट बहुत बड़ा धोखा है। इस ट्रीटमेंट प्लान्ट को बंद करवा दीजिये और इन फैक्ट्रियों से कृपा करके काश्तकारों के हित में पानी मत बहाइये। (व्यवधान) वह बरबाद हो रहे हैं किसान। एक लाख लोग बरबाद हो रहे हैं ..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): किसानों की लाखों बीघा जमीन नष्ट हो रही है। गाय मर रही हैं और आप कह रहे हैं फैक्ट्रियों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय मंत्रीजी, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते आप .. (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): विधान सभा में प्रश्न दे दिया .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ। अब आप स्थान ग्रहण करें। वह जवाब दे रहे हैं। स्थान ग्रहण करें ..(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मेरे विधान सभा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है एक जानकारी यदि ..(व्यवधान) यह मेरे विधान सभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह मेरे क्षेत्र में है इसलिये मुझे अनुमति दीजिये ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यदि इतने माननीय सदस्य बोलेंगे तो मैं भी नहीं सुन पाऊंगी, सदन के और माननीय सदस्य भी नहीं सुन पायेंगे। लेकिन मैं मंत्रीजी, मैं सभी मंत्रियों को एक बात निवेदन करना चाह रही हूं आप यहां पर एश्योरेंस तो दे देते हैं और एश्योरेंस देने के बाद वह चीजें पूरी नहीं होती हैं मेहरबानी करके ऐसा एश्योरेंस नहीं दीजिये जो पूरा नहीं हो ..(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात नहीं समझ पा रही हैं। एश्योरेंस वाली बात आप नहीं समझ पा रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अपग्रेडेशन वाला मामला है ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट उनकी बात सुनें ..(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): गुणवत्ता का मामला है। चौथा ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाने के लिए हमने प्रस्ताव कर रखा है उसके कारण अपग्रेडेशन होगा और कैपेसिटी बढ़ेगी। इसके कारण नहीं बढ़ेगी.. (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप उसे निरस्त करो मत बनाओ उसको ..(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): किसानों के हित में बंद करो फैक्ट्रियों को ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप उनको सुनना क्यों नहीं चाहते हैं। आप सुन तो लो। आप मंत्री को सुन लो ..(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): तो किसानों की बात की है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि डेढ़ वर्ष पश्चात् ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। सुन लीजिए आप ..(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन जो दिये थे उसके आधार पर 2004 के बाद जो नोन पॉल्यूटिंग वाटर से, जल से संबंधित जो यूनिट थीं उसके सम्बन्ध में हमने टैक्सटाइल वालों से और किसानों से राज्य सरकार के स्तर पर मीटिंग की और मीटिंग में सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि 2004 के बाद .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो अब तक क्यों नहीं किया ? अभी तक काटा गया ? आपने वादा किया था। लाइट, पानी काट लिया क्या 63 यूनिट्स का ? 63 यूनिट जो चल रही हैं और जिनमें कोई ट्रीटमेंट प्लान्ट नहीं है लाइट, पानी काटा आपने क्या ? आपने कहा है। कहा है ..(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): दो और तीन का क्लियरकट कहा है। यह प्लान्ट नम्बर दो और तीन फिर ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 12.02 हो गये प्रश्नकाल समाप्त हुआ। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार आपसे निवेदन कर रहा हूं। एक मुद्दा बस मामूली है ..(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): किसान बरबाद हो रहे हैं। आन्दोलन कर रहे हैं उनको लाठियों से पीटा जा रहा है और आप कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। इस ट्रीटमेंट प्लान्ट को बंद किया जाए ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हो गया। मंत्रीगण, सदस्यगण अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें। प्रश्नकाल समाप्त हुआ ..(व्यवधान) जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है तो जवाब नहीं हो सकता। नो-नो। समाप्त-समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचना देनी पड़ रही है कि मंत्रिपरिषद् के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव प्रतिपक्ष ने रखा है। माननीय रामनारायणजी चौधरी और 25 अन्य सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 132 के अन्तर्गत मंत्रिपरिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव की निम्न सूचना दी है, यह सदन मंत्रिपरिषद् के प्रति अपना अविश्वास प्रकट करता है। अब उक्त प्रस्ताव यद्यपि नियमानुसार नहीं है। इसलिए नहीं है कि यह सूचना दी जानी चाहिये थी सचिव को। हमारे नियम ..(व्यवधान) पहले बात सुन लीजिये। बीच में नहीं बोलेंगे आप। मुझे सुन लीजिए पहले। यह हमारी नियमावली के जो नियम हैं उसमें यह है कि यह सूचना सचिव को दी जायेगी। आपने यह सूचना सचिव को नहीं दी। यह भी है कि एक घंटे पहले दी जायेगी। हमारे नियम तो इसके बारे में मौन हैं। राजस्थान के नियम तो मौन हैं लेकिन काल और शकधर यह बात कहते हैं कि एक घण्टा पहले सूचना दी जायेगी इसलिए नियमानुसार तो नहीं है। फिर भी इस पर सदन की आज्ञा ली जाने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमति प्रदान कर रही है ..(व्यवधान) सुनिये। अनुमति जब 40 होंगे, यह बात इसलिए मैं आपके 40 ..(व्यवधान) बीच में नहीं बोलेंगे आप। इसलिए इस सम्बन्ध में जो प्रक्रिया अपनायी जायेगी वह मैं आपको बता रही हूं। क्या प्रक्रिया होगी अनुमति देने के लिए सदस्यों की संख्या कम से कम 40 सदस्य होंगे तो जाकर इसकी अनुमति दी जा सकती है। लेकिन जो पेश करेगा, माननीय सदस्य, वह सदस्य अनुमति जब मांगेंगे, पहले आप पेश करेंगे इसे तो भाषण नहीं देंगे केवल यही एक सेन्टेंस करेंगे कि ''यह सदन मंत्रिपरिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है।'' उक्त प्रस्ताव किस दिन विचारार्थ लिया जाए इस बारे में यदि सदन द्वारा उचित समझा जाए तो, आपने तो, सूचना दे दी प्रक्रिया के नियम 132(2) के अन्तर्गत, ऐसे प्रस्ताव अनुमति मांगने के दिन से 10 दिन के भीतर-भीतर कार्य तय करने पर विचार किया जाता है उसे विचारार्थ लिया जाता है। आप 40 माननीय सदस्य, मैंने कहा दोनों ही आपका नियमानुसार तो नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि आपने दिया है प्रस्ताव तो इस बारे में मैं मंजूर कर रही हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपका अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: हां, 40 सदस्य, लेकिन 40 सदस्य हों। पहले 40 सदस्यों के बाद दूंगी अनुमति। आप कृपया पहले ..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अभी तो आपके पास विचारार्थ है। अब नियमानुसार आप इसमें पेश करें फिर आप 40 ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पहले पेश करें। पहले आप पेश करिये। (व्यवधान) हां, मैं करूंगी ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रतिपक्ष के नेता रखना ही नहीं चाहते अविश्वास का प्रस्ताव। आपने रखा है, आप प्रस्ताव कर रहे हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष: अनियमित होते हुए भी मैंने इसे इनआर्डर मान लिया। अनियमित होते हुए भी आपकी दोनों बातें सचिव को देने वाली और एक घंटा पूर्व देने वाली, यद्यपि दोनों ही बातें नहीं हैं फिर भी आप पेश करें ..(व्यवधान) प्रस्तुत करने की ..(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमेशा के लिए कोई परम्परा तो नहीं बन जायेगी अगर यह नियमों में नहीं है तो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहना नहीं चाहिये सदन के व्हिप के द्वारा प्रस्ताव नहीं आया तब भी हमने एक्सपेल किया। यह नियम के अन्तर्गत है ? परम्परा के अन्तर्गत है ? परम्परा और नियमों की बात करें तो एक रूलिंग पार्टी के सदस्य को सत्र समय के लिए आपने बाहर निकाला यह प्रस्ताव क्या सदन ने रखा है ? यह नियम के अन्दर है ?

श्री अध्यक्ष: आपके नेता खड़े हैं ..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह नियमों में है, माननीय अध्यक्षजी को यह अधिकार है कि किसी भी माननीय सदस्य को सदन से बाहर निकाल सकते हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इस हाउस में, सत्र के लिए नहीं निकाल सकते। माननीय अध्यक्ष एक दिन के लिए निकाल सकते हैं। नियम और कानून की बात कर रहे हैं। जब हम परम्परा की बात कर रहे हैं तो हमको मत दिलाओ यहां ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कल तो आप बड़ी घुट-घुट कर बात कर रहे थे सदन की नेता से और आज अविश्वास का प्रस्ताव ले आए। कल एक घंटा तक घुट-घुट कर बात करी है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप बात तो सुनो।

श्री अध्यक्ष: क्या बात सुनूं ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हम तो सैक्रेटरी साहब को ही देने जा रहे थे ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो फिर क्या हुआ ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): लेकिन आपके पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने हमें घेर कर आपके पास पेश करवा दिया। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर इसके जनक हैं क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): और आप साक्षी के तौर पर अपने सचिव महोदय से यहां तो नहीं चैम्बर में पूछ लीजिएगा मैं वहां चला गया था। तो यह मुझे वहां पता चला कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने आपको पेश करवा दिया ..(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): आपसी समझौते का मामला है .. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब आपकी और मेरी बात यहां क्यों कह रहे हो ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): दोनों में समझौता है .. (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): यह गोपनीय दस्तावेज है ..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह तो पहली बार देखा साहब हमने।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप साक्षी के तौर पर अपने सचिव महोदय से यहां तो नहीं लेकिन चैम्बर में पूछ लीजियेगा, मैं वहां चला गया था लेकिन मुझे तो वहां पता चला कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने आपके पेश करवा दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वह आपकी और मेरी बात है, यहां क्यों कह रहे हो ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): दोनों में समझौता है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह तो पहली बार देखा गया ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आदरणीय महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 132..

श्री अध्यक्ष: वह तो मैंने कर दिया उद्वरित, आप तो केवल अपना अविश्वास का प्रस्ताव पढ़ दें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): वही पढ़ रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): इतना तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छा है मेरा नाम आ जायेगा, दो लाइनें लिख जायेंगी मेरे नाम के साथ।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, अच्छा, पढ़िये, हां, हां, पढ़ें, चलिये।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्रिपरिषद में अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना प्रेषित है। यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास प्रकट करता है। उक्त प्रस्ताव पर नियमानुसार सदन की परंपरा के अनुसार अवसर प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: कल तो विश्वास प्रकट कर रहे थे। कल तो विश्वास प्रकट कर रहे थे, आज अविश्वास हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, नहीं, उक्त प्रस्ताव पर ...(व्यवधान) प्रस्ताव नहीं आया है, केवल सूचना दी है। यह प्रस्ताव नहीं किया है, प्रस्ताव का विधिवत मूव नहीं किया है इन्होंने, इन्होंने सिर्फ सूचना दी है। अगर इनको प्रस्ताव रखना है तो मूव करें विधिवत रूप से। सूचना दे रहे हैं, सूचना पढ़ रहे हैं यह तो ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह फैसला आप नहीं करेंगे, यह फैसला आसन करेगा कि यह प्रस्ताव है या नहीं है, आपको नियमों की जानकारी नहीं है आप तो वहां पर ही चालीस ...(व्यवधान) दस्तखत करने लगे ...(व्यवधान) केवल एक आदमी नियमों में अकेला आदमी पेश कर सकता है ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आप आसन से बात करिये, इधर मत करिये ...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): चालीस हाथ खड़े करेंगे ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आसन से ही तो निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 60 मौजूद हैं 60 ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आसन से ही तो निवेदन कर रहा हूं कि व्यवस्था इसमें भी दीजिये ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह सी.पी. जोशी सारा काम गड़बड़ करवाते हैं, यह लिख देते हैं ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास प्रकट करता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह हुई बात ... (व्यवधान) करिये साहब।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): हाथ खड़े करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 40 हाथ खड़े करो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप खड़े होवें ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): 40 से क्या होगा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, नहीं, 40 ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खड़े होवें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): गिनें साहब, 40 नहीं हैं ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, 40 नहीं हैं, यह संख्या पूरी नहीं है अध्यक्ष महोदय, संख्या पूरी नहीं है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): 38 हैं, 38 हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 38 हैं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 54 हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 38 हैं ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): 47 हैं, 47 ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 40 ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रार्थना करूंगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, अब आप बतायें कब समय दिया जाये ...(व्यवधान) आप टाइम बता दें कब चर्चा करायें ...(व्यवधान) नहीं, अनुमति है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह निवेदन करना चाहूंगा, यह सही है कि नियमों और प्रक्रिया के नियमों में ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पहले इस पर चर्चा होगी, पहले इस पर चर्चा होगी, अब कोई नियम ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अब नियम नहीं बतायें ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपको फैसला करना है ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपको फैसला करना है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कहने तो दें ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): किस पर बोलना है ...(व्यवधान) यह कोई जीरो आवर नहीं है ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सरकार को जाना ही पड़ेगा ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपने हमें कहा कि नियमों में नहीं लाये ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब कुछ नहीं हो सकता है ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप नियमों में आयें। नियमों में आपको फैसला करना है, आप चैम्बर में जाकर के फैसला कर लें। हम कोई बातें नहीं सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप उनको बोलने का मौका दें ना ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): फैसला आपको करना है ...(व्यवधान) इनकी बात नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नो, कोई नहीं बोल सकता है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं करूंगी ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हो गयी ...(व्यवधान) आपने संख्या गिन ली ...(व्यवधान) आप स्वीकार कीजिये और चर्चा प्रारम्भ करायें ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माहिर साहब ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार 40 आदमी हम खड़े हो गये। आप फैसला करवायें, हम इनको नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन की परम्परा की तरफ आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, 40 आदमी हम खड़े हो गये हैं, आपको फैसला करना है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 22 वर्ष के अंतराल के बाद यह अविश्वास का प्रस्ताव आया है ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप सबको डांटते भी रहें, नियमों में यह कौनसा नियम है, यह कौनसा नियम है, कोई अलाऊ ही नहीं है इसमें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब बोल रहे हैं, सुन तो लो कि क्या कह रहे हैं ...(व्यवधान) सुन तो लीजिये ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह कोई नियम ही नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मुझे अलाऊ किया है ...(व्यवधान) मुझे अलाऊ किया है ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई नियम नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सी.पी. साहब मुझे अलाऊ किया है ...(व्यवधान) सी.पी. साहब मुझे अलाऊ किया है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसमें लिखा है ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इसमें नियम ही नहीं है ...(व्यवधान) आप चैम्बर में बात करिये ...(व्यवधान) हाउस में बात नहीं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सी.पी. साहब मुझे चेयर ने अलाऊ किया है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें। उनको यह कहने का हक तो है ना कि कब नीयत किया जाये ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बात यह नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यह क्या बात हुई ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह नहीं है, यह लीडर हैं क्या, इनको नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यह गलत बात है ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, लीडर को है इनको नहीं है। यह आप बहुत गलत परम्परा डाल रहे हैं, हाउस के अंदर लीडर नहीं आये हैं, यह किस कारण बोल रहे हैं ...(व्यवधान) फैसला करना है, लीडर ऑफ दी हाउस आकर के बोलेंगे, यह किस पर कर लेंगे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अध्यक्षीय व्यवस्था पढ़कर सुनाना चाहता हूं ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपने बहुत गलत परम्परा डाल रखी है ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत गलत परम्परा डाल रखी है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं आपकी अनुमति से 22 वर्ष पहले जब अविश्वास का प्रस्ताव आया था तब तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी थी उसकी ओर ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जिस मंत्रिपरिषद पर अविश्वास प्रस्ताव रखा है उसकी बात कैसे सुनेंगे हम ...(व्यवधान) चीफ व्हिप बोलें। नहीं सुनेंगे अध्यक्ष महोदय।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, मंत्रिपरिषद में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरी सुनिये ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान) बिलकुल नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मंत्रियों को नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान) बोल सकते हैं ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अविश्वास प्रस्ताव आ गया मंत्रिमंडल पर ...(व्यवधान) आप फैसला करिये ना ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपको फैसला करना है ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान) मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास रखा है हमने ...(व्यवधान) मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास रखा है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): करना चाहूंगा, व्यवस्था पर ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मंत्रिपरिषद में अविश्वास रखा है ...(व्यवधान) मंत्री नहीं हो सकता है, मुख्य सचेतक कहें ...(व्यवधान) चीफ व्हिप कहें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अविश्वास प्रस्ताव आते ही उसे करेगा अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मंत्री नहीं बोल सकता है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तीन घंटे का समय निश्चित किया ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मंत्रियों पर विश्वास ही नहीं है कोई ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और आपकी पार्टी के नेता, जब चीफ व्हिप थे उन्होंने जो कुछ कहा, बुलाकीदासजी कल्ला ने जो कहा मैं उसे उद्द्धृत करना चाहूंगा, हम चाहते हैं आप समय तय करें, सरकार अविश्वास के प्रस्ताव का जवाब देने को तैयार है ...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: नो, नो ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हम चाहते हैं सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, हिम्मत है तो ...(व्यवधान) अध्यक्षीय व्यवस्था

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है, मैं इसके बारे में आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा और अगर आप अनुमति दें तो मैं ...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपको फैसला करना है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठिये, स्थान ग्रहण करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह किस आधार पर बोल रहे हैं ...(व्यवधान) किस आधार पर बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें ...(व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें ...(व्यवधान) शांत रहें ...(व्यवधान) अब आप नहीं बोलेंगे ...(व्यवधान) अब आप नहीं बोलेंगे, सुनिये आप लोगों ने सुना नहीं, मि. रामलाल, आप लोगों ने सुना नहीं, उन्होंने केवल यह कहा है कि पिछली बार जब अविश्वास का प्रस्ताव आया था तो मुख्य सचेतक ने खड़े होकर के आपके जो मुख्य सचेतक थे कल्लाजी ने ...(व्यवधान) आप बात तो सुनिये, नो, गलत बात है, बीच में बोलते हैं आप, गलत बात है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मंत्रिपरिषद में अविश्वास है ना यह ...(व्यवधान) यह क्या तरीका होता है, नहीं बैठेंगे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह गलत बात है आपकी ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मंत्री नहीं बोल सकता है ...(व्यवधान) ऐसे कैसे धमकाओगे आप ...(व्यवधान) क्या तरीका है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): क्या तरीका लगा रखा है ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मुख्य सचेतक बोल सकते हैं ...(व्यवधान) आप कौन होते हैं बोलने वाले ...(व्यवधान) घर का राज समझ रखा है ...(व्यवधान) घर का राज है क्या तुम्हारा ...(व्यवधान) ऐसे नहीं बोल सकते हैं ...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आसन पैरों पर है उसका तो ख्याल रखें ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): दादागिरी लगा रखी है यहां ... (व्यवधान) दादागिरी आ गयी ...(व्यवधान) यह क्या तरीका हुआ ... (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया ...(व्यवधान) आप समझ ही नहीं रहे हो। आप तो सुनने को ही तैयार नहीं हो। सदन की कार्यवाही 12.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.18 बजे 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समय : 12.30 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्षः आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है। आधा घंटे के लिए सदन की बैठक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.30 बजे आधा घंटे के लिए स्थगित हुई)

(समय : 13.00 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: जैसा कि...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आज का बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा।

श्री अध्यक्ष: क्यों?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्योंकि आपने हमको लिखकर दिया है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में पास हुआ है, what is the business of the House. That has been informed to us. You have not changed it. आपको 11.00 बजे अविश्वास का प्रस्ताव मिल गया था, आपको चेंज करना था तो पहले आप अनाउंस करते कि आज का जो बिजनेस है उसके पहले मैं अविश्वास का प्रस्ताव ले रही हूं. That you have not communicated to us.

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, अविश्वास के प्रस्ताव पर टाप प्रायरटी लेकर माननीय अध्यक्षजी ने आपके

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

कहने पर, आपका इसमें नियमानुसार नहीं आने के बाद भी अनुमति दी, अब आप कह रहे हैं ..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आप नियमों का हवाला दे रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको नियमानुसार सबसे पहले यह अनाउंस करना था कि आज के बिजनेस को मैं सस्पेंड करती हूं, सस्पेंड करके प्राथमिकता के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लेती हूं। आपने यह चेयर से प्रोनाउंसमेंट नहीं किया, आपको सबसे पहले प्रोनाउंसमेंट करना था कि आज के बिजनेस को सस्पेंड करती हूं और मैं अविश्वास प्रस्ताव लेती हूं। आप उठाकर देख लें ..(व्यवधान) इसके बिना नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, आप परम्पराओं की बात कर रहे हैं पिछले तीन दिन से। तीन दिन से आप परम्पराओं की बात कर रहे हैं, 50 साल की परम्पराओं की बात कर रहे हैं। आप उठाकर देख लीजिए आपने यदि फैसला किया हो कि आज के बिजनेस को मैं सस्पेंड करती हूं और अविश्वास का प्रस्ताव लेती हूं तो समझ में आता। आपने अभी तक इस क्षण तक हाउस में अध्यक्ष महोदय, आज के बिजनेस को सस्पेंड नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह कहना चाहता हूं और विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 132(2) की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं- यदि अध्यक्ष की राय हो ..(व्यवधान) 132(3) में लिखा है- अध्यक्ष सदन में चर्चा करने के लिए समय नियत करेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास है। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य नहीं बोल सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 132 (3) में लिखा है ..(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर 1981 में अविश्वास का प्रस्ताव आया था ..(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, 1985 में अविश्वास का प्रस्ताव आया था ..(व्यवधान) सरकार ने इनके चैलेंज को स्वीकार किया है। इनके प्रस्ताव पर आप समय तय करें हम इनकी चुनौती को स्वीकार करेंगे, हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण ..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पाइंट आफ आर्डर अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, यह सदन नियम और कानून से चलता है।

श्री अध्यक्ष: 1979 में ..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, संविधान में आपको भी यह अधिकार दिया है बिजनेस के जो अधिकार दिये हैं वे कांस्टीट्यूशन में दिये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: मुझे क्या अधिकार है?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत ही चलता है।

श्री अध्यक्ष: क्या अधिकार है और क्या नियम है, मैं भी जानूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान रूल 132 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। "If leave is granted under sub-rule (2), the Speaker may, after…" Not 'shall'. " … the Speaker may, after considering the state of business in the House, .." मैं फिर दुबारा पढ़ रहा हूं 132(3) देख लीजिए। "If leave is granted under sub-rule (2), the Speaker may, after considering the state of business in the House, .." यह हाउस में जो बिजनेस है उसको अभी तक बदला नहीं है। You have communicated to us that आज पुलिस बिल आएगा यह हमारे पास भी लिखा हुआ है – "… allot a day or days or part of a day for the discussion of the motion." After the transaction of the business. It is not in your hand, अध्यक्ष महोदय. Please don't misinterpret. यह आधे पढ़े वकील मुख्य मंत्री को डुबोएंगे, इस सरकार को भी डुबोएंगे इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं आप बता दीजिए कि आपने इस बिजनेस को ट्रांजेक्शन किया या नहीं पहले। जब तक आप हाउस के बिजनेस को ट्रांजेक्शन नहीं करें तब तक रूल थर्ड के अन्तर्गत आपको पार्ट आफ बिजनेस की अनुमति का अधिकार नहीं है ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 132 (3) में लिखा है ..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह कानून में नहीं है ..(व्यवधान) राजा को खुश करने के लिए ..(व्यवधान) यह नियम और कानून का राज है, रूल थर्ड के अंदर बहुत स्पष्ट है, आप हर बार पढ़ लें, 5 बार पढ़ लें, बिलकुल क्लीयर लिखा हुआ है आप हाउस के बिजनस को पहले ट्रांजेक्शन करेंगे उसके बाद आप करेंगे, उसके पहले आप नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है, यह प्रतिपक्ष का दुर्भाग्य है कि अविश्वास का प्रस्ताव लाने के बाद आप चर्चा करना नहीं चाहते।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि आप जैसा आदमी बना हुआ है यहां पर। यह प्रतिपक्ष का दुर्भाग्य है या नहीं, भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है कि आप जैसा मुख्य मंत्री का एडवाइजर बना हुआ है, इससे बड़ा दुर्भाग्य भारतीय जनता पार्टी का हो नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कांग्रेस की तैयारी पूरी नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आप नियम और कानून को फिर दुबारा पढ़ लें, रूल थर्ड बहुत क्लीयर कहता है, आपने जो हमें बिजनेस कम्युनिकेट किया है उस बिजनेस को आपने एन्टर नहीं किया है .. (व्यवधान) आप पहले बिजनस को ट्रांजेक्शन करिए, उसके बाद पार्ट आफ दी डे कर सकते हैं उसके पहले नहीं कर सकते। मनमर्जी से हाउस नहीं चलेगा, प्रतिपक्ष प्रोटेस्ट करेगा। आपको निर्णय करने से पहले रूल 132 का थर्ड पार्ट देखना पड़ेगा उसके पहले नहीं ले सकते।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): स्पीकर को पावर है, स्पीकर चाहे वो कर सकते हैं। आप क्यों भाग रहे हैं, आपकी तैयारी पूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: इस सदन के अंदर 1979 में अविश्वास का प्रस्ताव आया था ..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होगा। या तो बाहर निकाल दीजिए आप। (व्यवधान) बाहर निकाल दीजिए। (व्यवधान) नहीं सुनेंगे हम इस बात को। (व्यवधान) रखिए, हमारा प्रस्ताव रखिए। (व्यवधान) बाहर निकाल दीजिए। (व्यवधान) ऐसे नहीं चलेगा। नियम और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नहीं चलेगा। (व्यवधान) या तो बाहर निकाल दीजिए।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आसन को धमका रहे हैं ..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बाहर निकाल दीजिए आप।

श्री अध्यक्ष: इस मामले में अध्यक्षीय व्यवस्था भी हुई है और वह अध्यक्षीय व्यवस्था मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप रूल सुनाएं, अध्यक्ष की व्यवस्था बाद में आती है। आप गलत परम्परा मत डालिए।

श्री अध्यक्ष: नई व्यवस्थाएं हो सकती हैं वे इसका पार्ट हो जाती हैं। अध्यक्ष की व्यवस्था इसका पार्ट हो जाती हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): गलत परम्परा मत कोट करिए। आज दिन तक अध्यक्षीय व्यवस्था में पहले रूल को रेफर किया गया है। आज दिन तक अध्यक्ष की व्यवस्था में पहले रूल को डिस्पोज किया गया है फिर व्यवस्था कोट की गई है, गलत परम्परा डाल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: पहले की व्यवस्था सुना सकती हूं ..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप बाहर निकाल दीजिए।

श्री अध्यक्ष: आप बैठो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं बैठूंगा मैं। बाहर निकाल दीजिए आप।

श्री अध्यक्ष: बाहर जाना चाहते हैं क्या?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हां, बाहर निकाल दीजिए आप।

श्री अध्यक्ष: मुझे क्या फर्क पड़ता है?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हाउस चलाइए, हमें बाहर निकाल दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव से भागना चाहती है। हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चाहते हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): रखिए, प्रस्ताव रखिए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): हाउस कोई धौंस से चलेगा क्या?

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): प्रस्ताव रखते हैं और चर्चा से बचना चाहते हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह आपका घर का राज नहीं है। कानून से काम चलेगा। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सदन छोड़कर भागने की तैयारी मत करो। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, सरकार हठधर्मिता से ऊपर उठ चुकी है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष: अध्यक्षीय व्यवस्था को नहीं सुनना चाहते हैं?

श्री महीपाल यादव (बानसूर): यह सदन लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। हठधर्मिता नहीं चलेगी। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): रूल पहले कोट करेंगे, परम्पराएं बाद में होगी। (व्यवधान) पहले आज के दिन की कार्यसूची को निपटाया जाए उसके बाद करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कार्यसूची को कैसे निपटाएं जब आपने मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास कर दिया। (व्यवधान) हाउस का मंत्रिपरिषद में विश्वास है यह बात प्रकट कीजिए उसके बाद हाउस में कोई बिजनेस आएगा। (व्यवधान) जब आपने मंत्री परिषद् के प्रति अविश्वास प्रस्ताव रख दिया। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): यह डांग क्षेत्र नहीं है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मंत्री परिषद् पर विश्वास नहीं है, यह बात प्रकट कीजिए उसके बाद में हाउस में कोई विषय आएगा। (व्यवधान) जब अविश्वास प्रस्ताव ही लग गया तो फिर दूसरा विषय कैसे आ सकता है ? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आपको न्याय करना पड़ेगा। जिस मंत्री परिषद् के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा है उससे गाइड हो रहे हो ? आपकी ड्यूटी क्या बनती है ? आप निष्पक्ष हैं, अध्यक्ष महोदय, जिस मंत्री परिषद् के खिलाफ हमने अविश्वास प्रस्ताव रखा। (व्यवधान) आपको गाइड होना पड़ेगा नियम और कानून से। नियमों में क्या लिखा है, बताइए आप। बिना नियम के फैसला कर लेंगे क्या आप ? यह कोई भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है जो फैसला करेंगे आप?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सदन के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद होगा। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, निष्पक्ष फैसला करिए। यह कानून में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, आपको पहले बिजनस का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसमें लिखा हुआ है कि अध्यक्ष कर सकेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपने किया नहीं है करने की स्टेज पर है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप तय करेंगे कि यह जो कार्य सूची है उस पर आप विचार करेंगे। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कर दीजिए, यह राजा का राज नहीं है। (व्यवधान) आपको कल पता पड़ेगा, आज बोल तो रहे हो। शक्ल देखना कल पता पड़ेगा, आपको क्या हो रहा है ? बिराजो आप। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी लिख रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं आप, देख भी उधर रहे हैं नाथूसिंहजी की तरफ।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): आपके कारनामे पूरा प्रदेश जान चुका है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उस समय कल्लाजी ने कहा कि जिस समय यह आब्जेक्शन हुआ कि चर्चा के बाद की जाए।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): प्रदेश की जनता आपके कारनामों को जान चुकी है, सफाई की जरूरत नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हम सब तैयार हैं, इस पर चर्चा आज ही करवाई जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रूल 3 दस बार पढ़िए आप। यह कोई प्रिसिडेंट नहीं है, पहले रूल फालो करेगा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस अविश्वास प्रस्ताव को विचारार्थ लिया जाए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कानून व नियमों के ऊपर परम्पराएं नहीं होती हैं, नियम पहले लागू होते हैं फिर इस कानून के अन्दर एक ज्यूडिशियल आदमी को सेक्रेटरी क्यों बनाया है हमने ? फिर तो किसी भी आदमी को बना लेते हम, ज्यूडिशियल आदमी को सेक्रेटरी इसलिए बनाया कि

(डा. सी. पी. जोशी)

वह कानून को ठीक ढंग से इंटरप्रिएट करे। (व्यवधान) आपको दिन का बिजनेस करना पड़ेगा, अध्यक्ष महोदय, उसके बाद आप फैसला करिए, जो भी कर रहे हैं, हम तैयार हैं। हमारे कौन से आते नहीं हैं ? (व्यवधान) बाद में आप फैसला करेंगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उसको पेश करने के लिए हम तैयार हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम तैयारी में नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम एवं परम्पराएं भी हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जब अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया, आपने उसके पक्ष में सदस्यों को खड़ा किया और उसके बाद में सदस्य संख्या जब पूरी थी तो आपको यह कहना चाहिए था कि चूंकि अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हो गया है इसलिए मैं सदन में आज की जो नियत कार्य सूची है उसको स्थगित करके और पहले इसको लेती हूं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप बिराजें, मुख्य मंत्रीजी तो सुन ही नहीं रहीं, आप क्यों खड़ा होकर हल्ला कर रहे हैं ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उसके बाद आप कह रहे हो, इस पर करेंगे। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): इससे आपके नम्बर नहीं बढ़ेंगे, बेकार है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नम्बर किसके बढ़ाओगे, आप तो अपने ही बढ़वा लो। (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): अब आप आसन को डाइरेक्शन देंगे ? अभी इस स्थिति में नहीं हैं आप ? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): संविधान का उल्लंघन करने का अधिकार न अध्यक्ष महोदय को है, न किसी को है, भारतीय संविधान के अन्तर्गत यह नियम बना हुआ है, संविधान का वाएलेशन करने का अधिकार नहीं है आपको। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पहले मंत्री परिषद् के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लो, पहले उस पर होगी चर्चा। (व्यवधान) क्या होगा इसमें खड़े हो गये यहां आकर? नियमों से चलेगा हाउस। (व्यवधान) पहले नियम फिर प्रथाएं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 22 वर्षों के बाद अविश्वास का प्रस्ताव आया है और इतने गेप के बाद वापस इसको लेकर आए हैं। (व्यवधान) हम सब तैयार हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत रूल बने हुए हैं, इन नियमों का वाएलेशन करने का अधिकार आपको, हमको नहीं है। संविधान के अन्तर्गत बने रूल हैं। संविधान का वाएलेशन करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। (व्यवधान) संविधान के बने हुए रूल 3 के अन्तर्गत, अध्यक्ष महोदय, आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन करने के पावर हैं।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप 12 दिन में करवाएं, एक दिन में करवाएं, पर पहले आपको हाउस में बिजनेस ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): इस किताब में जो लिखा हुआ है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यहां नियमों, कानूनों पर बता रहे हैं और संविधान के अंतर्गत जो कानून बने हुए हैं। +++ हम आपसे आशा करते हैं, अध्यक्ष महोदय, आप कामनवेल्थ की मीटिंग में जा रही हैं, +++ आपको उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा कि संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत सेशन चल रहा है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): तो आप अविश्वास प्रस्ताव बाद में लाते।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): इसमें ऐसी कौन सी बात लिखी हुई है जो आप इतना जोर-जोर से बोल रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 3 नम्बर पढ़िए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आप यदि मुझे सुनेंगे तो मैं सब स्पष्ट कर दूंगी।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): इसमें यह है कि अनुमति दे दी जाए, अध्यक्ष महोदय, सदन के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद चर्चा के लिए कोई दिन तय कर सकते हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कार्य की सूची तो हमारे पास आज पुलिस एक्ट है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): ढंग से पढ़ें इसको। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पढ़ लिया ढंग से। (व्यवधान) पढ़ा लिखा हूं आपसे ज्यादा ...(व्यवधान) क्या पढ़ें ? यह क्या दादागिरी है ? क्या पढ़ लें ? (व्यवधान) यह क्या पढ़ लिया, हम अनपढ़ हैं क्या ? (व्यवधान) आप ही पढ़े लिखे हो क्या ? (व्यवधान) पढ़े-लिखे बातें कर रहे हैं अपनी। (व्यवधान) हम आपकी मर्सी पर नहीं हैं। हम प्रोटेस्ट करेंगे तो करेंगे। (व्यवधान) हां, पढ़ लीजिए। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों की व्याख्या वही नहीं जो सी पी जोशी करेंगे, वही नियमों की व्याख्या नहीं है, नियमों की व्याख्या अध्यक्षजी करेंगे। (व्यवधान) वही नियम बता रहे हैं जो अध्यक्ष महोदय, कर रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बताइए अध्यक्षजी को।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): सदन में आसन सर्वोपरि है, आपने अपनी बात कह दी, आप डिक्टेशन देओगे क्या अध्यक्षजी को ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह दोनों प्रोफेसर ऐसी बातें कर रहे हैं तो हमारे स्टूडेंट्स का क्या होगा ?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अच्छा है कि आप इन प्रोफेसर के साथ काम कर रहे हो, बाहर निकल जाओगे तो सुखी रहोगे।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है, मैं वैसे तो नियमों की बात ही कर रही हूं, नियमों के अन्दर जो नियम बता रहे हैं, मुझे, मैं नियम के बारे में पूरा स्पष्ट कर दूं थोड़ा, "If leave is granted under sub-rule (2), the Speaker may, after considering the state of business in the House, allot a day or days or part of a day for the discussion of the motion.", इनका कहना यह है कि पहले आप आज के दिन का बिजनेस ट्राजेक्ट करो और उसके बाद आप इस पर बहस कराइए, इनका कहना यह है। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं इस बारे में पहले 1979 में व्यवस्था दी हुई है और वह व्यवस्था भी स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था देनी

(श्री अध्यक्ष)

चाहिए थी। मुख्य मंत्री ने अब स्थगन प्रस्तावों के बारे में परम्परा का जिक्र किया, इस बारे में मैं कहना चाहती हूं कि अविश्वास प्रस्ताव उस आधार पर आज का दिन चर्चा के लिए नियत किया गया है, सामान्यतया यही परम्परा है कि ...(व्यवधान) सुनिए तो सही, बात तो सुन लीजिए, परम्परा यही रही है कि अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा हो तो स्थगन प्रस्ताव आदि नहीं लिए जाएं लेकिन मैं यदि आप इससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं। (व्यवधान) सुनिए, सुनिए, लेकिन नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य इससे भी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, इस दी गई व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो उनको फिर मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि नियम 307 के जो रेजीड्युअरी पावर हैं, मैं उन रेजीड्युअरी पावर के अन्तर्गत बाकी के काम को आज के दिन फिलहाल सस्पैंड करते हुए सबसे पहले इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करके मूवर को आमंत्रित करती हूं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आप नहीं ले सकते इसको। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपको शायद विद्वान होने की बहुत बड़ी एलर्जी हो गई है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आप रेजीड्यूअरी पावर को ले सकते थे नियत करने के पहले। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इनके मुकाबले में कोई विद्वान है ही नहीं, सारी ठेकेदारी विद्वता की सी पी जोशी साहब ने ले रखी है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, नहीं रहेंगे, अपन हाउस में नहीं रहेंगे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): शताब्दी ट्रेन आपने रवाना कर दी, अब यह ट्रेन रुकेगी नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, इस रूल का उपयोग तो आप कर सकते थे। लेकिन इस बहस के बाद आपको 132 में जो प्रावधान है उसको मानना चाहिए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह है इसका मतलब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: और सुनिए, इसके अलावा, 1985 का भी मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि उसके अंदर अध्यक्ष महोदय ने कहा अविश्वास प्रस्ताव आपकी तरफ से आया है, राज्य सरकार उस चेलेंज को स्वीकार करके उस पर तत्काल बहस करना चाहती है तो इस पर विलम्ब करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मैं चाहता हूं कि इसको तत्काल प्रारम्भ कर दिया जाए और मैं उसके लिए दो घंटे बहस के लिए तय करता हूं, फिर बीच में कहा, नहीं जैसे आज आब्जेक्शन कर रहे हैं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य उसी तरीके से कुछ लोगों ने नवरंगसिंह, नत्थी सिंह, हरिकुमार औदिच्य इन्होंने किया तो उन्होंने कहा माननीय सदस्य, आर्डर, माननीय सदस्य, इसमें मैं तीन घंटे का समय निश्चित करता हूं, जब लोगों ने कहा कम समय है तो उन्होंने दो की जगह तीन घंटे कर दिया। फिर जब बहस हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे आज इस अविश्वास के प्रस्ताव के बाद आज का बिजनेस समाप्त करना है इसलिए आज अविश्वास के प्रस्ताव के बाद आज का बिजनेस लिया जाएगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, 307 के इंटरप्रिटेशन में है, अध्यक्ष महोदय, माफ करना, मेरा आप निवेदन सुन लें। आप निवेदन सुन लें। अध्यक्ष महोदय, जो आप कोट कर रहे हैं उस समय पूरे सदन की कार्यवाही हुई थी। कांग्रेस पार्टी का सत्ता पक्ष पर यह आरोप है कि सदन की कार्यवाही पूरे समय पर नहीं चलती है। यह आज दूसरा सेशन 6 महीने के बाद तीन दिन का सदन चल रहा है।

श्री अध्यक्ष: यह अलग बात है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हमारा अविश्वास प्रस्ताव लाने की मंशा यही है कि राजस्थान की जनता में यह मैसेज जाए कि यह सरकार तीन दिन का कार्य करके कांस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट पूरा कर रही है इसलिए हम जनता के बीच में मैसेज देना चाहते थे कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इसमें अधिकार लिखा हुआ है, यह हमारा अधिकार है, इस अधिकार को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं (व्यवधान) इसलिए हम प्रोटेस्ट करना चाहते थे और हमारा प्रोटेस्ट आज भी यही है। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): आपके राज में भी..... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप सदन की कार्यवाही को कर्टेल करते हैं तो कांग्रेस इसमें पार्टी नहीं बनेगी। यह आप हमारे साथ अन्याय कर

(डा. सी. पी. जोशी)

रहे हैं और राजस्थान की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं कि आप सदन की कार्यवाही को कम चलाकर के भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उसके ट्रेप में फंस रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी और कांग्रेस पार्टी जनता में जाकर कहेगी कि यह सरकार जनता की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, गोली चलाती है, लोगों को मरवाती है उसके बाद भी न्याय नहीं करना चाहती है। इसलिए हम सरकार को और मौका नहीं देना चाहते। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम अपनी बात को कहेंगे और सदन की कार्यवाही बराबर चलनी चाहिए। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी, क्या नहीं कहेगी..... (व्यवधान) सदन में बोलने को तैयार हैं, सदन में चर्चा प्रारम्भ की जाए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ...... राजस्थान की जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से कहना चाहता हूं कि..... (व्यवधान) अविश्वास प्रस्ताव रखा है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अविश्वास का प्रस्ताव विचारार्थ आपने लिया इसके लिए धन्यवाद उनको देना चाहिए पर धन्यवाद आपको सत्ता पक्ष दे रहा है कि इस अविश्वास के जरिये राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए सरकार ने जो काम किया उसकी सदन में आज चर्चा होगी। अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी है। अध्यक्ष महोदय, आप नाम पुकारो। आप चर्चा प्रारम्भ करायें। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, नाम पुकारो।

एक माननीय सदस्य : अविश्वास प्रस्ताव पर हम चर्चा करना चाहते हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह सत्र मात्र कभी 20 दिन, 23 दिन, 24 दिन चलता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। नो-नो, बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) आपकी इस बात से तो यह आसन भी सहमत है कि विधान सभा अधिक चलनी चाहिए लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव इसलिए लाया जाए कि अविश्वास के प्रस्ताव को या तो आप एक्सैप्ट करो और एक्सैप्ट करके या तो चर्चा करो और चर्चा नहीं करते हो और नहीं करवाते, यह तो हम विदड्रा करने को तैयार हैं सदन का समय बढ़ा दो, यह गलत बात है। इस बात के मैं पक्ष में नहीं हूं। यह आपकी बात ठीक नहीं है। वरना मैं चाहूंगी कि मुख्य मंत्रीजी, सदन की नेता भी हैं, मंत्रिमण्डल भी है, मैं चाहूंगी कि आप सदन को और अधिक चलाया करें। यह बात अपोजिशन की बिलकुल वाजिब है कि 60 दिन से कम नहीं चलना चाहिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): .... आप मर्सी पर हो, मैं मर्सी पर नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ताकि जन-हित के मुद्दों पर हम यहां पर चर्चा कर सकें और उसका निराकरण कर सकें। यह तो करना चाहिए लेकिन यह तरीका नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 307 इसमें लागू ही नहीं होता है। रूल ही गलत कोट किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी भावनाओं से सत्ता पक्ष सहमत है। हमारा जितना बिजनैस होगा उतने दिन हम सदन को चलाने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आपकी भावनाओं को परिलक्षित लीडर ऑफ द हाउस को करना चाहिए था In what capacity you are doing it? हमने आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं रखा है। (व्यवधान) हमने कहा है कि आप ट्रायल कर रहे हैं, आप जज भी हैं और पार्टी भी हैं।

श्री अध्यक्ष : करेंगे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आप जज भी हैं और पार्टी भी हैं। यह सदाशयता तो लीडर ऑफ द अपोजिशन को बतानी चाहिए थी पर वो तो बता नहीं रहे हैं और आप इस

(डा. सी. पी. जोशी)

बात को कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सदाशयता तो लीडर आफ द हाउस को बतानी चाहिए थी वो आप कर रहे हैं। जज का काम भी आप कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षीय व्यवस्था को चुनौती नहीं दी जा सकती। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जिस सरकार के खिलाफ हमने अविश्वास का प्रस्ताव रखा..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : .... देखिये, आज का बिजनेस जो था वह बाद में लिया जाएगा और अब आप शुरू कीजिये। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा मैं प्रारम्भ करवाती हूं और मूवर बोलेंगे। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, नियम के हिसाब से चलेगा। कानून के खिलाफ नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, समय का विभाजन कर दें। अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि समय का विभाजन कर दें। अध्यक्ष महोदय, सब से पहले समय का विभाजन कर दें। आप समय का विभाजन करें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सारे प्रदेश को चट कर गये, खा-खाकर खोखला कर गये। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): अध्यक्ष महोदय, सारे राज्य की जनता देख रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 4 बजे तक का टाइम। (व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

तो सी पी जोशी की नारेबाजी चलेगी? (व्यवधान) तो सी.पी. जोशी की नारेबाजी चलेगी? सी.पी. जोशी की नारेबाजी चलेगी? (व्यवधान) सी.पी. जोशी की मनमानी चलेगी? सी पी जोशी की मनमानी भी नहीं चलेगी। (व्यवधान) मैं अविश्वास प्रस्ताव पर, जिन्होंने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है उनको निवेदन कर रही हूं कि वो अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ करें। रामनारायणजी चौधरी, नेता, प्रतिपक्ष, आपने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, आप कृपया अपना भाषण प्रारम्भ करें, चर्चा प्रारम्भ करें। अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ करें। आप यदि चर्चा प्रारम्भ नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन

(श्री अध्यक्ष)

रिजेक्ट करना पड़ेगा। मैं आपको पुनः निवेदन कर रही हूं, नेता, प्रतिपक्ष, आपने सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, आप कृपया चर्चा प्रारम्भ करें। यदि आप चर्चा प्रारम्भ नहीं करेंगे तो मुझे आपके मोशन को, आपके प्रस्ताव को रिजेक्ट करना पड़ेगा। माननीय नेता, प्रतिपक्ष, मैं आपको तीसरी बार निवेदन कर रही हूं कि या तो आप अपने इस अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ करें और यदि आप चर्चा प्रारम्भ नहीं करते हैं तो मुझे इस प्रस्ताव को रिजेक्ट करना पड़ेगा। (व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

मैं आपको एक बार पुनः मौका दे रही हूं। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के कूप में नारेबाजी)

सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.30 बजे, 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(समयः 14.00 बजे)

(पुनः समवेत् होने पर)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्षः अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर मैं एक बार पुनः नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने इस प्रस्ताव को रखा है, उनका नाम पुकार रही हूं इस पर चर्चा प्रारम्भ करने के लिए।

श्री संयम लोढ़ाः अध्यक्ष महोदय, 307 रूल इसमें लागू ही नहीं होता।

श्री अध्यक्षः मैं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं नहीं, किसी ने इस प्रस्ताव को मूव किया नहीं है इसलिए मैं सदन की राय जानना चाहती हूं कि....

डा. बुलाकीदास कल्लाः अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सब्मिट करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत होगा, बहुत गलत होगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्षः क्या सदन की राय है कि इसे रिजेक्ट कर दिया जाय?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव रिजेक्ट किया गया।

डा. बुलाकीदास कल्लाः अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पुलिस विधेयक पर चर्चा आरम्भ होगी अब। आज के 295 पढ़े हुए मान लिये जायेंगे और स्थगन प्रस्ताव लेप्स, परची लेप्स।

(नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह राजस्थान विधान सभा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक तरह से खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे वाली बात है कि अविश्वास प्रस्ताव किस गैर जिम्मेदाराना तरीके से रखा....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि । यदि कोई हों तो। (व्यवधान) श्री वीरेन्द्र मीणा।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 61 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1- अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007-170 दिनांक 30.3.2007 जिसके द्वारा वैट एक्ट 2003 की अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 131, 144, 152, 153 व 160 में संशोधन किये गये हैं। तथा भाग-ब में नवीन प्रविष्टि 272 से 274 जोड़ी गई है ।

2- अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007-171 दिनांक 30.3.2007 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(63)वित्त/कर/2005-80 दिनांक 11.8.2006 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन किया गया है।

3- अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007-172 दिनांक 30.3.2007 जिसके द्वारा वैट एक्ट 2003 की धारा-8 के अन्तर्गत रंगाई, छपाई की कार्य-संविदा को वैट से कर-मुक्ति प्रदान की गई हैं ।

4- अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007-173 दिनांक 30.3.2007 जिसके द्वारा वैट एक्ट 2003 की अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 58, 83 से 88 तक नई प्रविष्टियां जोड़ी गई हैं ।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

5- अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007-174 दिनांक 30.3.2007 जिसके द्वारा वैट एक्ट की धारा-4(5) कार्य अनुसूची-तृतीय में संशोधन कर दालों के लिये रियायती कर दर की अवधि दिनांक 31.3.2008 तक बढ़ाई गई है।

6- अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007-175 दिनांक 30.3.2007 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(30)वित्त/कर-डीवी/02-152 दिनांक 22.3.02 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन किया गया हैं।

7- अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007-176 दिनांक 30.3.2007 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(12)वित्त/कर-डीवी/2001-27 दिनांक 29.3.01 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन किया गया हैं।

8- अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007-177 दिनांक 30.3.2007 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(1)वित्त/कर-डीवी/2000-292 दिनांक 30.3.01 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन किया गया हैं।

9- अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007-178 दिनांक 30.3.2007 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(58)वित्त/कर-डीवी/1998-126 दिनांक 2.1.02 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन किया गया हैं।

10- अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007-179 दिनांक 30.3.2007 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(63)वित/कर/2005-23 दिनांक 25.4.06 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन किया गया हैं।

11- अधिसूचना संख्या एफ.2(26)वित्त/कर/2006-180 दिनांक 30.3.2007 जिसके द्वारा ऐसे भू-धारक जो नमक उत्पादन हेतु लवणीय/लवण युक्त भूमि धारित करता है या प्रयुक्त करता है, को दिनांक 1.1.06 से कर संदाय से छूट प्रदान की गई हैं ।

12- अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007-181 दिनांक 30.3.2007 जिसके द्वारा टेंट डीलर्स के लिए कम्पोजिशन स्कीम फोर रजिस्टर्ड टेन्ट डीलर्स, 2007 जारी की गई हैं।

13- अधिसूचना संख्या एफ.12(40)वित्त/कर/2007-01 दिनांक 4.4.2007 जिसके द्वारा वैट एक्ट, 2003 की अनुसूची 1 की क्रम संख्या 40 की प्रविष्टियां विलोपित की गई हैं।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

14- अधिसूचना संख्या एफ.12(40)वित्त/कर/2007-02 दिनांक 4.4.2007 जिसके द्वारा वैट एक्ट, 2003 की अनुसूची 4 की क्रम संख्या 136 को विलोपित किया गया हैं ।

15- अधिसूचना संख्या एफ.12(40)वित्त/कर/2007-03 दिनांक 4.4.2007 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(14)वित्त/कर/2006-137 दिनांक 8.3.2006 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन किया गया हैं।

16- अधिसूचना संख्या एफ.12(40)वित्त/कर/2007-04 दिनांक 4.4.2007 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(63)वित्त/कर/2005-160 दिनांक 31.3.06 में संशोधन किया गया हैं।

17- अधिसूचना संख्या एफ.14(08)वित्त/कर/98 पार्ट-05 दिनांक 4.4.2007 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(35)वित्त/कर/ग्रुप-4/87 दिनांक 23.5.1987 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन किया गया हैं।

18- अधिसूचना संख्या एफ.14(8)वित्त/कर/98 पार्ट-06 दिनांक 4.4.2007 जिसके द्वारा बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1987 के क्लाज-2 के.(1) एसएलएससी में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत संशोधन किया गया हैं।

19- अधिसूचना संख्या एफ.14(8)वित्त/कर/98 पार्ट-07 दिनांक 4.4.2007 जिसके द्वारा बिक्री कर आस्थगन योजना, 1987 की एसएलएससी में संशोधन किया गया हैं।

20- अधिसूचना संख्या एफ.14(8)वित्त/कर/98 पार्ट-8 दिनांक 4.4.2007 जिसके द्वारा बिक्री कर आस्थगन योजना, 1987 की एसएलएससी में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत संशोधन किया गया हैं।

21- अधिसूचना संख्या एफ.14(8)वित्त/कर/98 पार्ट-9 दिनांक 4.4.2007 जिसके द्वारा नवीन बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1989 की एसएलएससी में संशोधन किया गया हैं।

22- अधिसूचना संख्या एफ.14(8)वित्त/कर/98 पार्ट-10 दिनांक 4.4.2007 जिसके द्वारा नवीन बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1989 की एसएलएससी में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत संशोधन किया गया हैं।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

23- अधिसूचना संख्या एफ.14(8)वित्त/कर/98 पार्ट-11 दिनांक 4.4.2007 जिसके द्वारा बिक्री कर आस्थगन योजना, 1989 की एसएलएससी में संशोधन किया गया हैं।

24- अधिसूचना संख्या एफ.14(8)वित्त/कर/98 पार्ट-12 दिनांक 4.4.2007 जिसके द्वारा बिक्री कर आस्थगन योजना सीएसटी में एसएलएससी से संबंधित संशोधन किया गया हैं।

25- अधिसूचना संख्या एफ.14(8)वित्त/कर/98 पार्ट-13 दिनांक 4.4.2007 जिसके द्वारा वर्ष 1998 की बिक्री कर मुक्ति योजना की एसएलएससी में संशोधन किया गया हैं।

26- अधिसूचना संख्या एफ.14(8)वित्त/कर/98 पार्ट-14 दिनांक 4.4.2007 जिसके द्वारा आस्थगन योजना, 1998 की एसएलएससी के गठन में संशोधन किया गया हैं।

27- अधिसूचना संख्या एफ.4(30)वित्त/कर/97-15 दिनांक 10.4.2007 जिसके द्वारा भारतीय खाद्य निगम द्वारा विक्रय किये जाने वाले गेहूँ को कतिपय शर्तों के अधीन वैट से छूट प्रदान की गई हैं।

28- अधिसूचना संख्या एफ.12(12)वित्त/कर/2007-16 दिनांक 11.4.2007 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(4)वित्त-कर-डीवी/2003-03 दिनांक 1.4.2003 को विखण्डित किया गया हैं।

29- अधिसूचना संख्या एफ.12(12)वित्त/कर/2007-17 दिनांक 11.4.2007 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(4)वित्त-कर-डीवी /2003-02 दिनांक 1.4.2003 को विखण्डित किया गया हैं।

30- अधिसूचना संख्या एफ.12(12)वित्त/कर/2007-18 दिनांक 11.42007 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(35) वित्त/ग्रुप.4/87 दिनांक 23.5.1987 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन किया गया हैं।

31- अधिसूचना संख्या एफ.12(12)वित्त/कर/2007-19 दिनांक 11.4.2007 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(66) वित्त/ग्रुप.4/82-72 दिनांक 26.9.1987 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन किया गया हैं।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

32- अधिसूचना संख्या एफ.12(18)वित्त/कर/2007-20 दिनांक 20.4.2007 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(63)वित्त/कर/05-12 दिनांक 15.4.2006 (यथा समय-समय पर संशोधित) में संशोधन किया गया है।

33- अधिसूचना संख्या एफ.12(42)वित्त/कर/2006-21 दिनांक 28.4.2007 जिसके द्वारा रफ कोटा स्टोन पर वैट दर 4 प्रतिशत की गई है।

34- अधिसूचना संख्या एफ.12(63)वित्त/कर/2005-22 दिनांक 3.5.2007 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स रूल्स, 2006 में संशोधन किया गया है।

35- अधिसूचना संख्या एफ.2(21)वित्त/कर/2000-23 दिनांक 19.5.2007 जिसके द्वारा भारत सरकार की डीआरआई योजना और राज्य सरकार के किसी विभाग, नाबार्ड अथवा अन्य किसी सम्बद्ध एजेन्सी की स्वयं सहायता समूह योजना के अन्तर्गत, अनुसूचित बैंकों एवं सहकारी बैंकों से ऋण लेने के प्रयोजन से निष्पादित दस्तावेज पर प्रभार्य स्टॉम्प शुल्क का परिहार किया गया है।

36- अधिसूचना संख्या एफ.12(7)वित्त/कर/2007-24 दिनांक 31.5.2007 जिसके द्वारा प्लास्टिक वेस्ट से बनने वाले लिक्विड हाईड्रो कॉर्बन पर कर की दर 4 प्रतिशत की गई है।

37- अधिसूचना संख्या एफ.2(26)वित्त/कर/2006-25 दिनांक 19.6.2007 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007 -159 दिनांक 9.3.07 में संशोधन किया गया है।

38- अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007 दिनांक 20.6.2007 जिसके द्वारा एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है।

39- अधिसूचना संख्या एफ.4(2)वित्त/कर/2004-26 दिनांक 27.6.07 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू ऐडेड टैक्स एक्ट, 2003 के शिड्यूल-II की प्रविष्टि 10 को हटाया गया है।

40- अधिसूचना संख्या एफ.4(2)वित्त/कर/2004-27 दिनांक 27.6.2007 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(2)वित्त/कर/2004-42 दिनांक 6.5.2006 को विखण्डित किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

41- अधिसूचना संख्या एफ.2(18)वित्त/कर/96-पार्ट-28 दिनांक 10.7.2007 जिसके द्वारा लवणीय क्षेत्र में मुद्रांक शुल्क के बाबत् संशोधन किया गया है।

42- अधिसूचना संख्या एफ.2(26)वित्त/कर/96-29 दिनांक 10.7.2007 जिसके द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 3.2.2007 से पूर्व नियमन कैम्प में आबंटन/नियमन कर पट्टा जारी करने की स्थिति में पट्टा विलेख पर अधिसूचना में उल्लेखित दरों पर मुद्रांक शुल्क घटाया गया है।

43- अधिसूचना संख्या एफ.12(29)वित्त/कर/2007-30 दिनांक 26.7.2007 जिसके द्वारा गन्ने को औद्योगिक इनपुट मानते हुए वैट अधिनियम, 2003 की संलग्न सूची-4 के भाग-ब में प्रविष्टि संख्या-276 जोड़ी गई है ।

44- अधिसूचना संख्या एफ.12(53)वित्त/कर/2007-31 दिनांक 31.7.2007 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(63)वित्त/कर/2005-70 दिनांक 11.7.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

45- अधिसूचना संख्या एफ.4(38)वित्त/कर/2003-32 दिनांक 3.8.2007 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 के शिड्यूल-2 में क्रम संख्या-21 जोड़ी गई है।

46- अधिसूचना संख्या एफ.4(38)वित्त/कर/2003-33 दिनांक 3.8.2007 जिसके द्वारा बोच्छसनवासी श्री अक्षर पुरूषोत्तम स्वामी नारायण संस्था को 1.5 करोड़ रफ सैन्डस्टोन खरीद हेतु कर से छूट दी गई है ।

47- अधिसूचना संख्या एफ.12(71)वित्त/कर/2007-34 दिनांक 18.8.2007 जिसके द्वारा राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्स, 2003 की अनुसूची-IV के पार्ट-बी में क्रमांक 277 जोड़ी गई है ।

48- अधिसूचना संख्या एफ.2(72)वित्त/कर/2006-35 दिनांक 20.8.2007 जिसके द्वारा 125 मेगावाट थर्मल पावर स्थापित करने हेतु उपकरणों तथा भूमि अधिग्रहण करने के लिये स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है।

49- अधिसूचना संख्या एफ.12(43)वित्त/कर/2005-36 दिनांक 24.8.2007 जिसके द्वारा सेज क्षेत्र हेतु कुछ सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर लगने वाले कर में छूट दी गई है।

50- अधिसूचना संख्या एफ.12(43)वित्त/कर/2005-37 दिनांक 24.8.2007 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(63)वित्त्त/कर/2005-81 दिनांक 11.8.2006 में संशोधन किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

51- अधिसूचना संख्या एफ.12(43)वित्त/कर/2005-38 दिनांक 24.8.2007 जिसके द्वारा सेज क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिये आने वाले सामानों पर लगने वाले प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है।

52- अधिसूचना संख्या एफ.12(43)वित्त/कर/2005-39 दिनांक 24.8.2007 जिसके द्वारा सेज क्षेत्र में निर्माण, उत्पादन, प्रोसेसिंग एवं सामानों की मरम्मत हेतु काम में आने वाली बिजली के उपयोग पर लगने वाले विद्युत कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है।

53- अधिसूचना संख्या एफ.12(43)वित्त/कर/2005-40 दिनांक 24.8.2007 जिसके द्वारा सेज स्थापित करने हेतु विकासकर्ताओं को किसानों, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निगम एवं स्थानीय निकायों से भूमि के क्रय हेतु मुद्रांक कर से छूट प्रदान की गई है।

54- अधिसूचना संख्या एफ.4(12)वित्त/कर/2005-41 दिनांक 24.8.2007 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(28)वित्त/कर/2007-148 दिनांक 9.3.2007 में संशोधन किया गया है।

55- अधिसूचना संख्या एफ.2(18)वित्त/कर/96-42 दिनांक 24.8.2007 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.2(18)वित्त/कर/96 दिनांक 10.5.2001 को अधिक्रमित किया गया है।

56- अधिसूचना संख्या एफ.2(6)वित्त/कर/2003-43 दिनांक 30.8.2007 जिसके द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकायों एवं राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा काश्तकारों से ली जाने वाली भूमि के बदले आबंटित 25 प्रतिशत तक विकसित भूमि के संबंध में खातेदार/भू-स्वामी स्वयं के नाम निष्पादित दस्तावेजों पर देय मुद्रांक कर से छूट दी गई है ।

57- अधिसूचना संख्या एफ.21(49)वित्त/कर/2003-44 दिनांक 30.8.2007 जिसके द्वारा राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लि., राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लि., जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक उन्हें आबंटित की गई भूमि पर मुद्रांक शुल्क में 0.25 प्रतिशत की छूट दी गई है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

58- अधिसूचना संख्या एफ.43(12)वित्त/कर/2007-45 दिनांक 6.9.2007 जिसके द्वारा फिल्म "चक दे इंडिया" को अधिसूचना जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक प्रदर्शन करने पर शत-प्रतिशत मनोरंजन कर से छूट दी गई है ।

59- अधिसूचना संख्या एफ.2(72)वित्त/कर/2006-46 दिनांक 12.9.2007 जिसके द्वारा 125 मेगावाट थर्मल पावर को स्थापित करने पर मुद्रांक शुल्क परिहार हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या एफ.2(72)वित्त/कर/2006-35 दिनांक 20.8.2007 को अतिक्रमित किया गया है।

60- अधिसूचना संख्या एफ.12(94)वित्त/कर/2007-47 दिनांक 13.9.07 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 के शेड्यूल-VI में संशोधन किया गया है।

61- अधिसूचना संख्या एफ.12(94)वित्त/कर/2007-8 दिनांक 13.9.07 जिसके द्वारा वैट अधिनियम, 2003 के शेड्यूल-I में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री नरपत सिंह राजवी।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम की धारा 619(ए)(3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का छठा वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2005-2006

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (विद्युत मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम की धारा 619(ए) के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का छठा वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2005-2006 सदन की मेज पर रखता हूं।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में निरन्तर नारेबाजी)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमराज मीणा। विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव रखना हो तो।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): मैं वापस लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक संशोधन दिया है उसको मैं वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा। श्री जितेन्द्र सिंह। श्री बी.डी.कल्ला। श्री भरत सिंह। श्री अमराराम धोद। (प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं)

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 43 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 43 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 43 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड 44 – डा. बुलाकीदास कल्ला। प्रभारी मंत्री। (व्यवधान) 44 तो रखा ही नहीं।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 44 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 44 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 45 से 59 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 45 से 59 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 45 से 59 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड 60 - डा. बुलाकीदास कल्ला। नहीं। (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड 60 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 60 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 61 - किया ही नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 61 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 61 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 62 से 73 - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 62 से 73 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 62 से 73 प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 – अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में स्वीकार किया गया।

कोई सदस्य बोलना चाहे? प्रस्ताव करें। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

विधेयक का पारण

राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: कोई सदस्य बोलना चाहता है?

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007 को पारित किया गया।

जन गण मन।

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे

भारत भाग्य विधाता

पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा

द्राविड़ उत्कल बंगा

विंध्य हिमाचल यमुना गंगा

उच्छल जलधि तरंगा

(श्री अध्यक्ष)

तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे जय हे जय हे
जय जय जय जय हे ।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.11 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

लूणी में निगम बस सेवा हेतु नवीन मार्ग

38. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लूणी में रोड़वेज बसों के संचालन हेतु नये बस मार्गों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने व कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार जोधपुर शहर से लूणी क्षेत्र के गांवों को सिटी बसों की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु सिटी बसों के नये रूटों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने, कौन-कौन से व कब से तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिहवन निगम की आर्थिक स्थिति एवं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये लूणी विधान सभा क्षेत्र में रोडवेज बसों के संचालन हेतु नये बस मार्ग स्वीकृत करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) नगरीय परिवहन सेवा किसी शहर की नगरीय सीमा में ही संचालित हो सकती है। जोधपुर शहर की नगरीय सीमा में आने वाले लूणी विधान सभा क्षेत्र के उन ग्रामों को नगरीय परिवहन सेवा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नये मार्ग स्वीकृत करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यदि इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होता है तो नियमानुसार नगरीय मार्ग खोलने की कार्यवाही की जावेगी।

दौसा जिले में ओलावृष्टि पीड़ित किसानों को सहायता

39. श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2007 में जिला दौसा में ओलावृष्टि के कारण किस-किस गांव में कितनी-कितनी फसलें नष्ट हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मुरारी लाल मीणा)

(2) सरकार द्वारा ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसल के मुआवजे के क्या मानदण्ड तय किये गये हैं? कितने किसानों को मुआवजा राशि दी गई व कितनों को दिया जाना शेष है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को गेहूं वितरण व विद्युत बिल माफ करने के क्या मानदण्ड हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला दौसा में उक्त अवधि में ओलावृष्टि से जानमाल की क्या-क्या हानि कहां-कहां पर हुई तथा इन्हें सरकार द्वारा क्या–क्या सहायता दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2007 में जिला दौसा में ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई फसलों का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसल के मुआवजे के लिए राज्य सरकार द्वारा तय किये गये मापदण्डों की सूची परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

जिले में कुल 72756 कृषकों को कृषि आदान अनुदान वितरण किया जा चुका है एवं 2858 कृषकों को अनुदान वितरण से शेष हैं। विभिन्न न्यायालयों में भूमि स्वामित्व संबंधी वाद विचाराधीन होना, खातेदारी भूमि पर अन्य का कब्जा होने, कुछ खातेदारान प्राय: अन्यत्र रहने व बार-बार सूचना देने के बाद ही उपस्थित नहीं होने तथा माफी मंदिर की भूमि होने के कारण भुगतान शेष रहा है, जिनमें से 401 की राशि जमा राजकोष करवाई जाकर डी.सी. बिल्स प्रेषित किए जा चुके हैं। 2457 कृषकों को वितरण किया जा रहा है।

(3) ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को गेहूं वितरण व विद्युत बिल माफ करने के मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(4) जिला दौसा में उक्त अवधि में ओलावृष्टि से फसल के अतिरिक्त जानमाल की कोई क्षति नहीं हुई है और न ही कोई सहायता दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

भरतपुर जिले के थानों में दर्ज आपराधिक प्रकरण

40. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विगत तीन वर्षों में दलित व महिला अत्याचारों सहित अपराधों व साम्प्रदायिक घटनाओं में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भरतपुर जिले के नगर, सीकरी, गोपालगढ़, पहाड़ी, कामां, जुरहरा व डीग थानों में चोरी, अपहरण, लूट व बलात्कार की घटनायें बेकाबू हो रही हैं ? यदि हां, तो विगत एक वर्ष में पंजीकृत अपराधों व उसमें हुई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रदेश में विगत तीन वर्षों में दलित व महिला अत्याचारों सहित अपराधों व साम्प्रदायिक घटनाओं की सूचना वर्षवार निम्नानुसार है :-

वर्ष	दलितों पर अत्याचार	महिलाओं पर अत्याचार	कुल अपराध	साम्प्रदायिक घटनाएं
2004	5391	13546	154859	2
2005	4658	12147	140917	2
2006	4877	13451	141992	2

दलित अत्याचार – वर्ष 2005 में वर्ष 2004 की तुलना में दलितों पर अत्याचार की घटनाओं में 733 की कमी आई है तथा वर्ष 2006 में 2004 की तुलना में 514 की कमी आई है एवं वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2006 में 219 घटनाओं की वृद्धि हुई है।

महिला अत्याचार – वर्ष 2005 में वर्ष 2004 की तुलना में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में 1399 की कमी आई है तथा वर्ष 2006 में 2004 की तुलना में 95 की कमी आई है व वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2006 में 1304 घटनाओं की वृद्धि हुई है।

कुल अपराध – वर्ष 2005 में वर्ष 2004 की तुलना में, 13942 अपराधों की कमी आई है व वर्ष 2006 में 2004 की तुलना में 12867 अपराधों की कमी एवं वर्ष 2005 की तुलना में 1075 अपराधों की वृद्धि हुई है।

साम्प्रदायिक घटनाएं – विगत तीन वर्षों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(गृह मंत्री)

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि भरतपुर जिले के नगर, सीकरी, गोपालगढ़, पहाड़ी, कामां, जुरहरा व डीग थानों में चोरी, अपहरण, लूट व बलात्कार की घटनायें बेकाबू हो रही हैं। विगत तीन वर्षों में दर्ज घटनाओं की वर्षवार सूचना निम्नानुसार है :-

वर्ष	**चोरी**	**अपहरण**	**लूट**	**बलातकार**
2004	284	37	08	16
2005	200	28	09	14
2006	194	24	06	11

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि विगत तीन वर्षों में चोरी, अपहरण, लूट व बलात्कार की घटनाओं में कमी आई है। थानेवार विस्तृत सूचना परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रमों में व्याप्त अनियमितताओं की रोक हेतु कार्यवाही

41. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 2004 से अब तक राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मिड-डे-मील) के अन्तर्गत कितना गेहूं कब-कब आबंटित किया गया ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित खाद्य पदार्थों में अनियमितताएं पाई गई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व कितनी मात्रा में ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरण में कौन-कौन दोषी पाये गये व उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा वर्ष 2004 से अब तक खाद्य पदार्थों के वितरण की जांच कब-कब करवाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण परिशिष्ट-'अ' संलग्न है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) जी हां विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(4) जी हां। 7 जिलों की 36 पंचायत समितियों में खाद्यान्न वितरण का विशेष अंकेक्षण कराया गया। जिसका विवरण परिशिष्ट-'द' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बालिका आवासीय विद्यालय, हिंगी (कोटा) में राजनैतिक सम्मेलन

42. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम हिंगी जिला कोटा में स्थित डा. भीमराव अम्बेडकर बालिका आवासीय विद्यालय कब से संचालित है तथा इसमें कितनी छात्राएं आवास कर रही हैं ? छात्राओं की कक्षावार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालय में शिक्षा, सुरक्षा व अन्य कार्य हेतु कुल कितने अध्यापक व कर्मचारी/अनुबंधित कर्मचारी किस-किस पद पर कब से नियुक्त हैं ? नामों के साथ सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय विद्यालय, हिंगी (कोटा) में बालिकाओं की सुरक्षा की दृष्टि से बिना प्राचार्य की अनुमति के कोई भी व्यक्ति विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता व अनुमति के बाद भी प्रवेश करता है तो वाहन के नम्बर व व्यक्ति का नाम द्वारपाल द्वारा रजिस्टर में दर्ज किया जाता है ? यदि हां, तो दिनांक 23 अगस्त, 2007 को कितने वाहन व व्यक्तियों ने विद्यालय में प्रवेश किया ? वाहनों के नम्बर व व्यक्तियों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि नियमानुसार बालिका विद्यालय का उपयोग राजनीतिक मंच व कार्यकता सम्मेलन या अन्य कार्य हेतु नहीं किया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या यह सही कि दिनांक 23 अगस्त, 2007 को उक्त आवासीय बालिका विद्यालय में राजनैतिक दल का राजनैतिक सम्मेलन व स्नेहभोज का आयोजन किया गया था, जिसमें प्राचार्य व उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कोटा ने भी भाग लिया था ?

(5) क्या यह सही है कि इस प्रकरण की शिकायत पर जिला कलक्टर, कोटा द्वारा इसकी जांच करवाई गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट व दोषी लोगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम हिंगी जिला कोटा में स्थित डा. भीमराव अम्बेडकर बालिका आवासीय विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2003-04 से संचालित है वर्तमान में विद्यालय में कुल 282 छात्राऐं निवास कर रही हैं जिनका कक्षावार विवरण (परिशिष्ट-'अ') संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया है।

(2) उक्त विद्यालय में शिक्षा, सुरक्षा व अन्य कार्यों हेतु कुल 20 अध्यापक/कर्मचारी एवं 21 अनुबंधकर्मी लगे हुए हैं जिनका पदवार, तिथिवार व नाम सहित विवरण (परिशिष्ट 'ब' एवं 'स') संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया है।

(3) जी हां। दिनांक 23.8.2007 को स्थानीय अभिभावकों एवं उस क्षेत्र के अधिकारियों की बैठक विद्यालय परिसर में आयोजित की गई थी। अधिकारी/कर्मचारी एवं स्थानीय अभिभावकों की अधिक संख्या के कारण रजिस्टर में व्यक्तियों के नाम दर्ज नहीं किये गये तथा वाहनों को परिसर में प्रवेश नहीं दिया गया।

(4) जी हां। दिनांक 23.8.2007 को विद्यालय परिसर में ली गयी बैठक के पश्चात सभी ने साथ में वहां भोजन किया, जिसकी व्यवस्था सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं ग्रामवासियों ने की थी।

(5) प्रकरण में जांच हेतु जिला कलक्टर कोटा को पत्र प्राप्त हुआ है जो प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट 'अ'

आवासीस विद्यालय हिंगी में अध्ययनरत छात्राओं का कक्षावार विवरण

क्र.सं.	कक्षा	छात्राओं की संख्या
1.	VI	36
2.	VII	58
3.	VIII	63
4.	IX	66
5.	X	36
6.	XI	10
7.	XII	13
	कुल संख्या	**282**

परिशिष्ट 'ब'

आवासीय विद्यालय हिंगी में कार्यरत, शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टाफ का विवरण

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद	कब से कार्यरत
1.	श्रीमति बलवीर तिवाडी	प्रधानाचार्य	12.2.06 से
2.	श्रीमति वन्दना वैष्णव	अध्यापिका	9.10.06 से
3.	श्रीमति सरोज बागडी	अध्यापिका	8.11.06 से
4.	श्री लक्ष्मी चन्द मीणा	पुस्तकालयध्यक्ष	1.11.06 से
5.	श्री प्रमोद बागडी	कनिष्ठ लिपिक	10.9.04 से
6.	श्रीमति सीता बाई	सहायक कर्मचारी	15.6.04 से

शिक्षा व्यवस्था हेतु वैकल्पिक शिक्षकों की सूची

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद	कब से कार्यरत
1.	श्री रमेशचन्द गौतम	हिन्दी व्याख्याता	19.7.07 से
2.	श्रीमति सुलेखा कंवर	वरिष्ठ अध्यापक	18.7.07 से
3.	श्रीमति विष्णु प्रिया नागर	वरिष्ठ अध्यापक	18.7.07
4.	सुश्री अंकिता वैष्णव	वरिष्ठ अध्यापक	18.7.07
5.	श्री मुकुन्दी लाल गोयर	इतिहास व्याख्याता	19.7.07
6.	सुश्री प्रज्ञा विजय	वरिष्ठ अध्यापक	18.7.07
7.	श्री गिरीश शर्मा	वरिष्ठ अध्यापक	18.7.07
8.	श्री नितेश सनाड्य	वरिष्ठ अध्यापक	18.7.07
9.	श्री घनश्याम सेन	वरिष्ठ अध्यापक	18.7.07
10.	श्री उमा शंकर गौतम	वरिष्ठ अध्यापक	18.7.07
11.	श्री मुरारी लाल वर्मा	चिकित्सा व्याख्याता	19.7.07
12.	श्रीमति शालिनी तिवारी	व.अ. (गृह विज्ञान)	25.7.07
13.	श्री युगल राज राठौर	अंग्रेजी व्याख्याता	19.7.07
14.	श्री मुरलीधर मेहता	वरिष्ठ अध्यापक	2.8.07

परिशिष्ट 'स'

आवासीय विद्यालय हिंगी में रखे गये संविदा कर्मियों का विवरण

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद	कब से कार्यरत
1.	श्री हेमराज मीणा	सुरक्षा प्रहरी	—
2.	श्री ओमप्रकाश मीणा	सुरक्षा प्रहरी	—
3.	श्री बनवारी लाल नागर	सुरक्षा प्रहरी	—
4.	श्री दिनेश कुमार मेघ	सुरक्षा प्रहरी	—
5.	श्रीमति राजेश	छात्रावास सुरक्षा प्रहरी	सत्र आरम्भ से
6.	श्रीमति गुड्डी बाई मेहरा	छात्रावास सुरक्षा प्रहरी	सत्र आरम्भ से
7.	श्री जगदीश नागर	इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर	सत्र आरम्भ से
8.	रतीलाल मीणा	बागवान	सत्र आरम्भ से
9.	भंवर सिंह	बागवान	सत्र आरम्भ से
10.	अनुसूरया देवी	महिला रसोईया	सत्र आरम्भ से
11.	विमला बाई	महिला रसोईया	सत्र आरम्भ से
12.	नटी बाई	महिला रसोईया	सत्र आरम्भ से
13.	सोना बाई	महिला रसोईया	सत्र आरम्भ से
14.	जवणी बाई	महिला रसोईया	सत्र आरम्भ से
15.	राम कन्या बाई	महिला रसोईया	सत्र आरम्भ से
16.	अयोध्या बाई	महिला रसोईया	सत्र आरम्भ से
17.	मुन्नी बाई	महिला रसोईया	सत्र आरम्भ से
18.	कौशल्या बाई	महिला रसोईया	सत्र आरम्भ से
19.	स्वरूप बाई	महिला सफाई कर्मी	—
20.	कौशल्या बाई	महिला सफाई कर्मी	—
21.	राजेन्द्र	पुरुष सफाई कर्मी	—

खनिज अभियन्ता, करौली द्वारा ओवरलोडिंग ट्रकों को जारी रवन्ना

43. **श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल** (गंगापुर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खनन क्षेत्र से खनिज बाहर निर्गमन हेतु चालान इश्यू किया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पट्टाधारी से रायल्टी की राशि प्रति ट्रक एडवान्स लेने के उपरान्त ही चालान इश्यू किये जाते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ट्रकों के ओवरलोडिंग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है जिससे ट्रकों में ओवरलोडिंग नहीं किया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या माइनिंग इंजीनियर करौली आदि द्वारा ट्रकों को ओवरलोडिंग मानते हुए रवन्नाओं को जारी किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर खनिज के निर्गमन हेतु जारी किये जाते हैं।

(2) जी हां। रवन्ना अग्रिम राशि जमा कराने के बाद ही जारी किये जाते हैं।

(3) जी नहीं। रवनन्ना जारी करने के लिए ली जाने वाली अग्रिम रायल्टी की गणना करते समय 6 टायर वाले वाहनों के लिए 9 टन तथा 6 टायर से अधिक के वाहनों के लिए 15 टन खनिज का अनुमानित निर्गमन मानते हुए ही रवन्ना बुक जारी की जा रही है।

तोपदड़ा क्षेत्र अजमेर में विधायक/सांसद कोटे से स्टेडियम निर्माण हेतु स्वीकृति

44. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार खेलों के विकास हेतु सम्भाग/जिला व तहसील स्तर पर खेल स्टेडियम विकास कार्यक्रम प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या इस घोषणा में विधायकों एवं सांसदों द्वारा अपने फण्ड से वित्तीय सहयोग देने पर प्राथमिकता तय की जावेगी ?

(श्रीमती अनिता भदेल)

(2) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में विधायक व सांसद द्वारा अपने फण्ड से अजमेर शहर के तोपदड़ा क्षेत्र में जिला स्तरीय खेल स्टेडियम विकास हेतु पत्र लिखा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अजमेर में जिला स्तरीय खेल स्टेडियम विकास हेतु वित्तीय प्रावधान स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। सरकार खेलों के विकास हेतु सम्भाग/जिला व तहसील स्तर पर खेल स्टेडियमों का विकास कार्यक्रम प्रारम्भ करने का विचार रखती है।

जी हां। इस कार्यक्रम के तहत सम्भाग स्तरीय, जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय स्टेडियमों का निर्माण मानक मापदण्ड के अनुसार एक चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत अगले तीन वर्षों में किया जायेगा। जिसमें विधायकों व सांसदों द्वारा MLA-LAD या MP-LAD योजना, CORPORATES एवं खेलों में रूची रखने वाली संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहयोग के आधार पर प्राथमिकता तय की जायेगी।

(2) जी हां। श्रीमती अनिता भदेल विधायक अजमेर (पूर्व) ने अजमेर शहर के तोपदड़ा खेल मैदान को जिला स्तरीय खेल स्टेडियम निर्माण हेतु पत्र लिखा है। सन्दर्भित खेल मैदान शिक्षा विभाग के स्वामित्व में है।

वर्तमान में अजमेर में चन्द्रबरदाई नगर स्टेडियम स्थित है जो कि जिला स्तर का है।

वर्ष 2007 में बेरोजगारी भत्ते पर व्यय राशि

45. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बेरोजगार भत्ते हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं ? यदि हां, तो दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा अगस्त, 2007 तक कितने शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता स्वीकृत तथा कितनों को वितरित किया गया ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्रम एवं रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक पं. 9(8) श्रनि/2007 दिनांक 30-6-2007 के द्वारा अक्षत योजना, 2007 (राजस्थान स्नातक बेराजगारी भत्ता योजना, 2007) एवं दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। योजना एवं दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) रोजगार विभाग द्वारा दिनांक 31-8-2007 तक 2678 बेरोजगारों को भत्ता स्वीकृत कर दिया गया है एवं 2398 शिक्षित बेरोजगारों को वितरित कर दिया गया है। जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(निर्देशों की प्रति/सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग हेतु प्रक्रिया की पालना

46. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पुलिस में विभिन्न जिला/यूनिट/आर.ए.सी. बटालियन में कानिस्टेबल आदि विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु महानिदेशक पुलिस राजस्थान द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित की जाकर नियुक्तियां दी जाती रही हैं ? यदि हां, तो वर्ष 2004 से अब तक की अवधि में किस-किस पद के लिये कितनी मर्तबा विज्ञप्ति जारी की गई तथा कुल कितनी नियुक्तियां दी गई एवं अब कितनी नियुक्तियां दी जाने के लिये प्रक्रिया विचाराधीन है ? विज्ञप्ति की प्रति सहित पदवार पृथक-पृथक संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विज्ञप्ति में श्रेणीवार प्रदर्शित कुल रिक्त पदों में से अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों से नियमानुसार 1 प्रतिशत व 12 प्रतिशत पद आरक्षण व्यवस्था के मुताबिक भरे जाने के लिये संख्या प्रदर्शित की हुई है ? यदि हां, तो पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें तथा नहीं तो अनुसूचित जाति/जनजाति के कम रिक्त पद विज्ञप्ति में दर्शाये जाने के क्या कारण हैं तथा इस बाबत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

(3) क्या सरकार वर्ष 2004 से अब तक की गई उक्त भर्तियों में आरक्षित वर्ग के आशार्थियों को दी गई कम नियुक्तियों के कारण आरिक्षत वर्ग के व्यक्तियों की विशेष भर्ती करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(श्री रामनारायण मीणा

(4) क्या यह सही है कि महानिदेशालय पुलिस, राजस्थान द्वारा दिनांक 02 नवम्बर, 2006 तथा 02 जुलाई, 2007 को रिक्त पदों की पूर्ति की जाने हेतु जारी विज्ञप्ति में पदवार दर्शायी गई कुल सम्भावित रिक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति की रिक्तियों की संख्या 16 एवं 12 प्रतिशत नहीं है ? यदि हां, तो क्यों तथा इस त्रुटि की दुरूस्ती हेतु सरकार द्वारा कब तक क्या कार्यवाही की जायेगी ?

(5) क्या यह भी सही है कि जारी विज्ञप्तियों में अनेक स्थानों पर अनुसूचित जाति/जनजाति की सम्भावित रिक्तियां शून्य दर्शायी गई हैं और इसी वजह से उक्त वर्गों के आशार्थियों के आवेदन पत्र भी स्वीकार नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो किस आदेश एवं भावना के तहत ? क्या उक्त वर्ग के व्यक्तियों के हित में इस प्रकार के आदेश एवं भावना को बदला जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां। कानि. पद पर भर्ती हेतु जारी की गई विज्ञप्ति परिशिष्ट अ, ब, स, द एवं य की प्रति संलग्न है। अब तक इन विज्ञप्तियों में दर्शाये गये पदों के विरुद्ध निम्नानुसार नियुक्तियां दी गई :-

क्र.सं.	विज्ञप्ति संख्या	पदों की संख्या	कुल चयनित अभ्यार्थी
1.	न.-5(2)पुलिस-फोर्स/कानि./2004/3751 दिनांक 14.06.2005	4000	3888
2.	न.-5(2)पुलिस-फोर्स/कानि./2006/7018 दिनांक 02.11.2006	2000	1687
3.	न.-5(9)पुलिस-फोर्स/कानि. भर्ती / 2006-07/ 1755 दिनांक 28.03.2007	425	321
4.	न.-5(20)पुलिस-फोर्स/कानि. भर्ती / 2007/4019 दिनांक 02.07.2007	1300	—
5.	न.-5(26)पुलिस-फोर्स/कानि. भर्ती / 2007/ 5185 दिनांक 14.08.2007	1300	—

उपरोक्त तालिका क्रम संख्या 4 पर अंकित विज्ञप्ति क्रमांक 4019 दिनांक 02.07.2007 के लिए दिनांक 02.09.2007 को परीक्षा आयोजित की गई तथा क्र. संख्या 5 पर अंकित विज्ञप्ति क्रमांक 5185 दिनांक 14.08.2007 के सम्बन्ध में दिनांक 15.09.2007 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये।

(गृह मंत्री)

(2) जिला पुलिस/यूनिट स्तर पर आरक्षित वर्ग के पुलिस कर्मियों का रोस्टर रजिस्टर संधारित किया जाता है जिसके आधार पर कुल पुलिस कर्मियों में आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों का निर्धारण किया जाता है और इसी आधार पर सम्बन्धित जिला/यूनिट में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों की स्थिति विज्ञप्ति में दर्शायी गई है।

(3) यदि किसी भर्ती विशेष में चयन प्रक्रिया के पश्चात् इन वर्गों के पद रिक्त रहते तो आगामी भर्ती में इन पदों को शामिल करते हुए पदों को भरने की कार्यवाही की जाती है। यह प्रक्रिया आगामी भर्ती में भी अपनायी जाएगी।

(4) प्रश्न के खण्ड 2 के उत्तर में उल्लेख किया जा चुका है।

(5) जी नहीं। यदि किसी जिला पुलिस/यूनिट में उपरोक्त वर्गों के कोई पद रिक्त नहीं हैं तो भी इन वर्गों के आवेदक जिनकी आयु सामान्य जाति के आवेदक की पात्रता के समान है, को सामान्य जाति का परीक्षार्थी मानकर आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए परीक्षा में शामिल किया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

शक्करगढ़ (भीलवाड़ा) ग्राम की आबादी भूमि पर अतिक्रमण

47. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जिला कलक्टर भीलवाड़ा के दिनांक 19 जुलाई, 2007 को ग्राम चोपाल कार्यक्रम में शक्करगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच/पचों द्वारा गाम पंचायत की आबादी भूमि पर कब्जा करने की शिकायत प्राप्त/दर्ज की गई थी ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जांच करवायी गई ? यदि हां, तो किस-किस पंचायत राज जनप्रतिनिधि का कितनी-कितनी आबादी भूमि पर कब्जा पाया गया एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब सरकार उक्त के विरुद्ध कब तक व क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। शिकायत की जांच उप खण्ड अधिकारी, जहाजपुर से करवाई गई। जांच में मौके पर 2 बीघा आबादी भूमि पर श्री किशोर कुमार शर्मा वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत शकक्रगढ़ का अन्य 5 व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से कब्जा पाया गया। उक्त शिकायत ढाई वर्ष से चले आ रहे कब्जे के

(पंचायती राज मंत्री)

बारे में की गई थी। कब्जा हटाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 13.9.2007 को विकास अधिकारी पंचायत समिति जहाजपुर को निर्देशित किया गया है। श्री किशोर कुमार सरंपच के विरुद्ध पूर्व में इसी बारे में शिकायत प्राप्त होने पर उसके विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय जांच करवाकर उसे पद से हटाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12.9.2006 को किया जा चुका है। राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय से आरोपी सरपंच द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है तथा वह वर्तमान में भी न्यायालय आदेश के आधार पर सरपंच पद पर कार्यरत है। इसी कब्जे के बारे में सरपंच के विरुद्ध पूर्व में कार्यवाही की जा चुकी है। अतः उन्ही तथ्यों पर नये सिरे से कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश को निरस्त करवाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

तारांकित प्रश्न संख्या-48

(माननीय सदस्य के निलम्बन के कारण हटाया गया)

श्रीगंगानगर एवं नागौर आगार में संचालित वातानुकूलित वाहनों से प्राप्त राजस्व

49. श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अनुपगढ़, श्रीगंगानगर व नागौर आगार में वातानुकूलित व गैर वातानुकूलित कुल कितनी बसें हैं? वर्तमान में यह बसें कहां से कहां तक संचालित हैं ?

(2) सरकार द्वारा वर्ष 2003 के बाद जिला श्रीगंगानगर में कौन-कौन से नये मार्गो पर निगम की बसें चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई ?

(3) नागौर आगार में वर्ष 2003 के पूर्व कितनी वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित बसें थी और वर्तमान में कितनी बसें संचालित हैं ? वर्ष 2003 के बाद कितनी राजस्व वृद्धि हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान परिवहन निगम के अनूपगढ़, गंगानगर व नागौर आगार में कोई भी वातानुकूलित बस नहीं है। निम्नानुसार गैर वातानुकूलित बसें हैं :-

(यातायात मंत्री)

आगार का नाम	गैर वातानूकूलित बसों की संख्या
अनूपगढ़ आगार	72
गंगानगर आगार	129
नागौर आगार	86

आगारवार संचालित बसों का मार्गवार विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है। प्रत्येक बस हेतु पृथक से कोई मार्ग निर्धारित नहीं हैं। अपितु बसों को आगार के संचालन हेतु निर्धारित मार्ग पर वाहन की स्थिति के अनुरूप संचालित की जाती हैं।

(2) वर्ष 2003 के बाद जिला श्रीगंगानगर में किसी भी नये मार्ग पर निगम बसें चलाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई हैं।

(3) नागौर आगार में कभी भी वातानुकूलित बसें नहीं थी तथा न ही वर्तमान में हैं। वर्ष 2003 के पूर्व 79 निगम की तथा 12 अनुबंधित एवं वर्तमान में 72 निगम की तथा 14 अनुबंधित गैर वातानुकूलित बसें संचालित हैं। उक्त आगार में वित्तीय वर्ष 2002-2003 के पश्चात् निम्न प्रकार राजस्व में वृद्धि हुई है :-

वित्तीय वर्ष	राजस्व वृद्धि लाख रु. में
2003-2004	121.25
2004-2005	99.79
2005-2006	178.92
2006-2007	32.05

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

कवास एवं मलवा (बाड़मेर) के बाढ़ पीड़ितों को सहायता

50. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या आपदा राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अगस्त, 2006 में बाडमेर जिले के कवास तथा मलवा गांव में अतिवृष्टि बाढ़ से कितनी जन हानि, पशुधन हानि तथा कितने मकानों को हानि हुई तथा कितने मकान पूर्णतया नष्ट हो गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वार प्रत्येक बाढ़ पीड़ित परिवार को सहायता उपलब्ध करवाई गई ? यदि हां, तो कितनों को तथा क्या-क्या सहायता तथा किस अनुपात से कितने समय पश्चात् उपलब्ध कराई ? क्या जिनके घर पूर्णतया नष्ट हो गये उन्हें नये आवास दिये गये ? यदि हां, तो कहां-कहां व किस-किस को ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा कवास तथा मलवा में बाढ़ से भरे पानी के निकास हेतु उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या और कितने समय पश्चात् पानी निकाला गया तथा उस पर कितना व्यय हुआ ?

उत्तर

(1) अगस्त, 2006 में बाड़मेर जिले के कवास क्षेत्र तथा मलवा गांव में अतिवृष्टि/बाढ़ से कवास क्षेत्र में 48 जन एवं 3199 पशुओं की हानि हुई। मलवा में 39 जन एवं 1514 पशुओं की क्षति हुई है। कवास क्षेत्र में 2411 एवं मलवा में 122 मकानों की हानि हुई है। कवास क्षेत्र में 623 पक्के एवं 588 कच्चे मकान पूर्णतया नष्ट हुए हैं। मलवा में 46 पक्के एवं 64 कच्चे मकान पूर्णतया नष्ट हुए हैं।

(2) जी हां। सहायता दिये जाने वाले लोगों की संख्या, प्रति व्यक्ति सहायता दिये जाने का मापदण्ड, मदवार दी गयी कुल सहायता व सहायता दिये जाने की अवधि के विवरण का परिशिष्ट-1 संलग्न है।

कवास क्षेत्र के 1014 बाढ़ प्रभावित सभी परिवारों को मकान आबंटित कर दिये हैं। 453 को नये आवास उपलब्ध कराये जा चुके हैं। मलवा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित परिवारों हेतु 110 मकान निर्माणाधीन हैं। मकानों के निर्माण के पश्चात् लॉटरी द्वारा आबंटित किया जायेगा। जिन व्यक्तियों को मकान आबंटित किये जा चुके हैं, उनकी सूची का परिशिष्ट-2 संलग्न हैं।

(3) जी हां। पानी की निकासी एवं उस पर हुए व्यय आदि के विवरण का परिशिष्ट-3 संलग्न है।

(सूची/विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

अवैध हथियारों के लाइसेन्स प्राप्त/जारी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

51. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डौली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अवैध हथियारों के लाइसेन्स जारी करने के सम्बन्ध में मुकदमे दर्ज हुए हैं ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध और किस-किस जिले में ?

(2) क्या उक्त मुकदमों में गिरफ्तारियां की जाकर अदालत में चालान पेश कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध और किस-किस थाने के द्वारा ?

(3) क्या यह सही है कि जिन अधिकारियों द्वारा लाइसेन्स जारी किये गये व वैधानिक रूप से लाइसेन्स जारी करने के लिए अधिकृत थे ? यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों द्वारा जारी किये गये समस्त लाइसेन्स निरस्त कर दिये गये ?

(4) क्या यह सही है कि किसी अन्य जिलों में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा दूसरे जिले में जाकर उस जिले का निवासी बताते हुए लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन किये और ऐसे व्यक्तियों को भी लाइसेन्स जारी कर दिये गये ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें। सरकार इस प्रकार की गलत सूचना देने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। गत तीन वर्षों में केवल श्रीगंगानगर जिले में दो अधिकारियों श्री आर.एस. मक्कड़ एवं श्री लाल चन्द ओझा, तत्कालीन अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के विरुद्ध मुकदमे दर्ज हुए हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जिन अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज हैं वे लाइसेंस जारी करने या क्षेत्र विस्तार करने का अधिकार नहीं रखते थे। राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञापन अधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर) को इस आशय के निर्देश दे दिये गये हैं कि 'अवैध/अनियमित तरीके से दिये गये शस्त्र अनुज्ञापत्रों के सम्बन्ध में शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के अधीन कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां। अब तक की गई जांच के अनुसार अन्य जिलों में रहने वाले 82 व्यक्तियों ने श्रीगंगानगर जिले में रहना बता कर लाइसेंस प्राप्त किये

(गृह मंत्री)

हैं। उक्त 82 व्यक्तियों में से 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष के विरुद्ध अपराधिक प्रकरणों में अनुसंधान जारी है। सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

नागौर जिले में बैकुण्ठ द्वार एवं मुक्तिधाम योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों को आबंटित राशि

52. **श्री हरीश चन्द्र कुमावत** (नावां) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बैकुण्ठ द्वार एवं मुक्तिधाम योजना के अन्तर्गत नागौर जिले के लिये कितना लक्ष्य तय किया गया है ?

(2) इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृति चाहने वाली पंचायतों के लिये क्या-क्या पात्रतायें निर्धारित की गई हैं तथा इस हेतु कब तक आवेदन प्रस्तुत किये जाने थे ?

(3) नागौर जिले में कौन-कौन सी पंचायतों ने इस योजना के अन्तर्गत अपने आवेदन निर्धारित तिथि के अन्तर्गत प्रस्तुत किये ? आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि व सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) नागौर जिले में किस-किस पंचायत को कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति जारी की गई ? इस योजना में पंचायतों को अपनी ओर से कितनी राशि और खर्च करनी पड़ेगी अर्थात् इस योजना का सम्पूर्ण प्रोजेक्ट कितनी राशि का है।

(5) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मारोठ ने भी इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित समय में अपना आवेदन प्रस्तुत किया परन्तु उन्हें स्वीकृति नहीं देकर अन्य पंचायत के नाम स्वीकृति जारी हुई है ? यदि हां, तो किस पंचायत के नाम स्वीकृति जारी की गई एवं क्यों ?

उत्तर

(1) बैकुण्ठ द्वार मुक्तिधाम योजना के अन्तर्गत नागौर जिले के लिये 4 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में 3000 से ऊपर की आबादी वाले गामों में मुक्तिधाम के लिए भूमि उपलब्ध होने तथा रु. 2.50 लाख की सहभागिता

(पंचायती राज मंत्री)

अन्य विकास योजनाओं से उपलब्ध कराने वाली पंचायतें इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं। योजना के कार्यक्रम के अनुसार पंचायतों द्वारा दिनांक 30 जून, 2007 तक आवेदन प्रस्तुत करने थे।

(3) जिला स्तर से स्वीकृति की दिनांक तक पंचायतों से आवेदन प्राप्त होने का तिथिवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(4) नागौर जिले की निम्न पंचायतों को कुल 5-5 लाख की स्वीकृति जारी की गई :-1. चितावा (कुचामन) 2. जसनगर (रिया) 3. संखवास (मूण्डवास) 4. पून्दलौता (डेगाना) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मुक्तिधाम हेतु लगभग 5.00 लाख राशि की सीमा निर्धारित की गई, जिसमें से 50 प्रतिशत राशि बैकुण्ठ द्वार मुक्तिधाम योजना के तहत उपलब्ध करायी जायेगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा सहभागिता के रूप में विभिन्न विकास योजनाओं यथा ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध होने वाली राशि, जिला परिषद स्तरीय अंश, पंचायत समिति स्तरीय अंश एवं MLA-LAD, MP-LAD की राशि से इसको डवटेल किया जा सकता है।

(5) यह सही है कि ग्राम पंचायत मारोठ ने भी इस योजना के अन्तर्गत अपना आवेदन निर्धारित समय में प्रस्तुत किया, लेकिन प्रस्ताव अस्पष्ट/अपूर्ण होने से कुचामन ब्लाक की ग्राम पंचायत चितावा को योजनान्तर्गत कार्य स्वीकृति प्रदान की गई।

परिशिष्ट-1

आवेदन प्राप्त होने का तिथिवार विवरण

क्र.सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	आवेदन की तिथि
1	कुचामन	मारोठ	29.5.2007
2	मूण्डवा	असावरी	21.6.2007
3	कुचामन	चितावा	27.6.2007
4	रिया	जसनगर	2.7.2007
5	जायल	रातंगा	20.7.2007
6	डीडवाना	भदलिया	20.7.2007
7	डेगाना	ईडवा	28.7.2007

8	मूण्डवा	गाजू	13.7.2007
9	मूण्डवा	खीवसर	19.7.2007
10	मूण्डवा	संखवास	16.7.2007
11	मेडता	गोटन	2.7.2007
12	मूण्डवा	गोठडा	20.7.2007
13	डेगाना	पून्दलौता	16.8.2007

सी.ई.टी.पी. पाली द्वारा पर्यावरण सुधार हेतु प्राप्त राशि का उपयोग

53. **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पाली सी.ई.टी.पी. की क्षमता वृद्धि, नया ट्रीटमेंट प्लान्ट निर्माण, कच्चा नाला पक्का बनाने सहित कुछ पर्यावरण सुधार कार्यों के लिए गत दो वर्षों में केन्द्र सरकार से कुछ राशि प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो किस निमित्त कितनी राशि ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पाली सी.ई.टी.पी. द्वारा उक्त राशि का उपयोग विभिन्न पर्यावरण सुधार कार्यों में किया गया था ? यदि हां, तो स्वीकृत कार्यों के विपरीत किन-किन कार्यों में ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सी.ई.टी.पी. पाली द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों में ही उक्त राशि का उपयोग किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि सी.ई.टी.पी. पाली ने केन्द्र से वायदानुरूप ही नया ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण व पूर्व में बने हुए ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता में वृद्धि की थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि कार्यशील तीनों संयुक्त जल परिशोधन संयत्रों के अपग्रेडेशन, नया ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण, कच्चा नाला पक्का बनाने सहित कुछ

(पर्यावरण मंत्री)

पर्यावरण सुधार कार्यों के लिए गत दो वर्षों में केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त हुई है जिसका ब्यौरा निम्न है :-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि	व्यय की गई राशि
1.	कार्यशील तीनों संयुक्त जल परिशोधन सयंत्रों का अपग्रेडेशन	10.06 करोड़	8.93 करोड़
2.	पुनायता के नये संयुक्त जल परिशोधन सयंत्र का निर्माण	05.99 करोड़	0.04 करोड़ बाउन्डरी वाल
3.	संयुक्त जल परिशोधन सयंत्रो से उत्पादित स्लज का निस्तारण हेतु एस.एल.एफ. निर्माण	01.78 करोड़	0.03 करोड़ भूमि अधिग्रहण
4.	सुभाष नगर बी साईफन से सीईटीपी यूनिट नं. 3 तक नाला निर्माण	01.035 करोड़	1.63 करोड़

(2) भारत सरकार द्वारा जिस मद में राशि स्वीकार की गई है, उसी मद में सीईटीपी पाली द्वारा राशि व्यय भी की गई है। भारत सरकार द्वारा भी जिस मद में राशि स्वीकार की गई उसी मद में पुर्नभरण किया गया है। सीईटीपी, पाली द्वारा स्वीकृत मद के विपरीत कोई राशि व्यय नहीं की गई है। व्यय का विवरण प्रश्न के प्रथम भाग में दिया गया है।

(3) यह सही है कि भारत सरकार द्वारा जिस मद में राशि स्वीकृत की है, उसी मद में सीईटीपी पाली द्वारा राशि व्यय की गई है।

(4) सीईटीपी पाली के केन्द्र से वायदानुरूप ही नया ट्रीटमेंट प्लांट (उपचार क्षमता 9.00 एम.एल.डी.) प्रस्तावित था। लेकिन भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये 12.00 एम.एल.डी. क्षमता का प्लांट निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। नये सीईटीपी के निर्माण की आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।

खाद्य निरीक्षकों के रिक्त पद

54. श्री जालम सिंह रावलोत (शिव) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जालम सिंह रावलोत)

(1) प्रति व्यक्ति भोजन/खुराक का मानदण्ड क्या है एवं क्या माह में प्रति व्यक्ति के हिसाब से कितना अनाज आवश्यक है ?

(2) क्या यह सही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ए.पी.एल. परिवार को 20 किलो गेहूं प्रति माह प्रति परिवार दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मात्रा को बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) राज्य में कितने राशन डीलर हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य में खाद्य निरीक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं इनमें से कितने कार्यरत हैं एवं कितने पद कब से रिक्त हैं ?

(5) क्या सरकार खाद्य निरीक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? खाद्य निरीक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सूचनानुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर. 1981) की अभिशंसा (रिकमंडेड डायरेक्टरी एलाउन्सेंस फॉर इंडियन्स) के अनुसार एक व्यस्क पुरूष की अनाज की आवश्यकता क्रमशः 460, 520, 970 ग्राम प्रतिदिन शारिरिक श्रम के अनुसार व व्यस्क स्त्री की 410, 440, 575 ग्राम प्रतिदिन होती है। औसतन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अनाज की आवश्यकता 513 ग्राम प्रतिदिन होगी व मासिक आवश्यकता 15.4 किलोग्राम प्रतिमाह होगी।

(2) ए.पी.एल. परिवारों को 35 किलो प्रति माह प्रति राशन कार्ड खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने के केन्द्र सरकार के निर्देश हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जून 06 से एपीएल खाद्यान्न आबंटन का कोटा घटा दिया गया है। इस कारण केन्द्र से आबंटित खाद्यान्न को समानुपातिक रूप से जिलों को उपलब्धता के अनुसार आबंटित किया जाता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित होने के कारण मात्रा को परिवर्तित किया जाना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

(3) शहरी क्षेत्रों में 5263, ग्रामीण क्षेत्रों में 16982 कुल 22245 उचित मूल्य दुकानें वर्तमान में कार्यरत हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(4) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सूचना अनुसार राज्य में खाद्य निरीक्षक के 34 पद स्वीकृत हैं। सभी पद रिक्त चल रहे हैं। उक्त पदों के विरुद्ध नोटिफाइड स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा खाद्य निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 27 स्वास्थ्य निरीक्षक एवं राज्य में अन्य पदों पर सेवारत योग्यताधारी 90 कर्मचारियों को खाद्य निरीक्षकों के पद का कार्य करने हेतु अधिकृत करने की अधिसूचना जारी कर उन्हें अलग-अलग कार्य क्षेत्र आबंटित कर पूर्ण राज्य में खाद्य निरीक्षक का कार्य करने हेतु लगा रखा है।

(5) खाद्य निरीक्षक के पद हेतु केमिस्ट्री विषय सहित साइन्स स्नातक की योग्यता रखने वाले एवं 3 माह का पी.एफ.ए. प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यार्थियों का चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। पदों को भरने बाबत् प्रस्ताव विचाराधीन है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर

उचित मूल्य दुकानों की संख्या

As on 20.6.2007

क्र. सं.	नाम जिला/ सम्भाग	कुल उचित मूल्य दुकानें			उचित मूल्य दुकानों की श्रेणीनुसार स्थिति							रिपोर्टिंग माह
		शहरी	ग्रामीण	योग	शहरी		ग्रामीण		कुल			
					सहकारी	निजी	सहकारी	निजी	सहकारी	निजी	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**अजमेर-सम्भाग**											
1	अजमेर	446	541	**987**	29	417	114	427	**143**	**844**	**987**	Apr-07
2	भीलवाड़ा	130	617	**747**	23	107	238	379	**261**	**486**	**747**	Apr-07
3	नागौर	197	838	**1035**	6	191	150	688	**156**	**879**	**1035**	Jun-06
4	टोंक	99	386	**386**	2	97	83	303	**85**	**400**	**485**	Apr-07
	योग	**872**	**2382**	**3254**	**60**	**812**	**585**	**1797**	**645**	**2609**	**3254**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**भरतपुर-सम्भाग**											
1	भरतपुर	197	586	783	3	194	24	562	27	756	783	Apr-07
2	धौलपुर	53	311	364	20	33	23	288	43	321	364	Apr-07
3	करोली	84	321	405	5	79	44	277	49	356	405	D.O.April 06
4	सवाईमाधोपुर	92	358	450	2	90	17	341	19	431	450	Jan-07
	योग	**426**	**1576**	**2002**	**30**	**396**	**108**	**1468**	**138**	**1864**	**2002**	
3	**बीकानेर-सम्भाग**											
1	बीकानेर	201	536	737	20	181	79	457	99	638	737	D.O.Apr 06
2	चूरू	206	595	801	7	199	106	489	113	688	801	Apr-07
3	गंगानगर	226	418	644	42	184	137	281	179	465	644	Aug-06
4	हनुमानगढ़	203	411	614	6	197	72	339	78	536	614	Apr-07
	योग	836	1960	2796	75	761	394	1566	469	2327	2796	
4	**जयपुर-सम्भाग**											
1	अलवर	119	938	1057	16	103	63	875	79	978	1057	Apr-07
2	दौसा	56	569	625	2	54	50	519	52	573	625	Mar-07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	जयपुर	709	850	1559	28	681	115	735	143	1416	1559	Apr-07
4	झुन्झुनूं	154	565	719	4	150	52	513	56	663	719	Mar-07
5	सीकर	246	570	816	2	244	82	488	84	732	816	Apr-07
	योग	**1284**	**3492**	**4776**	**52**	**1232**	**362**	**3130**	**414**	**4362**	**4776**	
5	**जोधपुर-सम्भाग**											
1	बाडमेर	65	842	907	8	57	235	607	243	664	907	Apr-07
2	जैसलमेर	15	251	266	11	4	41	210	52	214	266	Apr-07
3	जालौर	57	496	553	5	52	145	351	150	403	553	Apr-07
4	जोधपुर	388	723	1111	216	172	304	419	520	591	1111	Apr-07
5	पाली	140	573	713	3	137	206	367	209	504	713	Apr-06
6	सिरोही	55	309	364	8	47	66	243	74	290	364	Apr-07
	योग	**720**	**3194**	**3914**	**251**	**469**	**997**	**2197**	**1248**	**2666**	**3914**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	**कोटा-सम्भाग**											
1	बारां	74	416	490	9	65	12	404	21	469	490	Nov-06
2	बूंदी	87	250	337	2	85	36	214	38	299	337	Apr-07
3	झालावाड़	84	444	528	5	79	73	371	78	450	528	Apr-07
4	कोटा	294	307	601	29	265	77	230	106	495	601	Feb-07
	योग	**539**	**1417**	**1956**	**45**	**494**	**198**	**1219**	**243**	**1713**	**1956**	
7	**उदयपुर-सम्भाग**											
1	बांसवाड़ा	50	585	635	2	48	72	513	74	561	635	Apr-07
2	चित्तौड़गढ़	132	644	776	24	108	272	372	296	480	776	D.O. April 06
3	डूंगरपुर	46	448	494	4	42	107	341	111	383	494	Apr-07
4	राजसमन्द	113	322	435	12	101	60	262	72	363	435	Apr-07
5	उदयपुर	245	962	1207	34	211	180	782	214	993	1207	Apr-07
	योग	**586**	**2961**	**3547**	**76**	**510**	**691**	**2270**	**767**	**2780**	**3547**	
	महायोग	**5263**	**16982**	**22245**	**589**	**4674**	**3335**	**13647**	**3924**	**18321**	**22245**	

गुर्जर आरक्षण आंदोलन के पीड़ित परिवारों को सहायता

55. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) एवं **श्री अमराराम** (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिनांक 29 मई, 2007 से 3 जून, 2007 तक गुर्जर समाज के आरक्षण आन्दोलन के दौरान राज्य में पुलिस की गोलियों से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि के दौरान उक्त आन्दोलन में पुलिस की गोली से मरे व्यक्तियों की न्यायिक या प्रशासनिक जांच के आदेश सरकार द्वारा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त अवधि में इस आन्दोलन में कितने लोग पुलिस की गोली से घायल हुये ? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार द्वारा घायलों को सहायता राशि दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त आन्दोलन में मृत व्यक्तियों के परिवारों को सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई? क्या प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी (राजकीय) दिये जाने का सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया है ?

(5) उक्त आरक्षण आन्दोलन में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, कितने अभी तक जेल में हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 29 मई, 2007 से 3 जून, 2007 तक गुर्जर समाज के प्रदेश आरक्षण आन्दोलन में राज्य में पुलिस की गोलियों से 18 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) इस आन्दोलन में पुलिस की गोली से 28 व्यक्ति घायल हुए । सूची परिशिष्ट 'ब' संलग्न है। घायलों को सहायता राशि नहीं दी गई है। घायलों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

(4) उपरोक्त मृतकों के परिजनों को मुख्य मंत्री सहायता कोष से 5-5 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है। जी नहीं।

(5) उक्त आरक्षण आन्दोलन मे 1820 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। 70 व्यक्ति अभी जेल में हैं जिनकी सूची परिशिष्ट 'स' संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्त कार्मिकों की पैतृक विभाग में वापसी

56. श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कितनी अवधि हेतु पदस्थापन किये जाने का प्रावधान है ? इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी आदेश/निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायती राज विभाग में विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों से अधिकारियों को लगाया जाता है ? यदि हां, तो वर्तमान मे कौन-कौन अधिकारी किस-किस विभाग से किस-किस तारीख से प्रतिनियुक्ति पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि नियमानुसार कोई अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर पांच वर्ष से अधिक अवधि तक नहीं रह सकता? यदि हां, तो ऐसे कितने विकास अधिकारी हैं जिन्होंने प्रतिनियुक्ति की पांच वर्ष की अवधि पूरी कर ली है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार नियम विरुद्ध पांच वर्ष से अधिक समय से प्रतिनियुक्त विकास अधिकारियों को अपने पैतृक विभाग में भेजने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान सेवा नियमों के नियम 144A, के तहत अधिकतम प्रतिनियुक्ति अवधि 5 वर्ष है, पांच वर्ष की अवधि के बाद आगे किसी भी प्रकार की अभिवृद्धि के लिये वित्त विभाग की पूर्वानुमति आवश्यक है, प्रति ध्वज 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्तमान में कार्मिक विभाग द्वारा 18 आर.ए.एस. अधिकारी विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापित किये हुए हैं तथा 207 विकास अधिकारी राजस्थान सिविल सेवायें (विकास अधिकारियों का विशेष चयन एवं उनकी सेवा की विशिष्ठ शर्तें) नियम 1982 के अन्तर्गत विशेष चयन उपरान्त प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित है, जिनकी सूची नामवार, विभागवार व उनकी प्रतिनियुक्ति/पदस्थापित आदेश की तारीखवार, ध्वज 'ब' पर संलग्न है।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) जी हां। प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में राजस्थान सेवा नियमों में यह प्रावधान है, किन्तु राजस्थान सिविल सेवायें (विकास अधिकारियों का विशेष चयन एवं उनकी सेवा की विशिष्ठ शर्तें) नियम 1982 के अन्तर्गत विकास अधिकारी का चयन किया जाता है, जिसमें चयन उपरान्त प्रतिनियुक्ति पर सेवायें 6 वर्ष तक के लिए लिये जाने का प्रावधान है, प्रति ध्वज 'स' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। विकास अधिकारी के चयन हेतु राजस्थान सिविल सेवायें (विकास अधिकारियों के विशेष चयन एवं उनकी सेवा की विशिष्ठ शर्तें) नियम 1982 के अन्तर्गत इनके चयन पश्चात् सेवा अवधि 6 वर्ष है।

(प्रति/आदेश आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखे गये)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के मजदूर वर्ग को पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र की बाध्यता में छूट

57. **श्री अर्जुन लाल मीणा** (सलूम्बर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय समता बनाम आन्ध्रप्रदेश सरकार के प्रकरण, जनजाति उप योजना क्षेत्र (टी.एस.पी.) में गैर जनजाति के लोगों के खनन पट्टा आबंटन पर रोक लगाई गई है ? यदि हां, तो जनजाति के व्यक्तियों को खनन पट्टा आबंटन नहीं किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार क्वारी लाइसेन्सधारियों, जो गेंती, सबल एवं फावड़े से खनन कार्य करते हैं, को पर्यावरण की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र से मुक्त रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) समता बनाम आन्ध्रप्रदेश व अन्य के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 4601-2/96 में दिनांक 11.7.1997 को निर्णय पारित किया था। राज्य सरकार ने उक्त निर्णय की पालना में दिनांक 5.9.2000, 14.9.2000 एवं 18.12.2000 से राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में चेजा पत्थर जैसे गौण खनिजों के नवीन खनन पट्टा व अल्पावधि अनुमति पत्र आदि स्थानीय अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आबंटित करने के अलावा राजकीय भूमि/निजी भूमि में नवीन खनन पट्टों/पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्रों/क्वारी लाइसेन्सों के आबंटन पर एवं हस्तान्तरण पर रोक लगा दी थी, जो वर्तमान में भी प्रभाव में हैं। परिशिष्ट-1

(खनिज मंत्री)

(2) जी नहीं। क्वारी लाइसेन्सधारियों, जो गेंती, सबल एवं फावड़े से खनन कार्य करते हैं, को पर्यावरण की दृष्टि से किसी तरह का अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है। तथापि केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये गये वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार समस्त क्वारी लाइसेन्सधारियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से सम्मति लेना आवश्यक है। केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अधिनियमों के विरुद्ध क्वारी लाइसेन्सधारियों को सम्मति से मुक्त करने के अधिकार राज्य सरकार को नहीं हैं।

परिशिष्ट-1

प. 14(10)/खान/ग्रुप-2/99-पार्ट जयपुर, दिनांक 9.9.2000

निदेशक,

खान एवं भू-विज्ञान विभाग,

राजस्थान, उदयपुर।

विषय : माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित सिविल अपील संख्या 4601-2/96 द्वारा समथा बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य व अन्य में हुए निर्णय दिनांक 11.7.1997 बाबत्।

महोदय,

विषयांकित मामले में निर्देशानुसार लेख है कि सिविल अपील संख्या 4601-02/96 द्वारा समता बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य व अन्य में हुए निर्णय दिनांक 11.7.1997 की अनुपालना में राजकीय भूमि/निजी भूमि में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.2.1981 के अनुसार राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों मे गैर- अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को खनन पट्टा, क्वारी लाइसेन्स अथवा अल्पावधि अनुमति पत्र आदि स्वीकृत करने तथा उनका नवीनीकरण अथवा हस्तांतरण करने संबंधी कार्यवाही स्थगित की जाकर समस्त मामलों में अग्रिम आदेश तक यथास्थिति (Status-quo) रखी जाए।

भवदीय

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

खान (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.14(10)/खान/ग्रुप-2/99-पार्ट जयपुर, दिनांक : 14.9.2000

निदेशक,

खान एवं भू-विज्ञान विभाग,

राजस्थान, उदयपुर।

विषय : माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित सिविल अपील संख्या 4601-02/96 द्वारा समथा बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य व अन्य में हुए निर्णय दिनांक 11.7.1997 बाबत्।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में आपके पत्र क्रमांक 304 दिनांक 5.9.2000 एवं 385 दिनांक 7.9.2000 के संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि शासन के समसंख्यक पत्र दिनांक 5.9.2000 में 'गैर अनुसूचित जाति' के स्थान पर गैर-अनुसूचित जनजाति' पढ़ा जाए तथा पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्रों की स्वीकृति, नवीनीकरण अथवा हस्तांतरण आदि के सम्बन्ध में यथास्थिति रखी जाए।

भवदीय,

अनुभागाधिकारी

खान (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.14(10)खान/ग्रुप-2/99 जयपुर, दिनांक 18.12.2000

निदेशक,

खान एवं भू-विज्ञान विभाग,

उदयपुर।

विषय : माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित सिविल अपील संख्या 4601-02/96 समथा बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य व अन्य में हुए निर्णय दिनांक 11.7.97 बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषय में इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 5.9.2000 एवं 14.9.2000 प्रतिस्थापित किया जाकर निर्देशानुसार लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.7.1997 की अनुपालना में राजकीय/ निजी भूमि में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.2. में विनिर्दिष्ट राज्य

के अनुसूचित क्षेत्रों में चेजा पत्थर जैसे गौण खनिजों के नवीन खनन पट्टा अल्पावधि अनुमति पत्र आदि स्थानीय अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 25.9.1999 के अनुसार आबंटित करने के अलावा अन्य सभी प्रधान व अप्रधान खनन के नवीन खनन पट्टों के आबंटन प्रतिबंधित रहेगा। उक्त खनिजों की रियायत स्वीकृत करने की प्रक्रिया की शासन सचिवगणों की कमेटी द्वारा अभिशंसा की जायेगी। जिस पर राज्य मंत्रिमण्डल उप समिति द्वारा विचार किया जाकर केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

उक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर वर्तमान खनन पट्टों के नवीनीकरण नियमानुसार करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।

भवदीय

(आर.एस. अग्रवाल)

शासन उप सचिव

परबतसर में विधायक विकास कोष मद में करवाये गये विकास कार्य

58. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 से वर्ष, 2004-05 तक पंचायत समिति परबतसर में कौन-कौन सी योजनाओं में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? स्वीकृत राशि का उपयोग किस कार्यकारी संस्था द्वारा किया गया व कितने समय में कार्य किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समयावधि में पंचायत समिति के कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के कौन-कौनसी ग्राम पंचायत द्वारा किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समयावधि में पंचायत समिति परबतसर में विधायक मद से कितने कार्य कितनी-कितनी राशि के करवाये गये ?

(4) इस समयावधि में पंचायत समिति परबतसर की ग्राम पंचायतों द्वारा किस-किस को किस-किस काम की एन.ओ.सी. कितने समय के लिये जारी की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2004-05 तक पंचायत समिति परबतसर में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	ई.ए.एस.	34.87
2.	ई.एफ.सी.	148.73
3.	फेमिन	79.00
4.	आई.सी.डी.एस.	0.23
5.	जे.जी.एस.वाई.	44.13
6.	जे.जे.वाई.	1.02
7.	जे.आर.वाई.	12.93
8.	एम.एल.ए. लेड	187.25
9.	एम.पी. लेड	43.61
10.	निजी आय	2.65
11.	आर.जी.सी.	1.41
12.	पी.एम.जी.वाई.	5.19
13.	आर.जी.पी.एम.	18.82
14.	आर.जी.एम.वाई	0.45
15.	एस.एफ.सी.	52.88
16.	एस.एफ.सी. II	57.50
17.	एस.जी.आर.वाई.	235.25
18.	एस.जी.एस.वाई.	0.60
19.	टी.एफ.सी.	101.20
20.	आई.ए.वाई (नये)	129.35
21.	आई.ए.वाई. (क्रमोन्नत)	29.10
22.	पी.एम.जी.वाई (नये)	26.20
23.	पी.एम.जी.वाई (क्रमोन्नत)	5.40
24.	डीडीपी पंचम	70.38
25.	डीडीपी षष्टम	39.88
26.	डीडीपी सप्तम	18.00

(पंचायती राज मंत्री)

योजनावार कार्यवार एवं कार्यकारी संस्थावार सूची परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है। स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय में पूर्ण कराया गया है।

(2) वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2004-05 की समयावधि में पंचायत समिति परबतसर में ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2004-05 की समयावधि में पंचायत समिति परबतसर में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(4) वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2004-05 की समयावधि में पंचायत समिति परबतसर की 35 ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य सम्पन्न कराये गये। स्वीकृति के अनुरूप कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत स्वयं होने के कारण एन.ओ.सी. जारी नहीं की गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पुरस्कृत विकलांग खिलाड़ि़ियों हेतु खेल/मूलभूत सविधाएं

54. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विकलांग खिलाडियों को राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने पर सरकार द्वारा आर्थिक व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ? यदि हां, तो वर्ष 2004 से अब तक किस-किस खिलाड़ी को कितनी राशि/अन्य सुविधाएं प्रदान की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य की खेल नीति में विकलांग खेलों को शामिल किया गया है ? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अन्तरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त तथा अर्जुन अवार्डी खिलाड़ि़ियों के ग्रामों में मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ि़ियों को खेल विभाग द्वारा निम्न नियमों के तहत आर्थिक सहायता एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिसमें विकलांग खिलाड़ी भी शामिल हैं:-

1. राजस्थान खेल अनुदान विभाग 1986 के तहत नगद पुरस्कार योजना।
2. खेल रतन पुरस्कार।
3. महाराणा प्रताप पुरस्कार।

वर्ष 2004 से अब तक राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता विकलांग खिलाड़ि़ियों को देय आर्थिक सहायता का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) प्रारूप खेल नीति में सभी खेलों को शामिल किया गया है। इस नीति को शीघ्र अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में 7000 हजार से अधिक आबादी वाले 338 गांवों में खेल मैदान विकसित किये जाने की घोषणा की गई है। इस हेतु 42.50 लाख की राशि जारी की गयी है।

परिशिष्ट 'क'

राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले विकलांग खिलाड़ियों को वर्ष 2004 से दी गई आर्थिक सहायता का विवरण

क्र.सं.	खिलाड़ी का नाम	प्रतियोगिता का नाम	देय आर्थिक सहायता
1	श्री देवेन्द्र झांझडिया		40,000/- रु. मुख्य मंत्री सहायता कोष से सामान्य मद में।
		पैराओलम्पिक 2004 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर।	11.00 लाख रु. मान. मुख्य मंत्री महोदय की घोषणा के तहत
		पैराओलम्पिक 2004 में आने जाने का खर्चा विकलांग खेल क्वालालम्पुर (मलेशिया) में स्वर्ण पदक हेतु	50,000 /- रु. 15,000/- रु.
2	श्री आनन्द राम चौधरी	अमेरिका में पेन गैम, गोला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक एवं भाग लेने हेतु।	1.00 लाख रु.
		8वीं सी. नेशनल चैम्पियन शिप में पदक प्राप्त करने पर।	30,000/- रु.
		7वीं नेशनल सी. एथलेटिक मीट कोयम्बटूर 2005 में पदक प्राप्त करने पर।	37,500/- रु.
		14वीं नेशनल स्पोर्टस मीट नई दिल्ली 2004 में पदक प्राप्त करने पर।	30,000/- रु.
		पेन अमेरिका गैम यू.एस.ए. गोला फेंक में द्वितीय स्थान।	15,000/- रु.
		400 मी. दौड़ में तृतीय स्थान।	10,000/- रु.

क्र.सं.	खिलाड़ी का नाम	प्रतियोगिता का नाम	देय आर्थिक सहायता
3	कुमारी किरण टांक	इंग्लैण्ड में तैराकी में भाग लेने हेतु पदक प्राप्त। पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा विकलांगों के लिए आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किये एवं अन्तरराष्ट्रीय प्रति.	72,000/- रु. 50,000/- रु.
4	राजस्थान स्पोर्टस काउंसिल ऑफ डीफ जयपुर	राजस्थान स्पोर्टस काउंसिल ऑफ डीफ जयपुर द्वारा 14वीं नेशनल बालीबाल चैम्पियनशिप गुजरात में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 600 रु.। 14वीं नेशनल क्रिकेट प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	निहार सिंह 600/- सूर्य कांत 600/- रामकृष्ण 600/- कोक सिंह 600/- मालीराम 600/- नरेन्द्र महर्षि 600/- मोहन सिंह 600/- भरतलाल मीणा 600/- जब्बार मोहम्मद 600/- मुलाम वर्सी 600/- दीपक कुमार 600/- जितेन्द्र सिंह 600/- गौरव शर्मा 600/- जसपाल सिंह 600/- यशवंत सिंह 600/-
5	श्री जगसीर सिंह	9वीं पेसेफिक मलेशिया प्रतियोगिता में तृतीय स्थान।	10,000 रु.

अटपाड़ा (सोजत) ग्राम का खान लीज प्रकरण

55. श्री प्रमोद जैन ''भाया'' (बारां) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1996 में सोजत तहसील के अटपाड़ा गांव में 5 हैक्टेयर की लाइमस्टोन खान के लिये किन-किन व्यक्तियों द्वारा आवेदन किया गया ? आवेदन-पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त आवेदनों पर क्या निर्णय लिया गया ? संबंधित निर्णय या आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विभागीय न्यायालय में उक्त आदेश के खिलाफ लगाई गई याचिका के क्या परिणाम रहे ? निर्णय की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त याचिका के निर्णय की पालना में सरकार द्वारा खनन पट्टे के आदेश किस दिनांक को किस के पक्ष में जारी किये गये ? जारी आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त खनन पट्टे के अनुज्ञापत्रधारी द्वारा खनन पट्टा किस दिनांक को किसकी अनुमति से किस व्यक्ति या संस्था को हस्तांतरित किया गया एवं क्या यह वैद्य था ? संबंधित नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त खनन पट्टे हेतु आवेदक द्वारा वर्ष, 1996 में कितनी प्रतिभूति राशि जमा कराई गई तथा प्रतिभूति राशि जब्त करने के बाद इसे पुनः बहाल किस के आदेश से किया गया ? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1996 से सोजत तहसील के अटपाड़ा गांव में 5 हैक्टेयर की लाइमस्टोन की खान के लिए 5 आवेदन पत्र लगे थे। जिन-जिन आवेदकों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, उनका विवरण संलग्न एनेक्सर-1 में दर्शाया गया है एवं उनके आवेदन पत्र की प्रति एनेक्सर-2 संलग्न है।

(2) संलग्न सूची में विवरण अंकित है एवं आदेश की प्रति आवेदन पत्र के साथ एनेक्सर-2 संलग्न है।

(3) वर्ष 1996 में प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर निर्णय होने के पश्चात् कोई भी आवेदक द्वारा निर्णय के विरुद्ध अपील दायर नहीं की गई।

(खनिज मंत्री)

(4) उक्त प्रकरणों में कोई भी आवेदक न्यायालय में नहीं गया एवं न ही न्यायालय द्वारा आदेश जारी किये गये।

(5) एनेक्सर-1 में वर्णित किसी भी आवेदक को खनन पट्टा स्वीकृत होने के पश्चात् किसी ने भी खनन पट्टा हस्तान्तरण करने के लिए आवेदन पत्र नहीं लगाया एवं न ही हस्तान्तरण किया गया।

(6) एनेक्सर-1 में वर्णित किसी भी आवेदक का खनन पट्टा स्वीकृत होने के पश्चात् प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए खनन पट्टा खण्डित करने के पश्चात् पुनः बहाल नहीं किया गया।

(प्रति/विवरण आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

सुमेरपुर-शिवगंज में जवाई नदी से बजरी रायल्टी वसूली में अनियमितता

56. **श्री मदन राठौड़** (सुमेरपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सुमेरपुर-शिवगंज के मध्य जवाई नदी से बजरी ट्रेक्टर द्वारा ले जाने पर रायल्टी के ठेकेदार द्वारा रायल्टी के अलावा 50/- रु. अतिरिक्त वसूले जाने की सरकार को शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो उक्त ठेकेदार के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

जी हां। कार्यालय खनि अभियन्ता, सिरोही को एक शिकायत दिनांक 1.9.2007 को प्राप्त हुयी जिस पर विभागीय तकनीकी कर्मचारी से जांच दिनांक 3.9.2007 को कराई गई। जांच से यह स्पष्ट हुआ कि ठेकेदार द्वारा खनिज बजरी के लोडर (जे.सी.बी. मशीन) से ट्रेक्टर में भरने के रुपये 50/- प्रति ट्रेक्टर अतिरिक्त चार्ज लिया जाता है। किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हो, इस संबंध में संबंधित अधिकारी द्वारा ठेकेदार को भविष्य के लिए पाबन्द किया जा चुका है।

पुनः क्षेत्र की जांच दिनांक 11.9.2007 को करने पर पाया की लोडर (जे.सी.बी. मशीन) दिनांक 5.9.2007 से हटा ली गयी है और ठेकेदार द्वारा रायल्टी वसूली नियमानुसार की जा रही है।

राज्य में रिफाइनरी स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्ताव

57. **श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में तेल व प्राकृतिक गैस के विपुल भण्डार मिले हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां व कितने ?

(2) क्या इस तेल व प्राकृतिक गैस के दोहन के लिये केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से कुछ सुविधाएं चाही गई थी ? यदि हां, तो क्या-क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त तेल व प्राकृतिक गैस के दोहन हेतु कुछ तेल कम्पनियों द्वारा राजस्थान में रिफाइनरी लगाने के प्रस्ताव दिये गये थे ? यदि हां, तो किस-किस कम्पनी से प्रस्ताव प्राप्त हुये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इन प्रस्तावों के आधार पर राजस्थान में रिफाइनरी लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के बाड़मेर-सांचोर बेसिन में 480 मिलियन टन खनिज तेल, बीकानेर-नागौर बेसिन में 14.90 मिलियन टन भारी तेल, 33.2 मिलियन टन बिटुमिन व जैसलमेर बेसिन में 11790 मिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस के भण्डार आंकलित किये गये हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। राज्य में रिफाइनरी स्थापित करने हेतु इण्डियन आयल कार्पोरेशन, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि. व मैंगलोर रिफाइनरी व पैट्रोकैमिकल लि. (ओएनजीसीएल की सहायक कम्पनी) द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे।

(4) रिफाइनरी सैक्टर लाइसेन्स मुक्त होने के कारण राज्य सरकार का सकारात्मक प्रयास है कि राज्य का खनिज तेल राज्य में ही परिशोधित हो। इससे राज्य में रिफाइनरी के साथ-साथ सह-उत्पाद पर आधारित लघु उद्योग लगेंगे जिससे क्षेत्र का विकास होगा तथा लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

राज्य सरकार एवं मैंगलोर रिफाइनरी व पैट्रोकैमिकल लि. (ओएनजीसीएल की सहायक कम्पनी) के मध्य प्रकरण विचाराधीन है।

पुलिस थाना करवर (बूंदी) हेतु आबंटित भूमि

58. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना करवर (बूंदी) के लिए भूमि खसरा संख्या 2029/1 रकबा 5 बीघा ग्राम करवर की आबंटित की गई है ? यदि हां, तो कब व किस आदेश के तहत ? आबंटन पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि करवर तहसील नैनवां स्थित पुलिस चौकी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है तथा उसके लिये नये भवन की सख्त आवश्यकता है ? यदि हां, तो इसके लिए अब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने के क्या कारण हैं तथा अब इस बाबत कब तक कार्यवाही की जाकर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

(3) क्या सरकार उक्त आबंटित भूमि की सुरक्षा के लिए सीमाबंदी दीवार तथा स्टाफ क्वार्टर का निर्माण भी करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला कलक्टर, बूंदी के आदेश क्रमांक 22 दिनांक 10.05.1999 के द्वारा सन् 1999 में थाना के निर्माण हेतु भूमि आबंटित की कई थी। आबंटन पत्र की छाया प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। बजट उपलब्ध होने पर निर्माण कराया जा सकेगा।

(3) भूमि की सुरक्षा एवं चौकी के संचालन हेतु आवश्यक निर्माण बजट उपलब्ध होने पर कराया जा सकेगा।

(परिशिष्ट पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा सम्भाग के थानों दर्ज प्रकरणों का निस्तारण

59. **श्री हरिमोहन शर्मा** (हिण्डोली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिनांक 1 जनवरी, 2006 से 31 जुलाई, 2007 तक कोटा सम्भाग के विभिन्न जिलों में हत्या, बलात्कार, डकैती, चोरी, लूट तथा इण्डियन पेनल कोड तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत कितने-कितने मुकदमें किस-किस थाने में दर्ज किये गये ? उनमें से अब तक कितने मुकदमों में चालान पेश हुए ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(2) कोटा सम्भाग के विभिन्न थानों में समझाइश हेतु उपरोक्त अवधि तक कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा कितने प्रार्थना-पत्रों का सी.एल.जी. की मीटिंग में निस्तारण किया गया और कितने प्रार्थना-पत्रों पर मुकदमें दर्ज किए गए ? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 1 जनवरी, 2006 से 31 जुलाई, 2007 तक कोटा सम्भाग के विभिन्न जिलों में हत्या के 208, बलात्कार के 265, डकैती के 15, चोरी के 3050, लूट के 163 तथा इण्डियन पैनल कोड के 18866 तथा अन्य अधिनियमों के 9565 मुकदमें दर्ज किये गये। इनमें से हत्या के 142, बलात्कार के 173, डकैती के 12, चोरी के 889, लूट के 93, इण्डियन पैनल कोड के 13096 तथा अन्य अधिनियमों के 8709 मुकदमों में चालान पेश किये गये। संख्या विवरण थानेवार परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(2) कोटा सम्भाग के विभिन्न थानों में समझाइस हेतु उपरोक्त अवधि तक कुल 48857 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 26013 प्रार्थना-पत्रों का सी.एल.जी. मीटिंग में निस्तारण किया गया एवं 4794 प्रार्थना-पत्रों पर प्रकरण दर्ज किये गये। संख्या परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। शेष प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है।

(परिशिष्ट पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर शहर में यातायात व्यवस्था हेतु कार्य योजना

60. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में यातायात पुलिस द्वारा पिछले छह माह में किस-किस चौराहे पर कितने-कितने चालान किये गये एवं चालानों के पेटे कितनी-कितनी जुर्माना राशि वसूल की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि यातायात पुलिसकर्मियों का मुख्य दायित्व शहर के यातायात को व्यवस्थित एवं सुचारू बनाये रखना है ? यदि हां, तो इस हेतु यातायात पुलिसकर्मियों के क्या-क्या कार्य नियत है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार जयपुर शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए कार्य योजना बनाने का विचार रखती

(श्री लालचन्द कटारिया)

है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध्ा में पिछले एक वर्ष में क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में पुलिस द्वारा पिछले छह माह में विभिन्न चौराहे पर किये गये चालान एवं उनके पेटे वसूल की गई जुर्माना राशि विवरण परिशिष्ट 'ए' पर संलग्न है।

(2) जी हां। यातायात व्यवस्था हेतु पुलिस कर्मियों के निम्नलिखित कार्य नियत हैं :-

1. मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पुलिस को प्रदत्त अधिकारों की परिधि में चालकों से अधिनियम एवं तत्अधीन विरचित नियमों का पालना करवाना।
2. वी.आई.पी. के आगमन के समय यातायात व्यवस्था बनाना।
3. मेला, जुलूस, सभा, त्योहारों व शोभायात्रा के समय यातायात व्यवस्था बनाये रखना।
4. दुर्घटनाओं के समय घायलों की मदद करना।
5. आम जन में यातायात नियमों की जानकारी का प्रचार एवं प्रसार करना।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा निम्न व्यवस्थाओं के साथ कार्य योजना लागू की गई है :-

1. यातायात के सुगम संचालन के लिए विभिन्न स्थानों पर पार्किंग स्थल विकसित करने हेतु जयपुर नगर निगम एवं जे.डी.ए. के माध्यम से कार्य योजना।
2. बहुमंजिला पार्किंग के मापदण्ड अपर्याप्त होने पर जयपुर विकास प्राधिकरण व नगर निगम जयपुर द्वारा मापदण्डों में संशोधन की कार्यवाही।
3. जयपुर शहर में सभी ट्रैफिक लाइट सिग्नलों को एल.ई.डी. में एवं Contilever type में परिवर्तित करने की जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से कार्यवाही।
4. पार्किंग/नो पार्किंग बोर्ड लगाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(गृह मंत्री)

5. यातायात व्यवस्था को सुगम व सुव्यवस्थित बनाने के लिए बी.आर.टी.एस. परियोजना क्रियान्वित कराई जा रही है।
6. यातायात पुलिस द्वारा गत वर्ष में जितनी दुर्घटनाएं हुईं उन्हें नक्शे पर अंकित करके दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है। इन स्थानों का अध्ययन करके अपेक्षित तकनीकी सुधार करवाने की कार्यवाही जे.डी.ए., पी.डब्ल्यू.डी. जयपुर नगर निगम, आर.यू.आई.डी.पी. व हाउसिंग बोर्ड द्वारा की जा रही है।
7. जे.डी.ए. तथा नगर निगम द्वारा कई महत्वपूर्ण सड़कों का सुधार करवाया जा रहा है।
8. खासाकोठी तथा हसनपुरा पर Fly Over बनाया जा रहा है।

गत एक वर्ष में निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :-

1. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सड़कों का विस्तार एवं सुधार।
2. परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की जानकारी दिया जाना।
3. यातायात के सुगम संचालन हेतु एमआई रोड पर एरिया ट्रेफिक कन्ट्रोल सिस्टम का पायलेट प्रोजेक्ट जे.डी.ए. द्वारा लागू किया गया है।
4. यातायात व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए दो नये इन्टरसेप्टर वाहन यातायात पुलिस के बेड़े में शामिल किये गये हैं।
5. जयपुर शहर में बढते हुये यातायात के दबाव को मध्यनजर रखते हुऐ रेलवे स्टेशन से राममन्दिर, वनस्थली मार्ग, लोहा मण्डी व जालुपुरा थाने वाले रोड को वन-वे करवाया गया है।
6. परिवहन विभाग द्वारा लो फ्लोर बस तथा महिला स्पेशल बस का संचालन किया गया है।
7. यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जयपुर शहर में 100 (सौ) होमगार्ड के जवान यातायात व्यवस्था हेतु लगाये गये हैं। साथ ही उपलब्ध जवानों के बेहतर Deployment Plan के परिणामस्वरूप जयपुर शहर में यातायात के 150 नये Duty Point लगाये गये हैं। जिससे यातायात संचालन सुगम हुआ है।

(गृह मंत्री)

8. एक वर्ष में 37 अनावश्यक रोड कट बन्द करवाये, 08 मार्गों पर रोड विभाजक बनवाये एवं 06 स्थानों पर स्पीड ब्रेकर्स बनवाये गये हैं।

परिशिष्ट 'ए'

पिछले छह माह में जयपुर शहर के प्रमुख चौराहों पर किये गये चालानों एवं वसूल की गई प्रशमन राशि का विवरण

क्र.सं.	चौराहों का नाम	कुल कार्यवाही	प्रशमन किये गये वाहन	प्रशमन राशि
1	विश्वकर्मा रोड़ नं. 14	4771	3705	672300
2	मुरलीपुरा चौराहा	1822	1387	265600
3	कलेक्ट्रेट सर्किल चौराहा	209	188	31200
4	खासाकोठी चौराहा	2546	2220	297100
5	दूध मण्डी चौराहा	2236	1165	223900
6	पीतल फैक्ट्री चौराहा	362	351	77100
7	संजय सर्किल	3521	3251	490200
8	विद्याधर नगर	1837	1675	529300
9	रामगढ़ मोड	6225	4775	1094950
10	रामगंज चौपड़	41	23	10400
11	बड़ी चौपड़	7857	5987	1083800
12	गलता गेट	4912	3729	835200
13	न्यू गेट	976	810	95500
14	धोबीघाट	371	300	65800
15	छोटी चौपड़	5415	4817	553900
16	रामनिवास बाग चौराहा	2154	1882	255500
17	सांगानेरी गेट	147	115	16900
18	मिनर्वा	102	90	12400
19	घाटघेट	3095	2698	407800
20	टी.पी. नगर	3596	3070	434800
21	पृथ्वीराज टी प्वाइंट	2612	2315	281800

22	एस.एम.एस.एच.	775	725	92900
23	नारायण सिंह तिराहा	1247	978	142900
24	रामबाग चौराहा	4424	4152	699100
25	राजापार्क चौराहा	852	765	10900
26	गांधीनगर	1955	1562	237500
27	लक्ष्मीमन्दिर	6106	5890	814800
28	गोपालपुरा	1228	1025	163100
29	दुर्गापुरा	216	178	31200
30	सांगानेर	5599	5200	673700
31	आश्रम मार्ग	2089	1950	232900
32	जवाहर सर्किल	753	850	187600
33	ओ.टी.एस. चौराहा	1881	1630	272100
34	जे.डी.ए. चौराहा	1208	944	160400
35	त्रिमूर्ति सर्किल	1856	1585	221400
36	जय क्लब चौराहा	738	717	82000
37	पांचबत्ती चौराहा	2096	1846	241400
38	गोवर्मेंट प्रेस चौराहा	1969	1794	217700
39	सेंट जेवियर चौराहा	1531	1380	174500
40	नाटाणियों का चौराहा	2284	1985	235900
41	22 गोदाम चौराहा	4360	4050	631400
42	200 फुट बाईपास	911	736	185400
43	गुर्जर की थडी	1944	1658	293300
44	न्यू सांगानेर मोड़	6077	5618	836500
45	पोलो सर्किल	676	584	81200
46	गोवर्मेंट हॉस्टल	1770	1588	282200

केन्द्रीय कारागार, जयपुर में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

61. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय कारागार, जयपुर की जांच हेतु माननीय न्यायालय द्वारा पांच सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया है? यदि हां, तो सदस्यों के नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जांच कमेटी द्वारा केन्द्रीय कारागार में अनियमितताएं पाई गई हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अनियमितताओं में कौन-कौन दोषी पाये गये व उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्रीय कारागृह जयपुर से रिहा हुए बंदी हंसराज के परिवाद में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर के द्वारा दिनांक 12.7.2007 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, कारागार, राजस्थान जयपुर को शिकायती पत्र की जांच का उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ-साथ प्रकरण की निष्पक्ष जांच हेतु निम्न तीन सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया :-

क्र.सं. सदस्य का नाम

1. श्री राजेन्द्र चौधरी, मुक्ष्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर नगर जयपुर।

2. श्री अजय कुमार जैन, अधिवक्ता।

3. श्री अभिनव शर्मा, अधिवक्ता।

(2) जांच कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 16.8.2007 को माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर को ही प्रस्तुत की है, प्रति राज्य सरकार को नहीं दी गयी है। जांच रिपोर्ट मा. उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष विचाराधीन है।

प्रकरण में दिनांक 3.10.2007 सुनवाई हेतु निश्चित की गई है। न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार करने के बाद ही यह अधिकृत बनेगी।

(3) न्यायालय द्वारा इस पर निर्णय के बाद ही कार्यवाही की स्थिति बनेगी।

जयपुर जिले के जैविक उद्यान एवं अभ्यारण्य में अवैध कटाई

62. **श्री महीपाल मदेरणा** (भोपालगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जयपुर एवं शहर के आस-पास किस-किस क्षेत्र को वन्य अभयारण्य घोषित किया गया है ? सूची मय खसरा एवं रकबा नम्बर मय नक्शे के सदन की मेज पर रखें। उक्त क्षेत्र घोषित करने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि प्रस्तावित नाहगरढ़ जयपुर जैविक उद्यान के लिए कोई प्रोजेक्ट प्रतिवेदन तैयार करवाया गया है ? यदि हां, तो प्रोजेक्ट की प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रस्तावित जैविक उद्यान एवं अभयारण्य क्षेत्र में आस-पास का कौन-कौनसा क्षेत्र एवं आवासीय कॉलोनियां, औद्योगिक एरिया और जंगल का क्षेत्र आता है ? नाम मय खसरा नम्बर एवं नक्शे के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा नाहरगढ़ अभयारण्य स्थित वन्य जीवों एवं पेड़ पौधों का सर्वे कराया गया ? यदि हां, तो उक्त में कौन-कौन से पशु, पेड़ कितनी संख्या में थे तथा वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है तथा इनके भरण-पोषण, संरक्षण तथा अभयारण्य में स्थित पेड़, पौधों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है ?

(5) क्या यह सही है कि विद्याधर नगर, अमानीशाह के नाले के आस-पास का क्षेत्र भी उक्त अभयारण्य में आता है ? यदि हां, तो कौन-कौनसा ? खसरा नम्बर मय नक्शे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) कया विद्याधर नगर, जयपुर के आस-पास स्थित जंगल से हो रही अवैध कटाई एवं अन्य गतिविधियों के सम्बन्ध में पूर्व में कोई ज्ञापन/शिकायत स्थानीय लोगों से सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा भविष्य में क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर के आस-पास 15 राजस्व ग्रामों जो क्रमश: नागहरगढ़, किशनबाग, आमेर, मायलाबाग, चिमनपुरा, शीशियावास, नेस्तीवास, बडागांव भाटिया, खुराड, बीड पापड, जैसल्या, आकेडा, कूकस, बीड तालेडा तथा दौलतपुरा कोटडा हैं, की लगभग 50 वर्ग कि.मी. वन एवं राजस्व भूमि को

(वन मंत्री)

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.11(39)राज.8/80 जयपुर दिनांक 22.9.1980 से नाहगरढ़ वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया।

अभयारण्य में पड़ने वाली वन भूमि का मौजावार खसरा नम्बर एवं रकबा सहित विवरण मय नक्शे के परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है। अभयारण्य क्षेत्र को वहां की पारिस्थिति की, प्राणीजातीय, वानस्पतीय, भू-संरचना संबंधित नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व के आधार पर वन्यजीवों एवं उनके पर्यावरण को संरक्षित एवं विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया जाता है।

(2) प्रस्तावित नाहरगढ़ जैविक उद्यान के लिए प्रोजेक्ट प्रतिवेदन तैयार करवाया जा रहा है।

(3) उक्त प्रस्तावित जैविक उद्यान जिसका क्षेत्रफल 720 हैक्टेयर है, नाहरगढ़ अभयारण्य में स्थित है। नागहरगढ़ अभयारण्य में भाग-1 में उल्लिखित 15 राजस्व ग्रामों का क्षेत्र आता है तथा विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र का कुछ हिस्सा अभयारण्य में पड़ता है। इसके अतिरिक्त अभयारण्य में वनखण्ड आमेर संख्या 54 का वन क्षेत्र आता है, जिसका विवरण खसरा नम्बर मय रकबा एवं नक्शा परिशिष्ट 'क' के अनुसार है।

(4) जी नहीं। नाहरगढ़ अभयारण्य में स्थित पेड़ पौधों का कोई वैज्ञानिक सर्वे नहीं कराया गया है। इस अभयारण्य में वन्यजीवों की गणना मई 2007 में कराई गई थी। जिसकी सूची परिशिष्ट 'ख' के अनुसार संलग्न है। अभयारण्य में स्थित वन्यजीवों का भरण पोषण प्रकृति प्रदत्त है। वन्यजीवों का संरक्षण एवं पेड पौधों की सुरक्षा हेतु अभयारण्य क्षेत्र में वनकर्मी तैनात हैं।

(5) जी हां। विद्याधर नगर के पास बीड पापड़ क्षेत्र तथा अमानीशाह नाले के आस-पास बीड पापड के खसरा नम्बर 9, 10, 13, 43, मौजा किशनबाग को खसरा नम्बर 16, मौजा जैसल्या के खसरा नम्बर 2, 8, 13 एवं मौजा मायलाबाग का खसरा नम्बर 6 अभयारण्य क्षेत्र में आते हैं। अमानीशाह का नाला भाग-1 के उत्तर हेतु संलग्न नक्शे में पृथक से दर्शाया गया है।

(6) जी हां। विद्याधर नगर में स्वर्ण जयन्ती पार्क अमानीशाह नाले की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में एक शिकायत विद्याधर नगर सैक्टर 8 विकास मंच की ओर से प्राप्त हुई जिसकी जांच कराई जाने पर विवादित भूमि को वन भूमि पर स्थित नहीं पाया गया।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

इन्दिरा गांधी नहर की गड़रा रोड शाखा निर्माण हेतु रियायत

63. श्री गंगाराम चौधरी (चौहटन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर व बाड़मेर में इन्दिरा गांधी नहर की गड़रा रोड शाखा (बाबा रामदेव शाखा) के निर्माण पर वन विभाग द्वारा आपत्ति की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार जैसलमेर व बाड़मेर जिले के रेतीले क्षेत्रों की कृषि एवं पेयजल एवं आवश्यकताओं को देखते हुए इस नहर के निर्माण हेतु छूट प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रस्तावित गड़रा रोड शाखा मरू राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य क्षेत्र से गुजरने के कारण वन विभाग द्वारा इस शाखा के निर्माण पर मनाही की जा रही है।

(2) जी नहीं। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार अभयारण्य क्षेत्र में नहर निर्माण जैसे गैरवानिकी कार्यों को कराने का विचार नहीं है।

रोटू एवं दुगोली (नागौर) ग्राम पंचायत में वानिकी कार्यक्रम के तहत आबंटित बकाया राशि

64. श्री जयराम जाटव (खैरथल) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वानिकी कार्यक्रम के तहत ग्रामों में टांकों (हौज) का निर्माण करवाया गया है ? यदि हां, तो इस योजना के तहत ग्राम पंचायत रोटू एवं दुगोली तहसील जायल, जिला नागौर के अन्तर्गत किन-किन व्यक्तियों के टांके (हौज) बनवाये गये ? नाम पतों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त दोनों पंचायतों में जिन व्यक्तियों को टांके दिये गये उनमें से कुछ को 18 हजार रुपये एवं कुछ को 12-12 हजार रुपये स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि टांका निर्माण हेतु सभी आवेदनकर्ताओं को आबंटित सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो किन-किन का व क्यों ? शेष रहे आवेदनकर्ताओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वानिकी कार्यक्रम के तहत मरू प्रसार रोक परियोजना के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य कराया जाता है। वृक्षारोपण क्षेत्र में पौधों को सिंचाई करने हेतु टांका बनवाने का प्रावधान है। वन विभाग द्वारा वानिकी कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत रोटु एवं ग्राम पंचायत दुगोली तहसील जायल जिला नागौर के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति के टांके (हौज) नहीं बनवाये गये।

(2) वन विभाग द्वारा उक्त दोनों पंचायतों में किसी भी व्यक्ति को टांकों हेतु किसी प्रकार की राशि स्वीकृत नहीं की गई।

(3) टांका निर्माण हेतु न तो कोई किसी ने आवेदन किया है और न हीं किसी को वन विभाग द्वारा राशि आबंटित हुई है।

बाल श्रमिक अधिनियम में चिन्हित बाल श्रमिक

65. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत बने नियम राजस्थान बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1996 बनने के उपरान्त अब तक राज्य में कितने बाल श्रमिक चिन्हित किये गये ? जिलेवार वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत बने नियम राजस्थान बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1997 के तहत बाल श्रमिक किसे कहा जायेगा एवं इन बाल श्रमिकों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी या आथोरिटी की है ?

उत्तर

(1) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा राज. बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियम, 1996 बनने के उपरान्त राज्य में दो बार बाल श्रमिक सर्वे वर्ष 1997 और 2002 में कराए गए, जिसमें क्रमशः 8090 तथा 52 बाल श्रमिक चिन्हित किए गए।

इसके अतिरिक्त विशेष अभियान के दौरान अजमेर जिले में 66 तथा जयपुर जिले में 21 बाल श्रमिक चिन्हित किए गए।

जिलेवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

(2) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में बालक निम्नानुसार परिभाषित है :-

''बालक से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है'' इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति जिसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो और किसी व्यवसाय या कार्य में लगा हो, बाल श्रमिक कहलाएगा। बाल श्रमिकों को चिन्हित करने की जिम्मेदारी निरीक्षकों की है जो अधिनियम की धारा-17 के अन्तर्गत अधिकृत आथोरिटी है।

परिशिष्ट 'अ'

DETAILS OF CHILD LABOUR IDENTIFIED

S. No.	DISTRICT	YEAR 1997	YEAR 2002	SPECIAL CAMPAIGN	TOTAL
1.	Ajmer	696	4	66 (Year-2005)	766
2.	Alwar	816	-	-	816
3.	Banswara	38	-	-	38
4.	Baran	253	-	-	253
5.	Barmer	26	-	-	26
6.	Bharatpur	216	-	-	216
7.	Bhilwara	392	28	-	420
8.	Bikaner	584	-	-	584
9.	Bundi	328	-	-	328
10.	Chittorgarh	85	2	-	87
11.	Churu	347	-	-	347
12.	Dausa	275	-	-	275
13.	Dholpur	41	-	-	41

1	2	3	4	5	6
14.	Dungarpur	42	-	-	42
15.	Sri Ganganagar	948	-	-	948
16.	Hanumangarh	117	-	-	117
17.	Jaipur	364	7	21 (Year-2007	392
18.	Jaisalmer	27	-	-	27
19.	Jalore	36	-	-	36
20.	Jhalawar	90	-	-	90
21.	Jhunjunu	71	-	-	71
22.	Jodhpur	397	2	-	399
23.	Karauli	-	-	-	-
24.	Kota	344	4	-	348
25.	Nagaur	295	-	-	395
26.	Pali	195	-	-	195
27.	Rajsamand	63	-	-	63
28.	Sawai Madhopur	129	-	-	129
29.	Sikar	33	-	-	33
30.	Sirohi	35	-	-	35
31.	Tonk	453	5	-	458
32.	Udaipur	354	-	-	354
	Total	**8090**	**52**	**87**	**8229**

गैर सरकारी/असंगठित कामगार पेंशन योजनान्तर्गत जिला अजमेर के लाभान्वित कामगार

66. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती अनिता भदेल)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा असंगठित गैर सरकारी कामगारों के लिए कन्ट्रीव्यूटरी पेंशन स्कीम प्रारम्भ की गई है ? यदि हां, तो जिला अजमेर में कामगारों को इस पेंशन योजना से जोड़ने हेतु क्या प्रयास किये गये ? क्या योजना ने प्रचार-प्रसार हेतु कोई प्रयास किये गये हैं ? यदि हां, तो किये गये प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अजमेर जिले में इस योजना से कितने गैर सरकारी कामगारों को जोड़ा गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस योजना को लागू करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस योजना में अजमेर जिले में कामगारों को जोड़ने के उद्देश्य से जिले के समस्त श्रम निरीक्षकों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।

योजना के प्रचार-प्रसार के लिये (1) राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन दिनांक 12.08.2007 को प्रकाशित कराये गये। (2) योजना संबंधी ब्रोशर छपवाकर संबंधित को उपलब्ध करवाए गए।

(3) अजमेर जिले में अभी तक किसी कामगार को योजना से नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि योजना अभी 1 सितम्बर, 2007 से ही लागू की गई है।

यह एक स्वैच्छिक योजना है, जिसको लागू करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जावेगी :-

1. यह योजना भारत सरकार के पैंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकारी अध्यादेश, 2004 की व्यवस्था अनुसार बनाई गई है।
2. योजना की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित व्यवसायों में कार्यरत कामगारों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन श्रम विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जावेगा।
3. श्रम विभाग के श्रम निरीक्षक द्वारा आवेदन पत्र की जांच कर राज्य सरकार द्वारा नामित बैंकों यू.टी.आई. इत्यादि में को श्रमिकों के खाते खोलने एवं अंशदान जमा कराने हेतु प्रेषित किया जावेगा।

(श्रम एवं नियोजन मंत्री)

4. कामगार द्वारा स्वेच्छा से योजना के तहत अपनी अंशदान राशि जमा करवाई जावेगी।
5. राज्य सरकार द्वारा उतनी ही राशि (अधिकतम सीमा 1000 रुपये तक) अंशदान के रूप में जमा कराई जावेगी।
6. योजना की क्रियान्विति बैंकों/यू.टी.आई. इत्यादि के माध्यम से की जावेगी तथा कामगारों के खाते खोलकर अंशदान राशि जमा करवाई जावेगी।

नागौर जिले में प्रस्तावित नवीन छात्रावास

67. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में वर्तमान में कुल कितने समाज कल्याण छात्रावास कार्यरत हैं ? सूची विधान सभा क्षेत्रवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संचालित छात्रावासों में कुल कितनी छात्र संख्या है ? विवरण छात्रावास वार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या निकट भविष्य में उक्त जिले में और नये समाज कल्याण छात्रावास खोले जाने प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो कहां और कब व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला नागौर में वर्तमान में 14 राजकीय एवं 6 अनुदानित कुल 20 छात्रावास संचालित हैं। विधान सभा क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त संचालित छात्रावासों में कुल छात्र स्वीकृत संख्या 780 है। विवरण परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण नवीन छात्रावास खोला जाना संभव नहीं है।

परिशिष्ट ''अ''

क्र. सं.	**नाम छात्रावास (राजकीय)**	**विधान सभा क्षेत्र**	**स्वीकृत संख्या 2007-08**	**प्रवेशित संख्या 2007-08**
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास नागौर (प्रथम)	नागौर	70	70
2	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास नागौर (द्वितीय)	नागौर	35	35
3	राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास नागौर	नागौर	35	29
4	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास खीवसर	मा. मुण्डवा	25	25
5	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास डेगाना	डेगाना	35	35
6	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास रियाबाडी	मेड़ता सिटी	25	25
7	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास गच्छीपुरा	परबतसर	25	25
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास बड	परबसतर	25	25
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास मकराना	मकाराना	35	35
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास कुचामन सिटी	नावां	25	25
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास कूणवा	नावां	25	25
12	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास मौलासर	डीडवाना	35	35
13	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास छोटी खाटू	डीडवाना	35	35
14	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास लाडनूं	लाडनूं	60	47
			490	**471**

15	महात्मा गांधी अनुदानित अनु. जाति बालक छात्रावास नागौर	नागौर	45	45
16	महात्मा गांधी अनुदानित अनु. जाति बालक छात्रावास मेडता सिटी	मेड़ता सिटी	50	50
17	महात्मा गांधी अनुदानित अनु. जाति बालक छात्रावास परबतसर	परबतसर	60	60
18	महात्मा गांधी अनुदानित अनु. जाति बालक छात्रावास जायल	जायल	35	35
19	महात्मा गांधी अनुदानित अनु. जाति बालक छात्रावास डीडवाना	डीडवाना	50	50
20	महात्मा गांधी अनुदानित अनु. जाति बालक छात्रावास लाडनू	लाडनू	50	50
			290	**290**

सामाजिक सुरक्षा के पेन्शन भोगियों को निकटवर्ती डाकघर से पेन्शन राशि का भुगतान

68. श्री अमराराम (धोद) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में अगस्त, 2007 तक कितने वृद्ध, विकलांग एवं विधवाओं को पेंशन दी जा रही है ? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पेंशनभोगियों की पेंशन निकटवर्ती पोस्ट आफिस के खाते में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त पेंशन स्वीकृति के क्या मानदण्ड हैं तथा स्वीकृति हेतु किस अधिकारी को अधिकृत किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सीकर में अगस्त, 2007 तक वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवाओं को दी जा रही पेंशन का विवरण पंचायत समितिवार परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

(2) जी हां। उक्त पेंशन भोगियों की पेंशन निकटवर्ती पोस्ट आफिस में खाते स्थानान्तरित करने का प्रकरण विचाराधीन है। जिस पर शीघ्र निर्णय लेकर निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) पेंशन स्वीकृति के मापदण्डों का विवरण परिशिष्ट 'ब' सदन की मेज पर रख दिया गया है तथा पेंशन स्वीकृति करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी अधिकृत हैं।

परिशिष्ट ''अ''

पंचायत समिति का नाम	वृद्धावस्था	विधवा	विकलांग
फतेहपुर	468	507	426
नीमकाथाना	894	1189	759
श्रीमाधोपुर	1012	953	601
दांतारामगढ़	483	814	236
लक्ष्मणगढ़	970	449	392
खण्डेला	719	642	198
धोद	683	778	569
पिपराली	484	631	251

परिशिष्ट ''ब''

वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु प्रमुख मापदण्ड

अ. राज्य वृद्धावस्था पेन्शन :-

1. राजस्थान के मूल निवासी जो कम से कम गत तीन वर्षों से राज्य में निवास कर रहे हों।
2. वृद्ध पुरूष 58 वर्ष तथा अधिक आयु के निराश्रित हों।
3. वृद्ध महिला 55 वर्ष तथा अधिक आयु की निराश्रित हो।
4. उक्त व्यक्तियों के जीवन निर्वाह के लिए कोई आय न हो। (नियमों में यथा परिभाषित)
5. जिनके 20 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र/पौत्र न हो।

ब. विधवा पेन्शन :-

1. राजस्थान की मूल निवासी जो कम से कम गत तीन वर्षों से राज्य में निवास कर रहे हों।
2. उक्त विधवा के जीवन निर्वाह के लिए कोई आय न हो। (नियमों में यथा परिभाषित)
3. विधवा के 20 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र/पौत्र न हो।

स. विकलांग पेंशन :-

1. राजस्थान में स्थाई रूप से निवास करते हों एवं जिनकी आयु 8 वर्ष से अधिक हो।
2. जो अपाहिज या अपंग या अंधे हैं जिसके फलस्वरूप वे अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हैं तथा उनके पास जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं है।
3. जिस व्यक्ति के पुत्र, पुत्र का पुत्र, पत्नी, पिता, माता, भ्राता या पितामह में से एक या अधिक सम्बन्धी 20 वर्ष की आयु का है और वह सम्बन्धी स्वयं आजीविका के योग्य है तो ऐसा व्यक्ति पेन्शन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
4. पति, पत्नी यदि दोनो विकलांग हैं तो दोनों पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।

सिरोही जिले में विधवा पुत्रियों की सहायता राशि हेतु लम्बित प्रकरण

69. **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधवा पुत्रियों की शादी के लिए सहायता राशि देने का प्रावधान है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) जिला सिरोही में विधवा पुत्रियों की शादी के लिए सहायता के कितने आवेदन कब से लम्बित हैं ? प्रत्येक प्रकरण का विवरण मय शादी की तिथि व आवेदन तिथि के सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला सिरोही में विधवा पुत्रियों की शादी के लिए सहायता राशि का अंतिम भुगतान कब किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। विधवा की पुत्री के विवाह पर राशि रुपयें 10,000/- की सहायता देने का प्रावधान है।

(2) जिला सिरोही में विधवाओं की पुत्रियों की शादी के लिए सहायता के वर्तमान में 30 आवेदन माह अप्रैल 2007 से लम्बित हैं। प्रत्येक लम्बित आवेदन की प्राप्ती तिथि, शादी की तिथि तथा लम्बित रहने के कारणों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जिला सिरोही में 14 विधवाओं की 17 पुत्रियों की शादी के लिए सहायता राशि का अन्तिम भुगतान दिनांक 31 अगस्त, 2007 को किया गया।

परिशिष्ट 'अ'

जिला सिरोही में विधवाओं की पुत्री की शादी के लिए सहायतार्थ प्राप्त आवेदन पत्रों के प्राप्त होने व शादी की तिथि तथा आवेदन के लम्बित रहने के कारण का विवरण

क्र. सं.	नाम आवेदिका मय पता	आवेदन तिथि	विवाह तिथि	लम्बित का कारण
1	श्रीमती जमना देवी/ खेताराम पुरोहित, धनारी (पिण्डवाड़ा)	12.4.07	26.4.07	स्वीकृति जारी कर पत्रावली जिला परिषद को प्रतिहस्ताक्षरार्थ प्रेषित कर दी गई है।
2	शान्ति देवी/कन्हैयालाल पुरोहित, जावाल, सिरोही	10.5.07	20.4.07	स्वीकृति जारी कर पत्रावली जिला परिषद को प्रतिहस्ताक्षरार्थ प्रेषित कर दी गई है।
3	कमली/कालूराम भील, जावाल, सिरोही	10.5.07	20.4.07	स्वीकृति जारी कर पत्रावली जिला परिषद को प्रतिहस्ताक्षरार्थ प्रेषित कर दी गई है।
4	उगमकंवर/बलवन्त सिंह, गुलाबगंज, रेवदर, सिरोही	14.5.07	29.4.07	अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
5	केरी देवी/हीराजी रेबारी, पाडीव, सिरोही	15.5.07	21.4.07	स्वीकृति जारी कर पत्रावली जिला परिषद को प्रतिहस्ताक्षरार्थ प्रेषित कर दी गई है।

1	2	3	4	5
6	पोसू बाई/भलानी ख्वास, फाचरिया, सिरोही	18.5.07	20.4.07	अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
7	कमला/बाबूलाल खटीक, स्वरूपगंज, पिण्डवाड़ा	22.5.07	30.4.07	स्वीकृति जारी कर पत्रावली जिला परिषद को प्रतिहस्ताक्षरार्थ प्रेषित कर दी गई है।
8	गिगी/कानाराम भाट, जूना सांगवाड़ा, पिण्डवाड़ा	22.5.07	29.4.07	स्वीकृति जारी कर पत्रावली जिला परिषद को प्रतिहस्ताक्षरार्थ प्रेषित कर दी गई है।
9	मोती बाई/ शंकरलाल मेघवाल, माण्डवाड़ा खालसा (पिण्डवाडा)	28.5.07	6.5.07	स्वीकृति जारी कर पत्रावली जिला परिषद को प्रतिहस्ताक्षरार्थ प्रेषित कर दी गई है।
10	थूंगी देवी/नाथाजी मेघवाल, बराडा, सिरोही	29.5.07	29.4.07	स्वीकृति जारी कर पत्रावली जिला परिषद को प्रतिहस्ताक्षरार्थ प्रेषित कर दी गई है।
11	तीजा देवी/भैराराम रेबारी, आमथला, आबूरोड़	29.5.07	28.4.07	स्वीकृति जारी कर पत्रावली जिला परिषद को प्रतिहस्ताक्षरार्थ प्रेषित कर दी गई है।
12	शीला देवी/सवाजी मेघवाल, लूणियापुरा सिरोही	31.5.07	14.5.07	अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
13	हंसा देवी/सवाजी मेघवाल, नवारा, सिरोही	19.5.07	21.4.07	अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
14	पवनी देवी / छोगाराम पुरोहित, बावली, सिरोही	4.6.07	5.5.07	स्वीकृति जारी कर पत्रावली जिला परिषद को प्रतिहस्ताक्षरार्थ प्रेषित कर दी गई है।
15	पवनी/जानाजी पुरोहित, किवरली, आबूरोड़, सिरोही	4.6.07	14.5.07	अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

1	2	3	4	5
16	कोकू देवी/बाबूराम भील, गुलाबगंज, रेवदर	1.4.07	14.5.07	स्वीकृति जारी कर पत्रावली जिला परिषद को प्रतिहस्ताक्षरार्थ प्रेषित कर दी गई है।
17	पंकू देवी/नवाजी कोली, सांगारली, रेवदर	5.6.07	6.5.07	स्वीकृति जारी कर पत्रावली जिला परिषद को प्रतिहस्ताक्षरार्थ प्रेषित कर दी गई है।
18	विमला/प्रहलाद जी रावत, कूड, सिरोही	14.6.07	1.7.07	स्वीकृति जारी कर पत्रावली जिला परिषद को प्रतिहस्ताक्षरार्थ प्रेषित कर दी गई है।
19	थावरी / फांगना भील, जोडफली, रोहिड़ा, पिण्डवाड़ा	19.6.07	20.6.07	स्वीकृति जारी कर पत्रावली जिला परिषद को प्रतिहस्ताक्षरार्थ प्रेषित कर दी गई है।
20	शान्ति देवी / फूलाराम मेघवाल, अरठवाड़ा, शिवगंज	4.7.07	22.6.07	अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
21	नीबूं / सोमाजी भील, आमथला, सिरोही	5.7.07	16.6.07	अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
22	छंगनकुवर / सरदार सिंह, पाण्डूरी, आबूरोड	5.7.07	19.6.07	स्वीकृति जारी कर पत्रावली जिला परिषद को प्रतिहस्ताक्षरार्थ प्रेषित कर दी गई है।
23	कंकूबाई/भावाराम, वाटेरा, पिण्डवाड़ा	12.7.07	22.6.07	अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
24	सोती देवी/मीठालाल, बड़ावेरा (शिवगंज)	17.7.07	17.6.07	अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
25	रहमती बाई/अहमद खाँ, माण्डाणी, शिवगंज	17.7.07	17.6.07	अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
26	फूली बाई/हंसाजी भील, ईसरा, पिण्डवाड़ा	24.7.07	6.7.07	स्वीकृति जारी कर पत्रावली जिला परिषद को प्रतिहस्ताक्षरार्थ प्रेषित कर दी गई है।

1	2	3	4	5
27	सकणी/रमेश बागरी, आबूरोड़	25.7.07	27.6.07	अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
28	कारी बाई/अनाराम मेघवाल, पाडीव, सिरोही	28.7.07	29.6.07	अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
29	सहोदरी/रायसिंह, वेलागरी, सिरोही	3.8.07	6.7.07	स्वीकृति जारी कर पत्रावली जिला परिषद को प्रतिहस्ताक्षरार्थ प्रेषित कर दी गई है।
30	अंशू देवी / देवाराम मेघवाल, गोयली, सिरोही	21.8.07	21.7.07	अभी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

दीगोद में विधायक विकास कोष से स्वीकृत कार्य/राशि

70. **श्री भरत सिंह** (दीगोद) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र दीगोद में गत तीन वर्षों में विधायक कोष से स्वीकृत कार्य की कितनी राशि का उपयोग किया जा चुका है तथा कितनी राशि स्वीकृति के उपरान्त भी कार्य पूर्ण नहीं होने या अन्य कारणों से शेष बची है ? वर्षवार कुल प्राप्त राशि व शेष बची राशि की पृथक-पृथक सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नियमानुसार जो राशि उपयोग करने के अभाव में शेष रहती है वह लेप्स नहीं की जा सकती व उसका उपयोग अगले वर्ष में करवाया जा सकता है ? यदि नहीं, तो राशि का समय रहते उपयोग नहीं करने पर राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है ?

(3) क्या स्वीकृत कार्य पूर्ण होने पर समस्त कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कार्य एजेन्सी को प्रदान कर दिए गए हैं ? यदि नहीं, तो उन कार्यों की वर्षवार सूची संलग्न करें, जिनके उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए गए हैं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दीगोद में गत तीन वर्षों में विधायक कोष से कुल 231 कार्य राशि 180.87 लाख के स्वीकृत किये गये हैं। जिसमें से 170.28 लाख रुपये का उपयोग किया जा चुका है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

शेष बची राशि 10.59 लाख रुपये हैं जो उपरोक्त कार्यों पर व्यय किया जाना है। वर्षवार कुल प्राप्त राशि एवं शेष बची राशि की पृथक-पृथक सूची संलग्न परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां।

(3) स्वीकृत कार्य सामान्य कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित कार्य एजेन्सी द्वारा प्रदान कर दिये जाते हैं।

गत तीन वर्षों में जिन कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गये हैं उन कार्यों की वर्षवार सूची संलग्न परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

खूंटा गलिया (बागीदौरा) ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय रोजगार योजनान्तर्गत व्यय

71. श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत खूंटा गलिया, पंचायत समिति बागीदौरा, जिला बांसवाड़ा में राष्ट्रीय रोजगार योजना के अंतर्गत मार्च, 2007 से अगस्त, 2007 तक कुल स्वीकृत कार्यों की सूची निम्नानुसार सदन की मेज पर रखें :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	ग्राम	स्वीकृत राशि		खर्च राशि	
			श्रम	सामग्री	श्रम	सामग्री
1	2	3	4	5	6	7

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम पंचायत में सामग्री मद में राशि खर्च की गई थी यदि हां, तो कार्यवार खर्च की गई राशि के बिल वाउचरों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त निर्माण ग्राम पंचायत में सामग्री मद में निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय की गई थी ? यदि हां, तो खरीदी गई सामग्री के बिल वाउचरों की छाया प्रतियों के साथ विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम पंचायत में सामग्री मद हेतु बैंक

(श्री जीतमल खांट)

से राशि निकाली गई है ? यदि हां, तो बैंक से कितनी बार राशि निकाली गई ? बैंक पास बुक की छाया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त ग्राम पंचायत में संपादित कार्यों के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी हो चुके हैं ? यदि हां, तो उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण-पत्र की छाया प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत खूंटा गलिया पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाड़ा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान के अन्तर्गत मार्च, 2007 से अगस्त, 2007 तक 39 कार्य स्वीकृत हुए। स्वीकृत कार्यों की सूची निर्धारित प्रारूप में परिशिष्ट-अ पर संलग्न कर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। उक्त ग्राम पंचायत में उक्त स्वीकृत कार्यों पर सामग्री मद में कोई राशि खर्च नहीं की गयी।

(3) जी नहीं। उक्त ग्राम पंचायत में उक्त स्वीकृत कार्यों पर कोई सामग्री क्रय नहीं की गई।

(4) जी नहीं। उक्त ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री मद हेतु कोई राशि बैंक से आहरित नहीं की गई है।

(5) उक्त ग्राम पंचायत में मार्च, 2007 से अगस्त, 2007 के मध्य स्वीकृत कार्यों में से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, जिससे पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है। कार्यवार स्थिति परिशिष्ट-अ पर संलग्न कर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट 'अ'

क्र.सं.	कार्य का नाम	गांव	स्वीकृत राशि लाखों में		खर्च राशि लाखों में	
			श्रम	सामग्री	श्रम	सामग्री
1	2	3	4	5	6	7
1	चेकडेम्स निर्माण वार्ड नं. 2	खुटा गलिया	1.95	1.21	0.00	0.00
2	चेकडेम्स निर्माण वार्ड नं. 4	खुटा गलिया	1.49	1.01	0.00	0.00
3	चेकडेम्स निर्माण वार्ड नं. 5	खुटा गलिया	1.79	0.94	0.00	0.00
4	चेकडेम्स निर्माण वार्ड नं. 6	खुटा गलिया	1.93	0.99	0.00	0.00
5	ग्रेवल सड़क निर्माण मेन रोड से रा. गा. पा. तम्बोलिया फला तक	खुटा गलिया	2.89	2.08	0.00	0.00
6	ग्रेवल सड़क निर्माण डी.पी. से गुजरात सीमा तक	खुटा गलिया	2.78	2.04	0.00	0.00
7	ग्रेवल सड़क रा. गा. पा. बरागोया फला से .... तक	खुटा गलिया	3.21	1.60	0.00	0.00
8	मेडबन्दी कार्य तम्बोलिया फला	खुटा गलिया	4.77	0.19	4.69	0.00
9	चेकडेम निर्माण फरगी फला के खेत में	खुटा गलिया	3.03	1.93	0.00	0.00
10	चेकडेम निर्माण वार्ड नं. 4	खुटा गलिया	2.95	1.90	2.08	0.00
11	चेकडेम निर्माण वार्ड नं. 5	खुटा गलिया	2.98	1.91	0.00	0.00
12	चेकडेम निर्माण वार्ड नं. 7 द्वितीय	गड्डली	1.93	0.99	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
13	चेकडेम निर्माण वार्ड नं. 8 द्वितीय	गड्ली	2.00	1.02	0.00	0.00
14	ग्रेवल सडक मगन/फलसा के घर से गुजरात सीमा तक	गड्ली	2.69	1.50	0.00	0.00
15	ग्रेवल सड़क विजयसिंह के घर से शिक्षा कर्मी विद्यालय तक	गड्ली	2.89	2.08	0.00	0.00
16	ग्रेवल सड़क निर्माण/वरसेंग के घर से गुजरात सीमा तक	गड्ली	2.89	2.08	0.00	0.00
17	मेडबन्दी कार्य निचलाफला	गड्ली	4.80	0.19	3.00	0.00
18	मेडबन्दी कार्य पारगीफला	गड्ली	4.00	1.00	0.00	0.00
19	मेडबन्दी कार्य उपलाफला	गड्ली	4.77	0.19	4.75	0.00
20	मेडबन्दी कार्य उपलाफला	गड्ली	4.80	0.19	4.22	0.00
21	मेडबन्दी कार्य गड्ली	गड्ली	4.77	0.19	4.80	0.00
22	चेकडेम निर्माण कार्य वार्ड नं. 9 द्वितीय गड्ली के खेत में	गड्ली	2.98	1.91	1.18	0.00
23	वागदानी मय फार्म पोण्ड-बदिया/कानजी	खुटा गलिया	0.32	0.11	0.00	0.00
24	भूमि सुधार/छोटे डब्ल्यू एम.एस.-कानजी/पुजा.	खुटा गलिया	0.31	0.11	0.06	0.00
25	भूमि सुधार/छोटे डब्ल्यू एम.एस.-मोगली/मगन	खुटा गलिया	0.31	0.11	0.07	0.00
26	बागदानी मय फार्म पोण्ड-घिरू/दिवा	खुटा गलिया	0.32	0.11	0.05	0.00

1	2	3	4	5	6	7
27	भूमि सुधार/छोटे डब्ल्यू एम.एस.-जिधरा/सरदार	खूटा गलिया	0.31	0.11	0.07	0.00
28	भूमि सुधार/छोटे डब्ल्यू एम.एस.-हकम/रामा	खूटा गलिया	0.31	0.11	0.00	0.00
29	भूमि सुधार/छोटे डब्ल्यू एम.एस.-होना/कचरा	खुटा गलिया	0.31	0.11	0.06	0.00
30	भूमि सुधार/छोटे डब्ल्यू एम.एस.-रामलाल/हाला	खुटा गलिया	0.31	0.11	0.00	0.00
31	भूमि सुधार/छोटे डब्ल्यू एम.एस.-शान्तिलाल/साना	खुटा गलिया	0.31	0.11	0.06	0.00
32	बागदानी मय फार्म पोण्ड-सुभाष/धुलचन्द	खुटा गलिया	0.32	0.11	0.00	0.00
33	भूमि सुधार/छोटे डब्ल्यू एम.एस.-छगन/सपा	खुटा गलिया	0.31	0.11	0.06	0.00
34	बागवानी मय फार्म पोण्ड-दलपत सिंह/वरसेंग	खुटा गलिया	0.32	0.11	0.00	0.00
35	भूमि सुधार/छोटे डब्ल्यू एम.एस.-बालजी/कानजी	खुटा गलिया	0.31	0.11	0.00	0.00
36	भूमि सुधार/छोटे डब्ल्यू एम.एस.-फला/जोलगा	खुटा गलिया	0.31	0.11	0.07	0.00
37	भूमि सुधार/छोटे डब्ल्यू एम.एस.-मधु/दीक्षा	खुटा गलिया	0.31	0.11	0.07	0.00
38	भूमि सुधार/छोटे डब्ल्यू एम.एस.-कानजी/भुरका	खुटा गलिया	0.31	0.11	0.00	0.00
39	भूमि सुधार/छोटे डब्ल्यू एम.एस.-लाल/सादुका	खुटा गलिया	0.31	0.11	0.06	0.00
	योग		**73.60**	**29.10**	**25.35**	**0.00**

निम्न गरीबी रेखा के अचयनित परिवारों को राज कोष से सहायता

72. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बी.पी.एल. सूची जारी करने के बाद भी बी.पी.एल. कार्ड एवं मेडिकल कार्ड जारी नहीं करने से हो रही असुविधा के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है तथा अब बी.पी.एल. एवं मेडिकल कार्ड कब तक जारी कर दिये जावेंगे ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अपने फण्ड से बी.पी.एल. वंचितों को बी.पी.एल. की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो उक्त सुविधा कब से लागू की जावेगी ?

उत्तर

(1) बीपीएल की मूल सूची भारत/राज्य सरकार के निर्देशानुसार निरन्तर अपील की प्रक्रिया के कारण बहुत अधिक संख्या में संशोधनों की सम्भावना थी, जिनके कारण राज्य सरकार द्वारा संशोधित सूची के अनुसार मेडीकेयर कार्ड जारी करने का निर्णय लिया गया था। अब संशोधित सूची के अनुसार मेडीकेयर कार्ड जारी करने की कार्यवाही चिकित्सा विभाग द्वारा की जा रही है। बीपीएल कार्ड भारत सरकार द्वारा बजट उपलब्ध न करवाने के कारण नहीं बनवाये जा रहे हैं।

(2) बीपीएल की जारी की गयी सूची में अपीलों के माध्यम से जोड़े जाने वाले नामों सहित सभी 17.36 लाख बीपीएल की परिधी में आने वाले 17.36 लाख परिवारों को बीपीएल की सभी सुविधायें दी जायेंगी। बीपीएल की सूची में जो नाम उक्त संख्या से अधिक होंगे तथा पुरानी सीमा 20.97 लाख तक की सीमा में आने वाले गरीबों के लिए मुख्य मंत्रीजी की बजट घोषणा के अनुसार सुविधा देने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पाली जिले में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त निजी/सार्वजनिक सम्पत्ति का पुनर्निर्माण/मुआवजा

73. **श्री खुशवीर सिंह जोजावर** (खारची) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

(1) जुलाई, 2007 में जिला पाली में अतिवृष्टि (बाढ़) से कितने मकान क्षतिग्रस्त, ध्वस्त हुए तथा कितने एनीकट, बांध व तालाब क्षतिग्रस्त हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त अतिवृष्टि से हुए क्षतिग्रस्त तथा ध्वस्त हुए मकानों को कितनी-कितनी सहायता राशि किस-किस को कब-कब आबंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जुलाई, 2007 में पाली जिले में अतिवृष्टि (बाढ़) से क्षतिग्रस्त मकान, एनीकट व तालाबों का विवरण निम्न प्रकार है :-

नाम तहसील	क्षतिग्रस्त मकान	क्षतिग्रस्त एनीकट	क्षतिग्रस्त तालाब
देसूरी	256	14	08
सुमरेपुर	04	04	13
रोहट	411	—	14
पाली	4951	02	20
मा.जं.	768	15	18
बाली	40	02	23
जैतारण	1115	04	24
रायपुर	02	05	14
सोजत	3400	02	03
रानी	0	0	11

(2) उक्त अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए 10947 मकानों के लिए 241.77 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर दी गई है। सूची बड़ी होने के कारण 110 सैट तैयार करने में समय लगना है। सूचियां तैयार कर शीघ्र प्रेषित कर दी जावेंगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

लापरवाह वाहन चालकों के वाहन चालान पर प्रतिबन्ध

74. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विगत 3-4 वर्षों में चालकों की लापरवाही से दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है ?

(2) क्या लापरवाह या दुर्घटना के दोषी चालकों के ड्राइविंग लाइसेन्स रद्द करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विगत 4 वर्षों के दौरान वर्ष 2003, 2004 तथा 2005 में चालकों की गलती से दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। किन्तु वर्ष 2006 में वर्ष 2004 व 2005 की तुलना में ऐसी दुर्घटनाओं में कमी भी हुई है। गत 4 वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं तथा चालकों की त्रुटि के कारण हुई सड़क दुर्घटनाओं का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। लापरवाह अथवा दुर्घटना के दोषी चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अन्तर्गत प्रतिसंहृत (Revoke) किये जा सकते हैं अथवा चालक को लाइसेंस धारण के अयोग्य किया जा सकता है।

परिशिष्ट 'क'

चालक की त्रुटि के कारण घटित दुर्घटनाओं का विवरण

(प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर)

वर्ष	कुल सड़क दुर्घटना	चालक की त्रुटि के कारण घटित दुर्घटना
2003	21933	17686
2004	23243	21293
2005	23115	22993
2006	23348	20854

नागौर जिले के बस स्टैण्ड रहित नगरपालिका मुख्यालय

75. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में विभिन्न शहरी क्षेत्रों, कस्बों में कहां-कहां पर सरकारी बस स्टैंड बनाये जा चुके हैं ? सूची स्थान वार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र कुचेरा, मारवाड़, मुण्डावा और बडे कस्बे थांवला में अभी तक बस स्टैंड नहीं बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थानों पर प्रतिदिन लगने वाले जाम और रास्ता रूकने में आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ?

(3) क्या सरकार आम जनता को होने वाली इन परेशानियों के निवारण हेतु उक्त स्थानों पर बस स्टैंड बनाने का विचार रखती है ?, यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान परिवहन निगम द्वारा जिला नागौर में नागौर शहर एवं मेड़ता सिटी में बस स्टैण्ड बनाये हुये हैं। इसके अतिरिक्त निम्न बस स्टैण्ड ऐसे हैं जिनका निगम द्वारा उपयोग किया जा रहा है :-

क्र.सं.	स्थान	किसके स्वामित्व का हैं
1	मेड़ता	नगरपालिका का
2	डीडवाना	नगरपालिका का
3	जायल	ग्राम पंचायत का
4	लाडनूं	नगरपालिका का
5	मकराना	दानदाता द्वारा बनाकर दिया है
6	परबतसर	नगरपालिका का
7	कुचामन	नगरपालिका का
8	नावां	निगम द्वारा गोविन्द गौशाला से किराए पर भवन ले रखा है

(यातायात मंत्री)

(2) जी हां। राजस्थान परिवहन निगम की बस स्टैण्ड निर्माण हेतु कुचेरा, मारवाड़, मूण्डवा बड़े कस्बे व थांवला में भूमि क्रय करने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

मारवाड़, मूण्डवा तथा थांवला पर निगम का बुकिंग कार्यालय स्थापित नहीं है, यहां पर निगम वाहनें केवल यात्रियों को उतारने व चढ़ाने के लिये ही रूकती है। अतः निगम वाहनों के संचालन से जाम एवं रास्ता नहीं रूकता हैं।

(3) जी नहीं। राजस्थान परिवहन निगम की वर्तमान में वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के फलस्वरूप उक्त स्थानों पर भूमि क्रय कर उस पर बस स्टैण्ड भवनादि का निर्माण कराने में निगम सक्षम नहीं है। यदि सम्बंधित स्थानीय निकाय द्वारा उपयुक्त स्थल पर जन सुविधायुक्त बस स्टैण्ड बना दिया जावे तो वाहन संचालन हेतु योग्य पाये जाने पर वहां से निगम द्वारा वाहनों का संचालन किया जा सकता है तथा राज्य सरकार के नियमानुसार उसका किराया भुगतान किया जा सकता है।

परिवहन निगम बेड़े के नाकारा वाहन

76. **श्री बृजकिशोर शर्मा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा गत 4 वर्षों में कितनी बसें किस-किस श्रेणी की कब-कब क्रय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा प्रति आगार कितनी बसें संचालित की जा रही हैं एवं कितनी बेकार/नाकारा हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गत 4 वर्षों में निगम के आगारों पर लाभ/हानि हुई है ? यदि हां, तो कितनी ? आगारवार तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान परिवहन निगम द्वारा गत 4 वर्षों में श्रेणीवार व वर्षवार क्रय की गई बसों की संख्या सूची परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा आगारवार संचालित की जा रही व बेकार/नकारा वाहनों की सूची परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(यातायात मंत्री)

(3) जी हां। गत 4 वर्षों में हुई आगारवार लाभ/हानि का विवरण परिशिष्ट '3' पर संलग्न है।

परिशिष्ट '1'

राजस्थान परिहवन निगम द्वारा गत 4 वर्षों में श्रेणीवार व वर्षवार क्रय की गई बसों की संख्या सूची

क्र. सं.	वर्ष	सुपर एक्सप्रेस ब्ल्यू लाइन	डीलक्स स्टार लाइन	हाई टैक नोन ए.सी.	हाई टैक ए.सी.	स्लीपर नोन ए.सी.	स्लीपर ए.सी.	कुल संख्या
1	2003-04	642	76	27	2	10	0	757
2	2004-05	199	34	3	4	6	0	246
3	2005-06	380	120	0	20	0	0	520
4	2006-07	265	70	0	30	0	10	375
5	2007-08 (अगस्त 07 तक)	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	**1486**	**300**	**30**	**56**	**16**	**10**	**1898**

परिशिष्ट '2'

निगम द्वारा संचालित एवं नकारा योग्य वाहनों का विवरण

क्र.सं.	आगार	संचालित वाहनें	नकारा योग्य वाहनों की संख्या
1	2	3	4
1	वैशालीनगर	120	36
2	झालानाडूंगरी	121	11
3	डीलक्स	117	00
4	जयपुर	107	08
5	विद्याधर नगर	124	18
6	सांगानेर	144	22
7	कोटपूतली	92	30

1	2	3	4
8	अलवर	124	34
9	मत्स्यनगर	102	30
10	तिजारा	55	09
11	भरतपुर	72	18
12	लोहागढ़	83	18
13	धौलपुर	72	18
14	टोंक	77	06
15	बूंदी	77	18
16	कोटा	113	05
17	बारां	60	11
18	झालावाड़	95	11
19	दौसा	85	16
20	हिण्डौन	88	21
21	जोधपुर	119	28
22	पाली	55	21
23	सिरोही	60	14
24	आबूरोड	66	15
25	फालना	44	07
26	जालौर	78	15
27	बाड़मेर	87	17
28	फलौदी	54	08
29	बीकानेर	120	27
30	हनुमानगढ़	120	23
31	अनूपगढ़	72	07
32	गंगानगर	129	39
33	चूरू	74	12

1	2	3	4
34	सरदारशहर	71	07
35	सीकर	134	41
36	श्रीमाधोपुर	72	25
37	खेतड़ी	62	14
38	झुंझुनूं	91	24
39	अजमेर	95	20
40	अजयमेरू	116	49
41	ब्यावर	106	22
42	चित्तौड़गढ़	105	40
43	उदयपुर	129	39
44	डूंगरपुर	84	50
45	बांसवाड़ा	69	08
46	नागौर	84	32
47	भीलवाड़ा	92	22
48	डीडवाना	54	05
	योग :-	**4370**	**971**

परिशिष्ट '3'

चार वर्षों में हुई आगारवार लाभ/हानि का विवरण

S.No.	Depot	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	Aburoad	2.25	-13.81	57.68	-90.94
2	Ajyameru	-38.11	-151.3	-162.12	-82.22
3	Ajmer	-60.94	-61.11	-38.58	-73.22
4	Alwar	-79.41	-148.67	-228.01	-196.58
5	Anoopgarh	-85-95	-150	-158.37	-172.88
6	Banswara	44.37	3.29	-22.09	-8.7
7	Baran	-181.35	-208.19	-251.41	-246.41

1	2	3	4	5	6
8	Barmer	-167.7	-280.43	-155.2	-185.46
9	Beawer	-152.57	-224.58	-251.18	-226.57
10	Bharatpur	26.08	-101.64	-168.05	-105.95
11	Bhilwara	-97.47	-143.4	-88.71	-146.7
12	Bikaner	-319.73	-438.88	-396.28	-304.78
13	Bundi	-204.05	-282.48	-188.32	-129.47
14	Chittorgarh	-120.29	-144.87	-209.88	-207.92
15	Churu	18.5	31.61	56.38	-0.08
16	Dausa	-108.34	-135.8	-249.23	-269.42
17	Deluxe	327.5	560.53	371.43	764.39
18	Dholpur	14.92	18.6	-46.12	-26.66
19	Didwana	-	-	-66.13	-119.31
20	Dungarpur	-70.14	-50.83	-35.33	-93.11
21	Falna	-73.61	-120.85	-115.19	-106.3
22	Ganganagar	-165.34	-307.86	-188.8	-131.36
23	Hanumangarh	30.65	-66.58	-82.18	-73.69
24	Hindaun	-25.89	-96.14	-7.85	-9.76
25	Jaipur	280.71	282.63	166.65	170.73
26	Jalore	1.89	23.71	41.96	25.56
27	Jhalana Dungari	-339.62	-461.59	-489.2	-347.78
28	Jhalawar	-142.47	-169.44	-231.79	-199.94
29	Jhunjhunu	-100.59	-158.97	-102.38	-117.79
30	Jodhpur	-311.99	-500.77	-506.57	-650.29
31	Khetri	-170.16	-207.32	-184.24	-122.98
32	Kota	-180.18	-254.92	-302.44	-349.82
33	Kotputli	-123.37	-219.49	-273.61	-85.49

1	2	3	4	5	6
34	Lohagarh	-74.07	-114.54	-115.27	-19.33
35	Matsayanagar	18.65	-78.99	-90.54	-37.34
36	Nagaur	-203.79	-283.39	-373.81	-342.21
37	Pali	-78.17	-143.55	-150.4	-134.84
38	Phalodi	-161.42	-186.07	-168.79	-160.8
39	Sanganer	-184.35	-219.02	-64.37	25.27
40	Sardarsahar	-98.11	-161.51	-114.06	-138.77
41	Sikar	-81.52	-185.67	-265.52	-244.48
42	Sirohi	-18.05	-85.45	-107.07	-127.12
43	Srimadhopur	-108.23	-166.89	-222.65	-162.45
44	Tijara	-29.6	-115.18	-53.06	20.05
45	Tonk	-170.12	-217.45	-186.53	-135.39
46	Udaipur	-84.75	-42.32	-149.77	-162.95
47	Vaishali Nagar	-162.37	-260.21	-231.94	-215.01
48	Vidhyadhar Nagar	-335.7	-413.98	-414.87	-342.84
49	Revdar	-70.1	-84.64	-38.87	

बारां जिले में गरीबी रेखा में चयन हेतु प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण

77. **श्री प्रमोद जैन "भाया"** (बारां) :- क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में बी.पी.एल. सेंसस 2002 में कितने व्यक्तियों का चयन किया गया ? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बारां जिले में बी.पी.एल. में चयन नहीं होने से आपत्तियां प्राप्त करने हेतु लगाये गये शिविरों में किस-किस ग्राम से कितनी-कितनी आपत्तियां दर्ज हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रमोद जैन ''भाया'')

(3) जिला प्रशासन द्वारा आपत्तियों पर निर्णय के पश्चात् किस-किस ग्राम से कितने-कितने व्यक्तियों के नाम हटाये एवं जोड़े गये ? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) बारां जिले में ग्रामवार दिनांक 1 सितम्बर, 2007 को कितनी आपत्तियों पर निर्णय लिया जाना शेष है ? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में बी.पी.एल. सेंसस 2002 में कुल 41155 व्यक्तियों का चयन किया गया है जिसका ग्रामवार विवरण परिशिष्ट 'क' 1-7 पर प्रस्तुत है।

(2) जिले में आपत्तियां प्राप्त करने हेतु लगाये गये शिविरों में प्राप्त आपत्तियों का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट 'क' 1-7 पर प्रस्तुत है।

(3) जिले में प्राप्त आपत्तियों पर निर्णय के पश्चात् हटाये एवं जोड़े गये परिवारों का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट 'क' 1-7 पर प्रस्तुत है।

(4) बारां जिले में 1.9.2007 को निर्णय से कोई आपत्तियां शेष नहीं हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

नैनवां में विधायक कोष से स्वीकृत कार्य

78. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नैनवां में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत पेयजल हेतु हैण्डपम्प/ट्यूबवैल तथा अन्य पेयजल योजनाओं के लिए क्षेत्रीय विधायक ने राशि अनुशंसित की है ? यदि हां, तो किस कार्य के लिए किस तारीख को कितनी राशि ? दिनांक 01 फरवरी, 2004 से अब तक की अवधि में उक्त कार्यों के लिए की गई अनुशंसा का पृथक-पृथक विवरण मय कार्य प्रगति की वर्तमान स्थिति के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किस कार्य की किस तारीख को प्रशासनिक, तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति जारी की गई तथा उक्त कार्य में से कौन-कौनसा कार्य

(श्री रामनारायण मीणा)

पूर्ण हो चुका है, कौनसा अपूर्ण है तथा कौनसा अब तक प्रारंभ नहीं किया गया ? कार्यवार पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कार्यों के संबंध में जारी निर्देशों के तहत उक्त कार्यों के संबंध में समयबद्ध प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस संबंध में देरी के क्या कारण हैं तथा इन कारणों को समयबद्ध तरीके से दूर नहीं करने का भी क्या कारण रहा ?

(4) उक्त कार्यो में से शेष रहे कार्य कब तक प्रारम्भ किए जाकर किस तारीक्ष तक पूर्ण करवा दिए जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत 01 फरवरी, 2004 से अब तक की अवधि के दौरान माननीय विधायक द्वारा अनुशंषित पेयजल हेतु हैण्डपम्प/ट्यूबवैल तथा अन्य पेयजल योजनाओं के लिए कार्यों की अनुशंषित दिनांक एवं राशि का कार्यवार विवरण मय वर्तमान स्थिति के संलग्न परिशिष्ट (अ) पर उपलब्ध है।

(2) उक्त अनुशंषित कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की दिनांक तथा कार्य के पूर्ण, अपूर्ण तथा प्रारंभ नहीं की स्थिति का विवरण कार्यवार संलग्न परिशिष्ट (अ) पर अवलोकनीय है।

(3) सामान्यतया प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति निर्धारित समयबद्ध तरीके से ही जारी की जाती है। कुछ प्रकरणों में प्रशासनिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विलम्ब संभावित रहता है। इसे समय पर करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है।

(4) अब शेष रहे कार्यों को प्रारंभ कर पूर्ण करवाने की संभावित तिथि संलग्न परिशिष्ट (अ) पर अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही जिले में रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत लाभान्वित परिवार

79. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) सिरोही जिले को रोजगार गारंटी योजना में कब शामिल किया गया एवं अब तक उक्त योजना में सिरोही जिले में कितनी राशि आबंटित की गई ?

(2) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में उक्त योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति व बी.पी.एल. के व्यक्तियों के कुएं खोदने अथवा उनकी कृषि भूमि में सुधार के कितने कार्य अब तक स्वीकृत किए गए एवं कितने कार्य कब चालू किए गए ? ग्राम पंचायतवार विवरण मय सूची, मय तिथि, मय व्यय के सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है एवं संबंधित के विरूद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जिला सिरोही को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान में 2 फरवरी, 2006 को शामिल किया गया था, अब तक उक्त योजना में सिरोही जिले में कुल रूपये 8461.78 लाख की राशि आबंटित की गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में उक्त योजना में अनु. जाति/जनजाति एवं बीपीएल व्यक्तियों के कुएं खोदने अथवा उनकी कृषि भूमि में सुधार के अंतर्गत स्वीकृत कार्य एवं व्यय राशि का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न कर सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त योजना में जारी की गई स्वीकृतियां, किये गये कार्य की प्रगति, व्यय, लाभान्वित किये गये अनु. जाति/जनजाति एवं बीपीएल परिवारों को दृष्टिगत रखते हुए योजना में कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें कोई लापरवाही स्पष्ट नहीं होती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

सिरोही में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत पूर्ण/अपूर्ण विकास कार्य

80. **श्री संयम लोढा** (सिरोही) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में विधान सभा क्षेत्र सिरोही में वर्ष 1999-2000 से 2007-2008 में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये ? विवरण मय कार्य लागत के वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(श्री संयम लोढ़ा)

(2) उक्त में से कौन-कौनसे कार्य अपूर्ण है एवं उनके क्या कारण हैं ? प्रत्येक का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में विधान सभा क्षेत्र सिरोही में वर्ष 1999-2000 से 2007-2008 में स्वीकृत कार्यों की लागत का वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से अपूर्ण कार्यों का कारण सहित विवरण संलग्न परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगंज में विधायक विकास कोष से स्वीकृत कार्य

81. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विधायक कोष से वर्ष 2004 से अब तक कितनी-कितनी राशि किन-किन विकास कार्यों पर कहां-कहां के लिये जारी की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनके द्वारा विधायक कोष की राशि चैक द्वारा उठा ली गई व मौके पर स्वीकृत कोई कार्य नहीं करवाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) ऐसी ग्राम पंचायतों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें1

(4) विधायक कोष से स्वीकृत कौन-कौन से कार्य किस-किस स्थान पर प्रारम्भ नहीं हुये ? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार विधायक कोष से स्वीकृत कार्यों को शीघ्र करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में विधायक कोष से वर्ष 2004 से अब तक जिन विकास कार्यों पर राशि जारी की गई उसका विवरण संलग्न परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(2) ऐसी एक ग्राम पंचायत भाभुधरा है जिसमें विधायक कोष की राशि 40,000 का चैक द्वारा ग्राम भोयल में कुआं निर्माण हेतु उठा ली गयी थी जो कार्य मौके पर प्रारंभ नहीं करवाया गया था।

(3) ग्राम पंचायत भाभुधरा से चैक नं. 308387 दिनांक 16.6.2007 द्वारा राशि वसूल कर ली गयी है तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु विकास अधिकारी को निर्देशित किया जा चुका है।

(4) विधायक कोष से स्वीकृत कार्य जो प्रारंभ नहीं हुये हैं उनकी पंचायतवार सूची संलग्न परिशिष्ट-ख पर उपलब्ध है।

(5) जी हां। विधायक कोष से स्वीकृत कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करवाया जायेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

इन्दिरा आवास निर्माण हेतु निर्धारित राशि में वृद्धि

82. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर पूर्व) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 2006-07 में इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत कुल कितने मकानों का निर्माण करवाया गया ?

(2) वर्ष 2006-07 में अजमेर जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में कितने इंदिरा आवास बनाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आवास निर्माण सामग्री की बढ़ी कीमतों व रायल्टी में वृद्धि और मंहगी हुई निर्माण सामग्री के कारण आवास निर्माण हेतु निर्धारित राशि को बढ़ाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत कुल 30018 नये आवासों का निर्माण एवं 3379 कच्चे आवासों को पक्के आवासों में क्रमोन्नत कराया गया।

(2) वर्ष 2006-07 में अजमेर जिले की कुल 8 पंचायत समितियों में जो इन्दिरा आवास बनवाये गये, उनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

भादरा में विधायक स्थानीय विकास कोष से विकास कार्य

83. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र भादरा में वित्तीय वर्ष 2000-01 से 2002-03 तक विधायक स्थानीय विकास को से किन-किन गांवों में कितनी-कितनी राशि किन-किन विकास कार्यों में व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र भादरा में वर्ष 200-2001 से 2002-2003 में विधायक स्थानीय कोष से जिन गांवों में जो राशि व्यय की गई हैं, उनका कार्यवार व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-34 का विवरण)

परिशिष्ट-''क''

1	चौमू	RJ-14-TA-4328	पुलिस कानि.	श्री रामलाल शर्मा, विधायक चौमूं	4.8.2006	कस्बा चौमूं जीवन सुरक्षा एवं संस्था समिति द्वारा
2	गोविन्दगढ	RJ-14-PA-4314	पुलिस कानि.	श्री रामलाल शर्मा, विधायक चौमूं	4.8.2006	कस्बा चौमूं जीवन सुरक्षा एवं संस्था समिति द्वारा
3	सामौद	RJ-14-PA-4328	पुलिस कानि.	श्री रामलाल शर्मा, विधायक चौमूं	4.8.2006	इलाका थान क्षेत्र की जीवन रक्षा दल कमेटी द्वारा संचालित
4	दूदू	RJ-14-IP-2468	पुलिस कानि.	परिवहन विभाग द्वारा	18.10.2006	परिवहन विभाग जयपुर द्वारा वहन किया जाता है।
5	परागपुरा	RJ-14-E-0846	पुलिस कानि.	सरकारी वाहन	27.4.2004	कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण
6	शाहपुरा	RJ-14-IP-2486	पुलिस कानि.	परिवहन विभाग	पिछले 5 वर्षों से	परिवहन विभाग जयपुर द्वारा वहन किया जाता है।
7	कानौता	A/F	पुलिस कानि.	निराला दंत मंजन	—	निराला दंत मंजन द्वारा 60 लीटर ईधन प्रतिमाह वहन किया जाता है।
8	बस्सी	RJ-14-PA-6890	पुलिस कानि.	श्री कन्हैया लाल विधायक	अप्रैल 2007	जन सहयोग

परिशिष्ट-2

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेश दिनांक 22.9.2006 व 11.12.2006 को वापस लेने बाबत

महोदय,

जून, 2003 में राजस्थान तकनीकी विश्व-विद्यालय स्थापित करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ हुई और विश्वविद्यालय स्थापित हो गया और इस सम्बन्ध में प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों आदि की सचिव तकनीकी शिक्षा की अध्यक्षता में तकनीकी विषयों में यानि MCA, MBA आदि के सम्बन्ध में अनुशासन रखने सम्बन्धी बैठक हुई। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु एक हजार रुपये इंजिनियरिंग विभाग के तथा 500 रुपये अन्य विभागों के प्रति विद्यार्थी योगदान किया जायेगा। जो ऐक्नीकल फण्ड कहलायेगा। सरकार ने वर्ष 2006 में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया।

RTU ACT, 2006, में परिभाषित टेक्नीकल एजूकेशन में फार्मेसी विषय भी सम्मिलित हैं और RTU ACT पारित होने पर यह फार्मेसी विषय इसमें शामिल किया गया और धारा 2 (G) में टेक्नीकल एजूकेशन को परिभाषित किया गया। धारा 6 के द्वारा इस अधिनियम का ओवर राइडिंग इफेक्ट बनाया गया और इसका प्रभाव राजस्थान के सभी तकनीकी संस्थानों पर लगाया गया।

राजस्थान सरकार के तकनीकी शिक्षा विभाग ने 9 जून 2006 के आदेश द्वारा राजस्थान में स्थित सभी तकनीकी महाविद्यालयों को RTU ACT, 2006 की धारा 6 व 49 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01.7.2006 से इन सभी महाविद्यालयों को RTU कोटा से अस्थायी तौर पर एफिलेटेड कर दिया। ऐकेडमिक सेशन 2005-06 कि के विद्यार्थियों को जहां वे एनरोल हुए थे, उन्हीं विश्वविद्यालय को डिग्री/सर्टिफिकेट जारी करने के आदेश दिये। RTU ने 5 भिन्न-भिन्न तकनीकी विषयों की फैमल्टीज प्रारम्भ की जिसमें फॉर्मेसी की भी एक फैकल्टी स्थापित की गई।

इससे पहले वर्ष 2005 में सरकार ने राजस्थान यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साइंस एक्ट, 2005 पारित किया, जिसमें भी धारा 6 RTU ACT, 2006 की तरह इसमें भी बनाई गई व राजस्थान सरकार के मेडिकल एण्ड हैल्थ विभाग

ने दिनांक 22.09.2006 व 11.12.2006 के द्वारा राज्य में स्थित सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों को धारा 6 RUHS के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में एफिलेटेड राजस्थान विश्वविद्यालय व RTU से मेडिकल एण्ड डेन्टल कालेज का एफिलेशन RTHS से कर दिया और पूर्व RTU के एफिलेशन को समाप्त कर दिया। इसी आदेश के द्वारा एक्जाम कन्डक्ट करने इत्यादि के सम्बन्ध में भी आदेश पारित किया। फार्मेसी कोर्स तकनीकी शिक्षा में आता है और इनकी परीक्षाएं पूर्व के आदेशानुसार ही कन्डक्ट की जा रही है। RUHS इनकी परीक्षाओं हेतु काम्पीटेंट की नहीं है। विद्यार्थी दूसरे विश्वविद्यालयों में एनरोल्ड है। ऐसा प्रतीत होता है कि फार्मेसी एजूकेशन को RHUS के अधीन इसलिए रख दिया है कि पूर्व में ये फैकल्टी आफ मेडिसिन एण्ड फार्माक्यूटिक्स राजस्थान विश्वविद्यालय के अधीन था। दूसरे सभी प्रदेशों-पंजाब, हरियाणा, उ.प्र., म.प्र., छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, पं. बंगाल, महाराष्ट्र में ये फैकल्टी टेक्नीकल यूनिवर्सिटी के अधीन है।

फार्मेसी कोर्स का और कोर्स की ग्रांट/एक्सटेंशन ऑफ एप्रूवल इत्यादि AICTE देती है जो टेक्नीकल एजूकेशन विभाग के अधीन आता है। फार्मेसी के सभी टीचर्स AICE पे स्केल से गर्वन होते हैं। AICTE उनके लिये फण्ड देती है। राजस्थान प्रदेश में भी फॉर्मेसी कोर्स के विद्यार्थियों का एडमिशन RPETEAP यानि इंजिनियरिंग एण्ड आर्फिटेक्चर के तहत हुआ है। फार्मेसी के ग्रेजुएट्स टेक्नीकल ग्रेजुएट्स पाने जाते हैं।

फार्मेसी एजूकेशन AICTE 1987 के तहत टेक्नीकल एजूकेशन है, जो सेण्ट्रल एक्ट है। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार के मेडिकल एण्ड हैल्थ विभाग को 22.9.2006 व 11.12.2006 के आदेश द्वारा राजस्थान सरकार के टेक्नीकल विभाग के आदेश संख्या 9.6.2006 को विड्रो करने के सम्बन्ध में उसके विपरीत कोई आदेश पारित करने का अधिकार ही नहीं था। इससे अनेक भ्रांतियां व विद्यार्थियों के साथ विचित्र स्थिति उत्पन्न हो रही है। उनके परीक्षाएं नहीं हो पा रही है। विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। वास्तव में राजस्थान सरकार के मेडिकल एण्ड हैल्थ विभाग के 22.9.2006 व 11.12.2006 को कोई आदेश निकालने का अधिकार ही नहीं है। उसका यह आदेश विधि विरूद्ध है। RTU ACT, 2006 की धारा 6 के प्रावधानों से विपरीत होने से विधि विरूद्ध है।

अतः इसे विड्रो कर विद्यार्थियों को राहत दी जावें।

जोगाराम पटेल

(लूणी)

पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में अनावृष्टि व सोयाबीन को इल्ली द्वारा नष्ट कर दिये जाने से उत्पन्न समस्या के बारे में

महोदय,

अध्यक्ष महोदय विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा, झालावाड़ में सोयाबीन की फसल मुख्य फसल है क्षेत्र की लगभग 80 प्रतिशत जमीन में सोयाबीन बोई जाती है। और यही फसल किसान का आर्थिक आधार है लेकिन इस वर्ष इस सोयाबीन की फसल में इल्ली का प्रकोप भयंकर होने से लगभग 80-90 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है किसान द्वारा बोया हुआ बीज भी इस बार खेती से प्राप्त होना असंभव है साथ ही अनावृष्टि की वजह से कुंये, बावड़ी, तालाब, बांध आदि में पानी का भराव नहीं हुआ इसलिये अगली फसल भी किसान अपनी खेती से नहीं ले पायेगा अर्थात खरीफ की फसल इल्ली की भेंट चढ़ गई और रबी की फसल भी बरसात की कमी की वजह से बोई ही नहीं जावेगी ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण क्षेत्र व जिले में अकाल की सी स्थिति बन गई है। परम्परागत स्त्रोतों में पानी नहीं होने से पेयजल की भी परेशानी खड़ी हो सकती है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा सहित सम्पूर्ण झालावाड़ जिले को अभावग्रस्त घोषित कर किसानों मजदूरों को राहत प्रदान कराने का कष्ट करें।

कन्हैयालाल पाटीदार
(पिड़ावा)

भीम राजकीय महाविद्यालय एवं पी.एच.सी. एवं प्रा. स्वा. केन्द्रों के रिक्त चल रहे व्याख्याताओं एवं क.वि. के चिकित्सकों के खाली चल रहे पदों को तत्काल भरने के सम्बन्ध में

महोदया जी,

उपरोक्त विषय अन्तर्गत निवेदन है कि भीम में नवीन राजकीय महाविद्यालय इसी सत्र से प्रारम्भ किया गया है। एवं सात विषय प्रारम्भ किये गये है एवं प्रथम वर्ष में कुल छात्र-छात्राओं की संख्या 169 है। सरकार ने सात व्याख्याताओं के पद सृजित कर दिये हैं। मगर अभी तक एक भी स्थाई व्याख्याता की पोस्टिंग नहीं की गयी है इस की वजह से कालेज के छात्र-छात्राओं में काफी रोष व्याप्त हो रहा है। एवं कालेज में पढ़ने वाले

छात्र-छात्राओं का भविष्य के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, व्याख्याताओं के अलावा भी कनिष्ठ लेखाकार एवं अन्य कर्मचारियों की भी स्थाई पोस्टींग कराने का श्रम करावें ताकि कालेज सुव्यवस्थित ढंग से चल सके।

(2) भीम पंचायत समिति के अन्तर्गत आने वाले सभी पी.एच.सी. एवं सी.एच.सी. में 3 साल से चल रहे नीचे लिखे अनुसार तत्काल सभी चिकित्सकों एवं सी.एच.सी. भीम में क.वि.चि. के पदों को तत्काल आपके माध्यम से भरने के लिए आग्रह करता हूं।

<u>सी.एच.सी. भीम में रिक्त पद :-</u>

1. क.वि.चि. आर्थोपेडिक
2. क.वि.चि. निश्चितन
3. क.नि.चि. सर्जन
4. क.नि.चि. नेत्र

<u>प्रा. स्वा. केन्द्र</u>

1. प्रा.स्वा. केन्द्र बार
2. प्रा.स्वा. केन्द्र ताल
3. प्रा.स्वा. केन्द्र कुआयल
4. प्रा.स्वा. केन्द्र कुन्दवा
5. प्रा.स्वा. केन्द्र छापली
6. प्रा.स्वा. केन्द्र दिवेर
7. प्रा.स्वा. केन्द्र बरार दो पद 1. वरिष्ठि चि./वि.

निम्नांकित पदों को तत्काल स्थानान्तरण। प्रतिनियुक्ति कराकर भरा जावे ताकि गांवों में मौसमी बीमारियों से रोकथाम की जा सके। अध्यक्ष महोदय सभी प्रा.स्वा. केन्द्रों पर एक ही चिकित्सक पद सृजित है वे भी लम्बे समय से रिक्त होने से गांव की जनता में भारी रोष व्याप्त हो रहा है।

अत: आपके माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा विभाग का ध्यानाकर्षित कराना चाहता हूं तत्काल रिक्त पदों को भरा कर मेरे क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करावें।

हरीसिंह रावत

(भीम)

अलवर जिले में हो रहे अवैध खनन को नहीं रोकने के सम्बन्ध में

महोदय,

सम्पूर्ण अलवर जिले विशेषकर तिजारा तहसील के वन क्षेत्र में काफी समय से अवैध खनन हो रहा है।

मा. सर्वोच्च न्यायालय ने अलवर जिले को वन संरक्षित क्षेत्र (अरावली हिल्स) घोषित कर रखा है उस क्षेत्र में 100 मीटर की ऊंचाई पर जारी खनन पट्टों को केन्सिल करने का आदेश केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को दे रखा है परन्तु उस पर आज तक अमल नहीं हुआ है।

तिजारा तहसील में बाहर के लोगों ने अवैध खनन के साथ-साथ स्टोन क्रेशर लगा रखे है तथा माल बिना राजस्व चुकाये हरियाणा निर्गम कर रहे हैं राज्य को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है स्थानीय प्रशासन व खनिज विभाग इसे अवैध खनन को रोकने में पूर्णतया असफल रहा है।

कई मुकदमें दर्ज हो चुके हैं खनिज विभाग के उच्च अधिकारियों, जिला-कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, खनिज अभियन्ता सहित सभी को अनेक बार कहने लिखने के बावजूद जबरन अवैध खनन जारी है।

अतः मैं माननीय खनिज मंत्री व गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर उक्त अवैध खनन को शीघ्र रूकवाने व दोषियों को दण्डित करने की मांग करता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद

(नगर)

धौलपुर जिले से एक भी हज यात्री को हज यात्रा पर नहीं भेजने से व्याप्त जन असंतोष

महोदय,

मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्सान अपने सांसारिक व्यस्तम जीवन में से समय निकालकर यात्रा (हज यात्रा) पर जाना चाहता है। तिनका-तिनका जोड़कर पैसा इकट्ठा करता है और फिर उसे जब प्रशासनिक गलती से हज यात्रा पर जाने का अवसर नहीं देकर उससे महरूम रखा जाता है तो उसे बहुत भारी पीड़ा होती है।

श्रीमान् मेरे धौलपुर जिले से जितने भी लोगों ने हज यात्रा पर जाने हेतु आवेदन किया था राज्य हज कमेटी की प्रशासनिक भूल से उन्हें लाटरी में शामिल नहीं किया गया जिसके कारण धौलपुर जिले का एक भी मुस्लिम भाई हज यात्रा पर नहीं जा सका जिससे सम्पूर्ण जिले के अल्प संख्यक मुस्लिम भाइयों में भारी रोष व्याप्त है।

अतः मैं मा. गृह मंत्री महोदय एवं सदन का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि धौलपुर जिले के हज यात्रा आवेदकों को विशेष अनुमति प्रदान कर हज यात्रा पर जाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

बनवारी लाल शर्मा

(धौलपुर)

मेव जाति के लोगों का शैक्षणिक व आर्थिक पिछड़ापन

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रदेश के अलवर, भरतपुर, जिले में स्थित मेवात क्षेत्र में मेव जाति के लोग निवास करते हैं। मेवों का देश की आजादी के आन्दोलन में भी योगदान रहा है। माननीय हसन खां मेवाती खान्डव के युद्ध में महाराणा सांगा के साथ मिलकर मुगल बादशाह बाबर के विरूद्ध अपनी सेना के साथ लड़ा था और इस युद्ध में महाराणा सांगा की तरह ही हसन खां मेवाती भी अपनी सेना के साथ शहीद हुए थे। इस सेना में मुख्यतः मेव जाति के लोग थे। वर्तमान में मेव जाति के लोग शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति से अत्यंत पिछडे हुए हैं। महिला शिक्षा शून्य बराबर है। सरकारी नौकरियों में इनकी संख्या नगण्य है। आदिकाल से यह लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते हैं। इनका पहनावा भी अन्य समाजों से बिलकुल भिन्न है। पिछड़ेपन के कारण मेव जाति के लोगों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है क्योंकि जीवन-यापन के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण इस जाति के लोगों में आपराधिक गतिविधियां पनपती जा रही हैं। यदि राज्य सरकार ने इनके जीवन-यापन को उठाने हेतु कोई आवश्यक कदम नहीं उठाये तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं।

अतः इस सदन के माध्यम से आपसे मेरी सरकार से मांग है कि मेव जाति को इसकी आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के कदम उठाये जायें एवं इस जाति को समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास करें। धन्यवाद।

जुबेर खान

(रामगढ़)

शिवाजी कालोनी निवाई को नि:शुल्क नियमन कराने बाबत

महोदय,

निवेदन है कि निवाई विधान सभा उपखण्ड मुख्यालय पर शिवाजी कालोनी चरागाह में बसी हुई है। जिन्हें हाल ही राज्य सरकार द्वारा खसरा नं. 1889, 1753, 2053 भूमि की राजस्व विभाग द्वारा चारागाह से किस्म परिवर्तन कर आबादी में परिवर्तन कर दिया गया है। उच्च 78 बीघा भूमि की कीमत 2.51 करोड रुपया जमा कराने बाबत् नगरपालिका निवाई को जमा कराने के निर्देश दिये गये हैं परन्तु उक्त भूमि में शिवाजी पार्क गैर मुमकिन शमशान एवं सड़कों का निर्माण किया गया है। 78 बीघा भूमि खाली भी नहीं है। उक्त भूमि में अधिकतर अनु. जाति/जनजाति/अल्प संख्यक/पिछड़े वर्गों एवं गरीब स्वर्ण परिवार बसे हुये हैं। अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उक्त कालोनी को नि:शुल्क भूमि आबंटन कर नियमित कराने की कृपा करावें।

हीरालाल

(निवाई)

देसूरी व सादड़ी में रिक्त डाक्टरों के पदों को भरे जाने बाबत

महोदय,

मेरी विधान सभा क्षेत्र देसूरी भौगोलिक स्थिति अनुसार दुर्गम पहाड़ियों से होकर उदयपुर नाथद्वारा व रणकपुर-सायरा गोगुन्दा, उदयपुर मार्ग पर पड़ता है जिसमें देसूरी के पास देसूरी नाल घाट सेक्शन व रणकपुर की तरफ रणकपुर घाट सेक्शन जिसमें आए दिन वाहन दुर्घटनाएं होती रहती हैं ऐसे में घायल मरीजों को देसूरी अस्पताल या सादड़ी अस्पताल में ले जाया जाता है।

इस वर्ष अभी इसी माह दुर्घटना दुखांतिका लगभग 150 से अधिक व्यक्ति मारे गये व 60-70 व्यक्ति घायल हुए परन्तु देसूरी अस्पताल में आधुनिक सुविधा जैसे एम्बुलैंस, ट्रोमा वार्ड, बेड, डाक्टरों का अभाव पाया गया जिससे 8-10 व्यक्तियों की अधिक मृत्यु हुई अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देसूरी में 6 डाक्टरों के पद के विरूद्ध मात्र 2 डाक्टर ही कार्यरत है जिससे अन्य अस्पतालों से चिकित्सा दल बुलाए गए परन्तु ये सभी दल चालीस कि.मी. दूरी से आए जिससे मरीजों का इलाज समय पर चालू नहीं हो सका, ऐसे में मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदया व चिकित्सा मंत्रीजी से अनुरोध है कि देसूरी व

सादड़ी में सभी खाली पदों पर डाक्टरों की नियुक्ति करावें व देसूरी व सादड़ी को 50 बेड का अस्पताल घोषित करावें। व ट्रोमा वार्ड एम्बुलेंस सेवा, एक्सरे, ब्लड बैंक, सिटी स्केन, लेबोरेट्री जैसी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करावें जिससे भविष्य में जनहानि की सम्भावना कम रहे।

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल

(देसूरी)

बांसवाड़ा जिले की डार्क जोन से बाहर करने बाबत

महोदय,

निवेदन है कि बांसवाड़ा जिला जनजाति बहुल्य क्षेत्र है बांसवाड़ा जिले में सिंचाई माही बजाज सागर परियोजना से होती है। परन्तु सम्पूर्ण जिले की 60 प्रतिशत भूमि पहाड़ी पठारी भौगोलिक स्थिति भिन्न-भिन्न होने से माही का पानी नहीं पहुंच पाता है असिंचित क्षेत्र में किसान सार्व. कूप-कुएं, बावड़ी से सिंचाई करते हैं। आज जिले भर में करीबन 80,000 हजार कुएं हैं। जिसमें 40 कुएं जिन्दा हैं और उन कुएं के पानी का उपयोग आम जनता करती है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद भी शेष कुएं अपूर्ण पड़े हुए है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि बांसवाड़ा जिले को डार्क जोन में सम्मिलित कर दिया है जिससे बांसवाड़ा जिले में लाखों रुपये से निर्मित अपूर्ण कुएं के लिए अब सरकारी धन खर्च नहीं करने के लिए डार्क जोन के कारण सैकड़ों किसानों के जीवन-मरण का प्रश्न है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि बांसवाड़ा जिले को डार्क जोन से बाहर किया जावे। ताकि अपूर्ण पड़े कुएं के लिए सरकारी धन का उपयोग कर किसानों के हितों का संरक्षण प्रदान करावें।

जीतमल खांट

(बागीडोरा)

रेवदर (सिरोही) रोडवेज उप आगार को सुचारु रूप से चलाने बाबत

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदया रेवदर (सिरोही) उप आगार को सुचारू रूप से चलाने के क्रम में, अध्यक्ष महोदय रेवदर उप आगार की स्थिति एवं हालत मुख्य आगार प्रबन्धक आबू रोड व अन्य आला अधिकारियों द्वारा जान-बूझ कर लापरवाही से पुरानी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो कि

निम्न बिन्दुवार प्रस्तुत है :-

1. उप आगार के कुल 19 शैड्यूल स्वीकृत हैं जिसमें मात्र 9 शैड्यूल चालू हैं शेष अन्य आगार में परिवर्तन कर दिये गये हैं।

2. उप आगार रेवदर के कार्यालय में मात्र एक दो परिचालक बैठे हुए हैं इसे संचालित कर रहे हैं साथ ही कार्यवाही एल.डी.सी. यू.डी.सी. मैकेनिकल स्टाफ टी.आई.ए.टी.आई. इत्यादि कोई जिम्मेदार अधिकारी तक नहीं है।

3. वर्कशाप की अधिकतर सामग्री अन्य सामग्री अन्य डिपो में जा रही है।

4. वर्तमान में चालू शैड्यूल में ग्रामीण क्षेत्र की जनता को कोई फायदा नहीं है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई बस नहीं है तथा यहां से अधिकांश लोग रोजगार एवं इलाज हेतु पास ही गुजरात मे जाते है यहां से अहमदाबाद सूरत पालनपुर इत्यादि के लिए सीधी बस सेवा की आवश्यकता है।

अतः अध्यक्ष महोदया मेरा आपसे निवेदन है कि रेवदर विधान सभा क्षेत्र की जनता को ध्यान में रखते हुए उप आगार को सुचारू रूप से चलाने के आदेश प्रदान करावे जो कि कागजों में आज भी 19 शैड्यूल संचालित बताये जा रहे परन्तु 9 शैड्यूल चल रहे है।

अन्य आगार द्वारा संचालित एवं बन्द बसे :-

1. रेवदर जयपुर नाइट (आबूरोड डिपो से)
2. जयपुर से रेवदर (आबूरोड डिपो)
3. रेवदर से सांचौर से रेवदर से रेवद सांचौर बन्द
4. रेवदर आबूरोड बाड़मेर (आबूरोड डिपो से)
5. बाड़मेर आबूरोड (आबूरोड डिपो से)
6. रेवदर आबूरोड आबूरोड सांचौर सिरोही रेवदर (बन्द)
7. रेवदर भटाणा भटाणा सिरोही भीनमाल रात्रि विश्राम बन्द
8. भीनमाल से सिरोही भण्डार सिरोही रेवदर (बन्द)
9. रेवदर से भीनमाल सिरोही से रानीवाड़ा रेवदर (बन्द)
10. रेवदर सिरोही भण्डार सिरोही रेवदर (बन्द)

अध्यक्ष महोदय रेवदर बड़ौदा वाहन रेवदर से ही संचालित होता है जबकि वाहन आबूरोड से आकर रेवदर से बड़ौदा बनती है हमारे यहां से करीब 5 से 6 हजार रुपये की बुकिंग प्रतिदिन होती है अतः रेवदर से ही रेवदर बड़ौदा वाहन संचालित किया जावे।

जगसीराम कोली

(रेवदर)

रायसिंहनगर के काश्तकारों को आबंटित भूमि की राशि जमा कराने की अवधि बढ़ाने बाबत

मान्यवर जी,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र रायसिंहनगर के अन्तर्गत यहां के काश्तकारों को उनकी टी.सी. के पुख्ता आबंटन हेतु भूमि काटने के लिए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 4/16/350/98 दिनांक 15.10.07 की पालना में तत्समय आरक्षित कीमत की सामान्य वर्ग के काश्तकारों से 50 प्रतिशत राशि व एस.सी. एस.टी. और ओ.बी.सी. और बी.पी.एल. परिवारों को आबंटन के समय आरक्षित का 25 प्रतिशत राशि एक मुश्त जमा करवाये जाने की शर्त पर विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 4(61) उफ/98/दिनांक 15.10.04 की पालना में तत्समय आरक्षित कीमत की सामान्य वर्ग के काश्तकारों से 50 प्रतिशत राशि एवं अ.जा./जनजाति/पिछड़ी जाति/बीपीएल के आबंटियों से आरक्षित दर का 25 प्रतिशत राशि एक मुश्त जमा करवाये जाने की शर्त पर आबंटन कर आबंटियों के नाम से आबंटन पट्टा जारी किये गये थे। राज्य सरकार के उक्त आदेश की अवधि समय-समय पर बढ़ा दी गई थी जो वर्तमान में 30.9.07 तक बढ़ाई हुई है। वर्तमान में काफी किसान इस आबंटन प्रक्रिया से वंचित रहे है। अत: किसानों की मांग को ध्यान में रख कर एक माह की अतिरिक्त अवधि बढ़ाई जावे। इससे राजस्व वृद्धि होगी और किसानों का भी भला हो सकेगा। 15.10.2004 से 31.12.05 तक की अवधि में जारी किये गये आबंटन पट्टों में से कुछ आबंटियों द्वारा आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण एक मुश्त राशि तत्समय आबंटन पट्टा जारी होने के एक माह में जमा नहीं करवाये गये थे एवं उनके द्वारा आज दिनांक तक भी राशि जमा नहीं करवाई गई है। अब उक्त आबंटी किश्तें जमा करवाना चाहते हैं तो उन्हें आबंटन तिथि से अब तक का ब्याज मांगा जा रहा है, जबकि राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त राशि जमा करवाकर आबंटन किये जाने तक राशि एक मुश्त जमा करवाये जाने के आदेश प्रदान किये जावे तो उचित होगा। जिससे राज्य सरकार की आय में बढ़ोत्तरी होगी एवं काश्तकारों को राहत मिल सकेगी।

लालचन्द मेघवाल

(रायसिंहनगर)

ई-ग्राम योजना में अध्यापकों को न लगाये जाने बाबत

महोदय,

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदया धन्यवाद देता हूं कि गांव ढाणी कस्बा की सूचना पूरे राजस्थान की हर माह तैयार करने के आदेश ''मुख्यमंत्री ग्राम योजना नाम'' का जो प्रोफार्मा प्रत्येक गांव के अध्यापक ग्रुप सचिव को देकर गांव-ढांणी व घर तक की सूचना तैयार करवाना जिसमें आपने चाहा है कि गांव व गांव का क्षेत्रफल, भौगोलिक स्थिति, सड़कों से जुड़ा है या नहीं। चरागाह, सिवायचक, गै.मु. नाला, नदियां, तालाब, कुएं, बावडियां, सूखे हैं या नहीं, पेयजल की क्या व्यवस्था विद्यालय में है या नहीं, विद्युत विभाग द्वारा सप्लाई सही है या नहीं, तार ढीले है या नहीं, फोटो व्यक्ति व रजिस्ट्री के कितने नामान्तीकरण खुले हैं या नहीं। कितने सरकारी कर्मचारी, इन्द्रा आवास या अन्य योजनाओं में कितने घर बने। सरकारी भूमि या भवनों पर किसी का अतिक्रमण तो नहीं है। चिकित्सा व्यवस्था है या नहीं उपरोक्त सभी सूचना तैयार कर जो राजस्थान विकास के लिए कदम उठाया है सराहनीय है, लेकिन इसमें अध्यापकों को इसमें नहीं लगाया जाकर पंचायत का ग्रुप सचिव, ग्राम सेवक हलका पटवारी यह लोग आमजन के मध्य रोजाना रहते हैं आसानी से सूचना एकत्रित कर लेंगे। जबकि अध्यापक तो यह सूचनाऐं एकत्रित करेगा ही शिक्षा का स्तर गिरेगा अध्यापक बिना कारण विद्यालय से अनुपस्थित रहता है। गांव के लोगों के पूछने पर ई-ग्राम योजना का बहाना बनाते हैं आपसे निवेदन है कि यह कार्य अध्यापकों से नहीं कराने का श्रम करें।

कन्हैयालाल मीणा

(बस्सी)